खण्ड-137, अंक-2
मंगलवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1876
(11 मई, 1954 ई0)

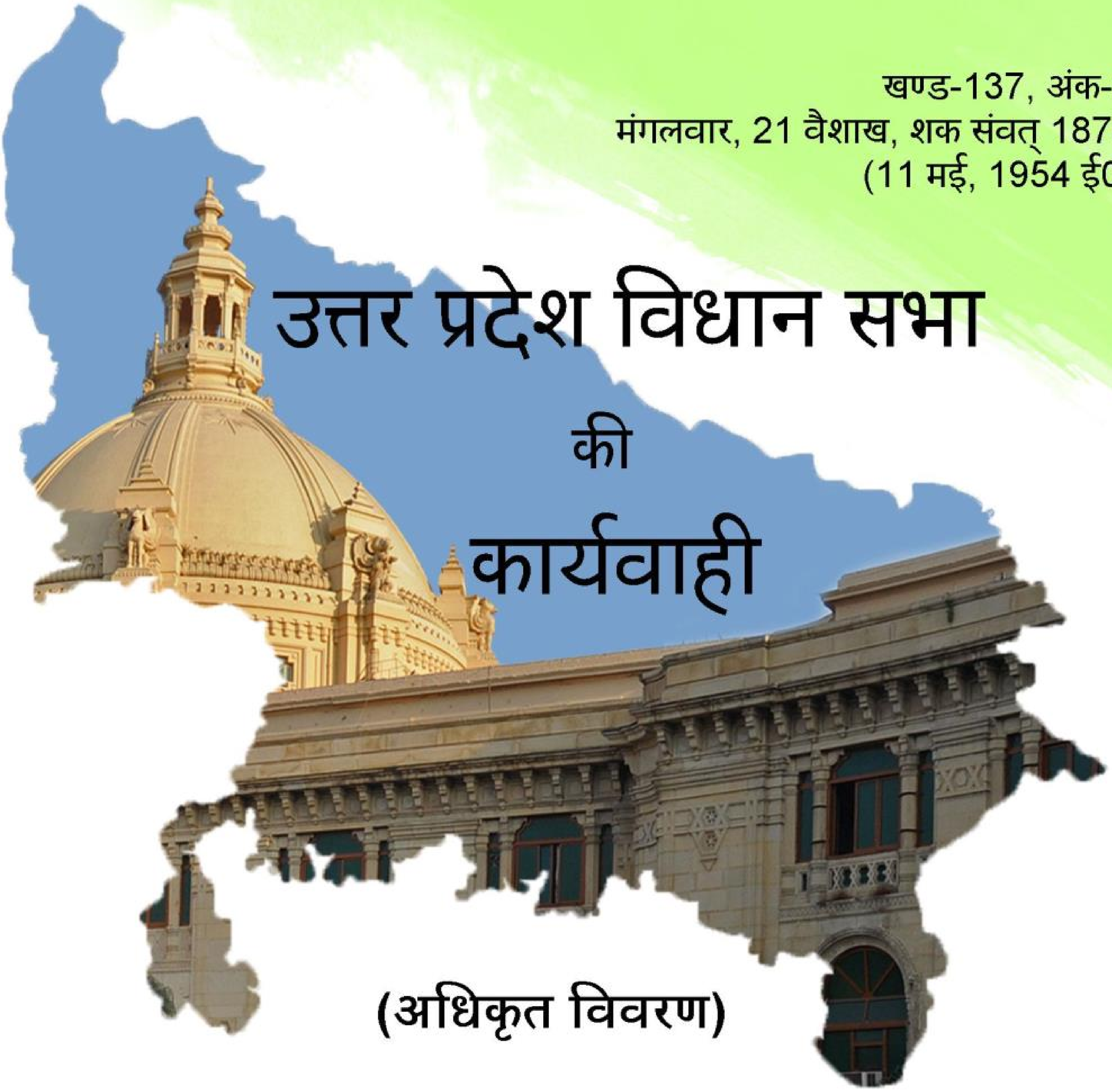

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 137 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ११ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पाण्डेय श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजा र, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री

भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बसी नकवी, श्री
बासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द डाक्टर, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विधायक निवास पर बिजली का व्यय

**१—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या विद्युत मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि लखनऊ विधायक निवास पर औसतन प्रति दिन कितनी बिजली खर्च हो रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—औसतन ७७६ यूनिट बिजली प्रति दिन खर्च होती है ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

**२—श्री रामेश्वर लाल—क्या विद्युत मंत्री बतायेंगे कि १९५३ की साल में विधायक निवासियों पर बिजली का व्यय कितना रुपया रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५३ में ५४,६५३ रुपया ११ आ० बिजली पर खर्च हुआ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि एसेम्बली की बैठक के दिनों में जितनी बिजली प्रति दिन व्यय होती है उतनी ही बिजली स्थगित दिनों में भी प्रति दिन व्यय होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने इसकी कोई जांच नहीं की है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि प्रतिदिन व्यय होने वाली ७७६ यूनिट बिजली की कीमत क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तीन आने फी यूनिट की दर है। लेकिन इस वक्त में इसको जोड़ कर नहीं बतला सकता।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि साल भर में ५४,६५३-११-० की बिजली व्यय हुई, इसके हिसाब से एक दिन में व्यय होने वाली युनिट की संख्या क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसके उत्तर की इजाजत नहीं देता। यह तो हिसाब का सवाल है इसको माननीय सदस्य खुद लगा सकते हैं।

रोहतक और हिसार जिला बिजली कम्पनी द्वारा बुन्देलखंड के जिलों में बिजली लगाने के लिए सरकार से पत्र व्यवहार

**३—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या रोहतक और हिसार जिला बिजली कम्पनी ने बुन्देलखंड के कुछ जिलों में बिजली लगाने के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, हमीरपुर, जालौन, उरई और कालपी में बिजली, लगाने के लिये यह कम्पनी सरकार से पत्र व्यवहार कर रही है।

**४—श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और उन जिलों में यह कम्पनी कब तक काम शुरू कर देगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने कम्पनी से कहा है कि बिजली का लाइसेंस लेने के लिये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ३ के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दें।

चूंकि अभी तक सरकार के पास ऐक्ट के अनुसार कोई प्रार्थना-पत्र आया ही नहीं है इसलिये काम शुरू करने का सवाल नहीं उठता है।

**५—श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी—क्या जिलाधीश जालौन ने सरकार को लिखा है कि उस जिला की नगरपालिकाओं को रोहतक हिसार कम्पनी से बिजली लेने और अपने क्षेत्रों में वितरण करने के लिये वह कुछ आर्थिक सहायता दे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी ने सरकार को किस आशय का वह पत्र लिखा था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह तो एक किस्म का दरियाफ्त करना था कि आया इस किस्म की कोई इमकान है या नहीं है कि इस किस्म की दरख्वास्त कंसीडर की जा सके।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर के निवासियों की ओर से सरकार की तरफ कोई आवेदन-पत्र बिजली लगाने के लिये आया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझको इस वक्त याद नहीं है।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड के जिलों में कोई सरकारी योजना बिजली के संबंध में चालू होने वाली है और यदि हां, तो कब तक हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगला जो प्लान होगा उसमें बुन्देलखंड के जिलों में बिजली का इन्तंजाम है।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर) (प्रश्न ५ से संबंधित)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने जिलाधीश जालौन को क्या उत्तर दिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला जालौन के कलेक्टर के जिस खत का जिक्र नम्बर पांच में है उसका जवाब मेरे खयाल में उनको दिया नहीं गया।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या यह सच है कि सरकार ने बुन्देलखंड जिलों में जहाँ बिजली नहीं है वहां बिजली के इंजिन लगाकर बेरोजगारी दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मांगी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी, यह सही है।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कीम में बांदा जिला भी शामिल है बिजली के वास्ते ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं शामिल कर दूंगा नहीं भी है तो।

राज्य में सामाजिक शिक्षा की नई योजना

**६—श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ रुपया सामाजिक शिक्षा संबंधी नई योजना के लिये उत्तर प्रदेश को दिया है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और वह किस क्षेत्र में चालू की जायगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने १९५०-५१ में सामाजिक शिक्षा खोलने का प्रबन्ध किया था ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री धर्म सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि वह सामाजिक शिक्षा कितने दिनों तक उत्तर प्रदेश में चली ?

डाक्टर सीताराम--सन् १९४९ से लेकर १९५० तक और १९५० से ५१ तक ।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस वक्त सामाजिक शिक्षा जारी करने का सरकार ने विचार कर रखा है?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये बजट में आलरेडी प्राविजन है जिसके लिये यू० पी० सरकार ३,२३,००० रु० खर्च करेगी ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह योजना सरकार ने क्यों बन्द कर दी ?

डाक्टर सीताराम--धनाभाव के कारण ।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या यह सही है कि डाक्टर गुलाटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट सोशल शिक्षा के विषय में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी रुपया पड़ा हुआ है?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये यू० पी० सरकार ने ५ स्कीम्स भेजी हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी तक कोई रुपया नहीं दिया है ।

जिला आगरा की वाह तहसील में चम्बल बांध योजना से पानी प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार राजस्थान और मध्यभारत से पत्र व्यवहार

७--श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)----क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चम्बल बांध योजना से तहसील वाह (जिला आगरा) में नहर निकालने के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान और मध्य भारत की राज्य सरकारों से उसका कोई पत्र व्यवहार हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)--वाह तहसील जिला आगरा के लिये चम्बल बांध योजना से पानी प्राप्त करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान और मध्यभारत की सरकारों से बराबर पत्र व्यवहार हो रहा है और प्रदेशीय सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि चम्बल योजना में उसे भी कुछ हिस्सा मिले पर अबतक जो पत्र व्यवहार हुआ है उसका परिणाम आशाप्रद नहीं है । राजस्थान तथा मध्य भारत दोनों ही ने चम्बल बांध योजना का पानी उत्तर प्रदेश को देने में व्यावहारिक कठिनाइयां सूचित की है । अतः केन्द्रीय सरकार को फिर, इस आधार पर कि चम्बल एक अन्तप्रदेशीय नदी है और इसके पानी पर उत्तर प्रदेश का उतना ही अधिकार है जितना कि राजस्थान तथा मध्यभारत का, चम्बल बांध योजना से ३०० क्यूसेक्स पानी वाह क्षेत्र के लिये सुरक्षित कर देने के लिये अनुरोध किया गया है ।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे व्यावहारिक कठिनाइयां क्या हैं जो कि राजस्थान सरकार और मध्य भारत सरकार ने सूचित की हैं ?

श्री राममूर्ति--जहां तक मध्य भारत का ताल्लुक है उन्होंने तो यह लिख दिया है कि हमारे यहां इरीगेशन की बड़ी कीन डिमांड है इसलिये पानी स्पेयर नहीं कर सकते और राजस्थान ने यह लिखा है कि वह ४० मील लम्बी नहर बनायेंगे और अगर वाह को भी उससे पानी दिया जायगा तो वह नहर १५० मील लम्बी हो जायगी । इससे पानी का काफी नुकसान हो जायगा और पूरा फायदा नहीं होगा । इसलिये राजस्थान पानी देने से इंकार करता है ।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वाह शाखा का उद्गम स्थान कहां होगा ?

श्री राममूर्ति—उद्गम स्थान का तो मुझे पता नहीं है लेकिन जो ४० मील लम्बी नहर बनेगी उसके बाद ही होगा।

सरकार का अमरोहा मुंसिफी न तोड़ने का निर्णय

**८—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सरकार के पास अमरोहा की जनता और अमरोहा बार एसोसियेशन की यह सिफारिश आई है कि अमरोहा मुंसिफी न तोड़ी जाय ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

**९—श्री मुहम्मद तकी हादी—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार ने यह निर्णय किया है कि अमरोहा मुंसिफी न तोड़ी जाय और वहां एक मुंसिफ जल्द तैनात किया जायगा।

श्री मुहम्मद तकी हादी—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आनरेबिल हाई कोर्ट ने बार ऐसोसियेशन को जबाब दिया कि उनके यहां मुंसिफ एवेलेबुल नहीं हैं इस लिए मुंसिफी खाली रखी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है हाईकोर्ट ने बार एसोसियेशन को जवाब दिया हो मुझे कोई इत्तिला नहीं है।

तारांकित प्रश्न

बुलन्द शहर जिले में सिंचाई के योग्य नल कूपों की व्यवस्था

*१—**श्री धर्मसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में सहकारी सोसाइटी द्वारा आज तक कितने ट्यूबवेल बन कर तैयार हो गये हैं और उनमें से कितने सिंचाई योग्य हैं ?

श्री राममूर्ति—१३ सहकारी नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है जिनमें से ५ पूर्ण रूप से तैयार हैं और सिंचाई के योग्य हैं। ७ सहकारी नलकूपों पर पम्पिंग प्लान्ट लगाये जा रहे हैं।

*२—**श्री धर्मसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सहकारी सोसाइटी द्वारा निर्मित ट्यूबवेल को छोड़कर आज तक पिछले तीन वर्ष में कितने कुयें बने हैं और कितने सिंचाई के योग्य हैं ?

श्री राममूर्ति—पिछले तीन वर्षों में इस जिले में १७४९ पक्के कुयें, एक निजी नलकूप और २० राजकीय नलकूप बने हैं, जो सहकारी नलकूपों के अतिरिक्त है।

*३—**श्री धर्मसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिले में सन् १९५४-५५ में कितने टयूबवेल्स बनवाने की व्यवस्था है ?

श्री राममूर्ति—इस समय तक इस जिले में कुल ३४२ राजकीय नलकूप बन चुके हैं। सन् १९५४-५५ में ८५ नलकूपों में से कुछ नलकूप बुलन्दशहर में बनने वाले हैं। ८५ नलकूपों का जिलेवार वितरण सरकार के विचाराधीन है और निश्चित संख्या की जानकारी उस वितरण के बाद ही कराई जा सकेगी।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारिता के आधार पर १३ नलकूप कब से बनने आरम्भ हुये थे ?

श्री राममूर्ति—१९५२-५३ में ५ नलकूप बने तथा १९५३-५४ में ८ नलकूप बने और एक नल कूप जिसकी लागत बहुत हो गई थी जो भगवानपुर में बनने वाला था, उसको छोड़ दिया गया था।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उनके बनाने का प्रबन्ध किसके हाथ में है ?

श्री राममूर्ति—यह जो सहकारिता के आधार पर नलकूप बने हैं उनको कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने बनवाया है। यदि सहकारी समिति चाहती है कि वह ठेके पर बनवा ले तो ठेकेदार से बनवा ले।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर का टारजेट सहकारी नलकूपों का कितना था ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि १४ था उसमें से १३ बन गये हैं और एक को छोड़ दिया गया है।

लखीमपुर शहर में बिजली का वितरण एवं आय-व्यय का लेखा

*४—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या यह ठीक है कि लखीमपुर शहर में बिजली डाक्टर के सार्टीफिकेट पर दी जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लखीमपुर खीरी शहर में बिजली की कमी की वजह से सिर्फ थोड़े समय के लिये कुछ अस्थायी कनेक्शन डाक्टरी सार्टीफिकेट पर दिये गये थे, लेकिन अब वहां स्थायी कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

*५—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखीमपुर बिजली दफ्तर के ऊपर कितना मासिक व्यय होता है और जो बिजली जनता को दी जाती है उससे कितनी मासिक आय होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लखीमपुर खीरी शहर में बिजली देने के सिलसिले में अभी तक कोई हिसाब अलग से नहीं रक्खा गया था।

*६—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह सत्य है कि लखीमपुर शहर में म्युनिसिपल बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा अन्य दफ्तरों को बिजली मांगने पर नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—म्युनिसिपल बोर्ड को सड़कों की रोशनी के लिये बिजली पहिले ही दी जा चुकी है, लेकिन बिजली की कमी की वजह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और दूसरे दफ्तरों के लिये अभी तक बिजली नहीं दी जा सकी। जरूरत होने पर अब बिजली दी जा सकेगी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार ने किसी नोटीफिकेशन के द्वारा लखीमपुर शहर में परमानेंट कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे थे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार ने खुद तो नहीं मांगे हैं लेकिन चीफ इंजीनियर के आफिस से कोई लेटर जारी हुआ हो तो बगैर पूछे हुये मैं नहीं कह सकता।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार भविष्य में लखीमपुर शहर में बिजली के ऊपर आय-व्यय का हिसाब अलग से रख रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--लखीमपुर क्या उत्तर का जितना एरिया है उसका हिसाब और उसकी बिजली शारदा पावर स्टेशन से ताल्लुक रखती है और अगले साल के शुरू में आने वाली है और जो गैर मुस्तकिल इन्तजाम चल रहे हैं उस वक्त सब कंसोलिडेट हो जायंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो बिजली दिलाने में डाक्टर के सार्टीफिकेट की जरूरत पड़ती है तो क्या बिजली की डाक्टरी करानी पड़ती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, वह तो सिविल सर्जन के सार्टीफिकेट पर दी जाती है। जो कोई आदमी बीमार हो, उसको डाक्टर साहब तस्दीक कर देते हैं तो उसको बिजली दी जाती है।

*७-९--श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--[८ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-११--श्री बाबू नन्दन--[१३ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२-१३--श्री राजा राम किसान (जिला प्रतापगढ़)--[२४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ३४-३५ के अन्तर्गत स्थान्तरित किये गये।]

*१४-१६--श्री राजा राम शर्मा--(जिला बस्ती)--[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ जिले में आबपाशी के लिये सरकार द्वारा बनवाये गये पक्के कुयें

*२०--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जिले में गत पांच वर्षों में कितने कुयें आबपाशी के लिये सरकार द्वारा बनवाये गये और सरकारी सहायता द्वारा कितने कुयें तैयार हुये?

श्री राममूर्ति--गत पांच वर्षों में लखनऊ जिले में पक्के कुओं की योजना के अन्तर्गत सरकारी सहायता द्वारा १७८ पक्के कुए बन चुके हैं। सरकार द्वारा कोई कुआं नहीं बनवाया गया है।

*२१--श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार ने लखनऊ जिले में आबपाशी के लिये कोई ट्यूबवेल बनवाये हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उनके बनवाने में कितनी रकम सरकार ने खर्च की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति--सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में लखनऊ जिले के लिये ७ नलकूप स्वीकृत किये गये जिनके लिये ७०,००० रु० की तकावी वितरित की गई है। नलकूप सन्तोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने पर इसमें से आधा धन राज सहायता में परिणित हो जायेगा।

सरकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत इस जिले में कोई नलकूप नहीं बनाया गया है और पंच वर्षीय योजना में यहां कोई नलकूप बनाने का प्रस्ताव भी नहीं है क्योंकि यहां शारदा नहर की लखनऊ शाखा से सिंचाई होती है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने कुल कितनी सहायता १७८ नलकूप बनाने में दी?

श्री राममूर्ति--नलकूप के लिये ५०० रुपया फी कुआं तकावी दिये गये जो कि ३० दिसम्बर, १९५० तक मंजूर हो गये थे और ३० जून, १९५१ तक जो स्वीकृत हुई उसमें ढाई सौ रुपया दिया गया।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ जिले के अन्दर अनेक भाग ऐसे हैं जहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, हैं।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब कोई साधन नहीं है तो सरकार की नजरें इनायत लखनऊ जिले पर क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष--यह तो विवाद है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--मैंने अच्छे लफ्जों में पूछा है।

श्री अध्यक्ष--अच्छे लफ्जों से तो पूछा है, लेकिन विवाद सा हो गया है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना में नलकूप योजना के अन्तर्गत लखनऊ जिले में कुएं बनाने की स्कीम क्यों नहीं रखी गयी?

श्री राममूर्ति--शारदा नहर में कुछ एक्सटेंशन हो रहा है और उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। उसके बढ़ने से २६ हजार एकड़ पानी और बढ़ जायगा।

प्रतापगढ़ में एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा कुओं की बोरिंग

*२२--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को पता है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों पर प्रतापगढ़ में १,००० रु० से अधिक प्रतिमास व्यय होता है?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*२३--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रतापगढ़ में पिछले वर्ष कितने कुओं की बोरिंग हुई और इस वर्ष कितने कुओं की बोरिंग हुई?

श्री राममूर्ति--प्रतापगढ़ जिले में पिछले वर्ष (१-७-५२ से ३०-६-५३ तक) कुल ६८ कुओं की बोरिंग हुई थी। इस वर्ष (जुलाई, १९५३ से फरवरी, १९५४ तक) कुल १७ कुओं की बोरिंग हुई।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि कितने कर्मचारी हैं ?

श्री राममूर्ति--आज कल एक मेकैनिकल इंसपेक्टर है, तीन बोरिंग मेकेनिक्स हैं। एक मेट है और एक चौकीदार है।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन कर्मचारियों का क्या काम है ?

श्री अध्यक्ष--इसके द्वारा हर एक का काम आप पूछ रहे हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--एक का बता दें, मैकेनिकल इंजीनियर का बता दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह ऐग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है इसके जिम्मे कई काम होते हैं। एक तो कुओं की बोरिंग का काम होता है। दूसरे जो पक्के कुएं बनते हैं, उनका वह निरीक्षण करता है। अगर कोआपरेटिव ट्यूबवेल बने तो उसमें काम करता है या कोई इन्डिविजुअल बनवाता है, परसनल ट्यूबवेल बनवाता है और उसमें अगर सहायता मांगता है तो उसमें भी वह काम करता है। छोटी-मोटी बंधियों को भी बनाने का काम करता है। मैकेनिकल इंस्पेक्टर जो है वह जितने ट्यूबवेल वगैरह के काम होते हैं उनको देखता है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--जो लोग काम करते हैं जिलों में ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग के, इनकी देखरेख करना सिंचाई विभाग के ऊपर है या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग अब सिंचाई विभाग के अधीन आ गया है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग का दफ्तर हर जिले के अन्दर है या कई कई जिलों का एक दफ्तर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐग्रीकल्चरल इंजीनिरिंग विभाग के ८ डिवीजन थे और एक एक डिवीजन में एक एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर था जो कई जिलों की देखरेख करता था। अब जब से यह सिंचाई विभाग में मर्ज हो गया है तब से उसमें कुछ रद्दोबदल कर रहे हैं। इस वक्त केवल ६ डिवीजन हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन कुओं की जांच किसी बड़े अधिकारी ने भी की है या महज वहीं की रिपोर्ट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इन कुओं की जांच तो कलेक्टर कराते हैं और उसके ऊपर वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट आता है। इन वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट के आ जाने पर सहायता दी जाती है।

श्री दीनदयालु शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हर जिले में बोरिंग के इतने बड़े काम और दूसरे कामों को देखते हुए इनके दफ्तर हर जिले में कायम करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इतना काम तो हर जिले में नहीं रहता कि हर जिले में उनका दफ्तर कायम किया जाय।

बिजनौर जिले के नजीबाबाद व पढ़ापुर परगनों में नल कूपों की व्यवस्था

*२४—श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि बिजनौर जिले के उत्तरी भाग नजीबाबाद व पढ़ापुर परगनों में न कोई नलकूप है न कोई और साधन सिंचाई का है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इस क्षेत्र का भू स्तर पथरीला व कड़ा है, इसलिये भारत सरकार की प्रयोगात्मक नलकूप योजना के अन्तर्गत नजीबाबाद कोट द्वारा सड़क पर २ नलकूप लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

*२५—श्री रतन लाल जैन (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त नजीबाबाद व पढ़ापुर परगनों में नलकूप बनवाने का विचार रखती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त प्रयोगात्मक नलकूपों के सफल होने पर नजीबाबाद व पढ़ापुर परगनों में और नलकूप बनाने पर विचार किया जायेगा।

राय बरेली के देव गांव में नहर की खांदी से किसानों को क्षति तथा श्यामपुर नाले का निर्माण

*२६—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के खीरो परगना के अन्तर्गत पुरवा ब्रांच नहर के उदौतपुर की नहर कोठी के पास देवगांव में जो नहर में खांदी हो गई थी उससे आराजी कितनी तादाद में डूब गई थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त खांदी के फलस्वरूप लगभग ८१ एकड़ भूमि जल निमग्न हो गई थी।

*२७—श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि ग्रामीणों के प्रार्थना-पत्र देने पर भी नहर विभाग ने कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया जिसके कारण बोये हुये खेतों का बीज नष्ट हो गया और खेत दुबारा बोने को नहीं मिले?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ग्रामीणों ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया। खांदी ९ व १० नवम्बर, १९५३ की रात्रि को हुई और इसकी सूचना प्राप्त होते ही खांदी बन्द कराने का उचित प्रबन्ध किया गया तथा अगले दिन प्रातःकाल १० बजे तक खांदी बन्द करा दी गई। लगभग ४५ एकड़ भूमि को आंशिक रूप से क्षति पहुंची जिसमें से ३२ एकड़ भूमि को जल निकलने के बाद पुनः बो दिया गया था।

*२८—श्री गुप्तार सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जमीन का पानी निकालने हेतु नहर विभाग ने एक नाला खोदा था, परन्तु उसके गहरा न होने से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस क्षेत्र में श्यामपुर नाम का नाला बन रहा है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, पूरा बन चुकने पर यह नाला उस बरसाती पानी को निकालेगा जो उस भाग में अधिक वर्षा के कारण एकत्रित होगा।

ज्वालापुर तथा गोवर्धनपुर के गांवों को बानगंगा की बाढ़ से हानि

*२९—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कनखल का बांध बनने से गंगा नदी का बहुत सा पानी बान गंगा में जाने लगा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह कहना कि कनखल का बांध बनने से गंगा नदी का बहुत सा पानी बानगंगा में जाने लगा है सत्य नहीं है। बानगंगा कनखल से लगभग ७ मील नीचे दायें किनारे पर स्पिल (spill) के तौर पर फूटती है जहां नहर विभाग इसकी देखभाल नहीं करता। बानगंगा में कनखल बांध बनने के पूर्व से ही स्पिल (spill) की शिकायत थी।

३०--श्री दीन दयालु शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि पिछले दो सालों में बानगंगा की बाढ़ से ज्वालापुर तथा गोवर्धनपुर परगनों के कितने गांवों में हानि पहुंची है और उस हानि का तखमीना क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--परगना गोवर्धनपुर के गांवों को बानगंगा की बाढ़ से हानि पहुचने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली परगना ज्वालापुर के कुछ ग्रामों की कुछ फसल को कुछ क्षति अवश्य पहुंची परन्तु वह रुपये में चार आने से कम थी।

*३१--श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस हानि से बचने के लिये बानगंगा पर कोई बांध बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--गत वर्ष वर्षा के बाद जिलाधीश सहारनपुर नें बानगंगा के किनारे के ग्रामों का निरीक्षण किया जिसके फलस्वरूप यह निश्चय हुआ कि विशुनपुर के पास जहां से बानगंगा गंगा नदी में से फूटती है एक बांध ऐसा बनाया जाये कि बानगंगा से जल कम मात्रा में आवे और गंगा नदी में ही जल जाता रहे इस सम्बन्ध में जिला प्लानिंग कमेटी सहारनपुर विचार कर रही है कि बांध बनने की सूरत में कितना रुपया गांव के लोग इक्ट्ठा कर लेगें तथा श्रमदान करेगें कितना गन्ना सोसाइटी से मिल जावेगा और कितना जिला प्लानिंग विभाग को देना होगा।

फलेरा जिला मेरठ में नलकूप का निर्माण

*३२--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)--क्या यह सच है कि फलेरा तहसील बागपत (मेरठ) के किसानों ने आज से तीन वर्ष पूर्व ५,००० रु० (पांच हजार रुपया) एक ट्यूबवेल लगवाने के लिये सरकारी कोष में जमा किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*३३--श्री तेजा सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि यह ट्यूबवेल अभी तक चालू हुआ है, या नहीं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--यह नलकूप अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसे पूर्ण कराने का कार्य संबंधित सहकारी समिति की इच्छानुसार जिला सहकारी संघ, मेरठ को सौंपा गया है और निर्माण कार्य हो रहा है।

गोरखपुर जिले में पक्के कुओं के लिये सीमेन्ट और कोयले के वितरण

*३४--श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९५३ में गोरखपुर जिले में किस तहसील में कितने पक्के कुंये बने ?

श्री राममूर्ति--जिला गोरखपुर में १९५३ में, कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत तहसील सदर में ९३, बांसगांव में १५६, महाराजगंज में १९ तथा फरेंदा में ५० पक्के कुएं बने।

*३५--श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कुंओं के निर्माण हेतु जिले में कितना सीमेंट और कोयला दिया गया और उसका वितरण किस प्रकार हुआ ?

श्री राममूर्ति---उक्त कुओं के निर्माण हेतु सन् १९५३ में प्रत्येक काश्तकार को २० से २५ बोरे सीमेंट तथा ४ से ५ टन तक कोयला दिया गया। जिले में किसानों की सुविधा के लिये वितरण केन्द्र खोले गये थे। कुओं बनाने की अर्जी मंजूर होने पर संबंधित किसानों से रजिस्ट्री पत्र द्वारा अनुरोध किया जाता था कि वह अमुक तिथि पर अमुक केन्द्र से कोयला व सीमेंट ले जायं। उनके आने पर उनसे बांड भरवाकर, जिम्मेदार व्यक्तियों की शिनाख्त व जमानत पर सामान दे दिया जाता था।

*३६---श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय---जो सीमेंट, कोयला कुंआ निर्माण को दिया गया वह किस रेट से दिया गया ?

श्री राममूर्ति---मार्च, १९५३ तक सीमेंट, किसानों को ६ रु० ९ आ० प्रति बोरा तथा अप्रैल, १९५४ से ५ रु० ८ आ० प्रति बोरा के हिसाब से दिया गया। कोयले का रेट ४० रु० प्रति टन था।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९५३ में गोरखपुर जिले में कितने कुंयें बनाने की योजना थी ?

श्री राममूर्ति---कुल ७४९ कुंयें बनाने की योजना थी और ३१८ बने।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय--- योजना के मुताबिक कुयें न बनने का कारण क्या था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुंयें तो गांव वाले बनाते हैं। हम तो उनको सहायता देते हैं।

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगीकि जितने कुंयें योजना में थे उतने इसलिये नहीं बने कि सामानों का वितरण समय के बहुत बाद हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं आयी। लेकिन सामान का वितरण तो अब प्लानिंग कमेटी के द्वारा प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिये होता है तो जो स्थानीय प्लानिंग कमेटियां होती हैं उनके मेम्बर माननीय सदस्य भी होंगे, उनको यह देखना चाहिये कि सामान का वितरण टाइम पर हो।

श्री रामअवध सिंह---क्या सरकार यह कृपा कर बतलायेगी कि बावजूद ताकीद के इस वर्ष अभी तक सामान या सहायता नहीं बांटी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस वर्ष से अगर १९५४ से है, तो १९५४ के लिये कुंओं का वितरण नहीं हुआ है, जितना इस साल का टारगेट है। १९५३ का जो कुछ है वहां यहां से बांटा जा चुका है। अगर वह नहीं पहुंच रहा है तो स्थानीय कमजोरी होगी, जिसकी अगर शिकायत आये तो मैं जांच करवा सकता हूं।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोयला तौल कर देने का आदेश दिया गया था या अन्दाजिया वितरण करने के लिये इजाजत दी गयी थी ?

श्री राममूर्ति---कोयला टनों और मनों में देने का आदेश दिया गया है। लेकिन अगर उस जगह तौलने की सुविधा नहीं होगी तो दूसरा तरीका निकाला होगा जिससे काम चल सके।

श्री रामनरेश शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि सामान वितरण करने के नियम बहुत कठिन हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह राय का सवाल है। उसको सदस्य द्वारा स्वयं महसूस किया जा सकता है।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय---क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि सरकार को सीमेंट और कोयला किस रेट पर मिलता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसके लिये तो गवर्नमेंट आफ इंडिया रेट बना देती है। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर में सूचना मिलने पर दे सकूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि वह कोयला जिस का जिक्र अभी जवाब के सिलसिले में किया गया ४० रु० टन मिलता है, वह किसानों को अपने घर तक पहुंचाने में ५२ रु० टन तक पड़ा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, ऐसा हुआ होगा। ढुलाई का खर्च तो पड़ेगा ही।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी गोरखपुर की प्लानिंग कमेटी की अकर्मणयता को देखते हुये उसे भंग कर देने पर विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य तो सब कुछ भंग ही करना चाहते हैं।

पिलखथरा डिस्ट्रीब्यूटरी अलीगढ़ डिवीजन के परिहा क्षेत्र में पानी न आने के कारण फसल को हानि

*३७---**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि पिलखथरा डिस्ट्रीब्यूटरी अलीगढ़ डिवीजन में पानी न आने के कारण परिहा क्षेत्र में फसल की जो बरबादी हुई उसकी कोई शिकायतें सरकार के पास आई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दो शिकायतें जनवरी, १९५४ में जब कि तंग रोस्टर से राजबहे चल रहे थे, प्राप्त हुई और दो फरवरी मास में। किन्तु २५ जनवरी से ही इन राजबहों में फाजिल पानी पहुंचा दिया गया था जिसके फलस्वरूप आबपाशी जितनी होनी चाहिये थी उससे १७५ प्रतिशत अधिक हुई।

*३८---**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री पानी न आने के कारण किसानों की जो हानि हुई है उसका अनुमान बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आरम्भ में पानी की कमी से किसी भी जगह खेती को कोई हानि नहीं पहुंची।

*३९---**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार इस हानि को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह प्रश्न नहीं उठता।

बेसूगंगी योजना आजमगढ़ का निर्माण

*४०---**श्री राम सुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसूगंगी योजना, आजमगढ़ के निर्माण में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है?

श्री राममूर्ति---बेसूगंगी योजना के निर्माण में मार्च, १९५४ के अन्त तक लगभग १,५०,००० रु० व्यय हो चुके हैं।

*४१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसूगंगी योजना की खुदाई कितने मील तक हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति—इस योजना के अन्तर्गत लगभग २५ मील नाली की खुदाई हो चुकी है ।

*४२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसूगंगी योजना के विरुद्ध कुछ किसानों ने सरकार के पास आवेदन-पत्र दिये हैं ?

श्री राममूर्ति—इस योजना के विरुद्ध कोई आवेदन-पत्र काश्तकारों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितना रुपया और खर्च होगा और यह योजना कब पूर्ण हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—इस योजना की कुल लागत ५,००,०३८ रुपया है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—कब पूर्ण हो जायगी, उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री राममूर्ति—इस पर काम हो रहा है । अभी यह निश्चित कहना तो मुश्किल है कि कब पूर्ण हो जायगी, लेकिन काम जल्दी हो रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना का ठेका किसको दिया गया है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो सूचना मिलने पर दरियाफ्त करके बतलाया जा सकता है । सारे प्रदेश में कहां-कहां सिंचाई का काम हो रहा है और कौन-कौन ठेकेदार हैं इस सबका पता मुझको नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना से कितने एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—४५ हजार एकड़ की ।

नल कूपों के मार्ग बनाने के लिये किसानों को फसलों की हानि का मुआवजा

*४३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूपों के निर्माण के लिये रास्ते बनाने से जो खेतिहरों की फसलों की हानि हुई है, उसका मुआवजा संबंधित खेतिहरों को देने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राम मूर्ति—नलकूपों के मार्ग बनाने के लिये जो फसलें कहीं काटी गई हैं उनका मुआवजा अवश्य दिया जायगा । ऐसी फसलों व खेतों की जांच के लिये प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सा प्रबन्ध किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुआवजा देने का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किस रेट से मुआवजा दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—आप संबंधित कानन के हिसाब से इसका खुद अन्दाजा लगा सकते हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुआवजा केवल फसलों का ही दिया जायगा या उस जमीन का भी जिस पर से रास्ता गुजरा है ?

श्री राममूर्ति—अगर जरूरत के वक्त फसल काटी जाती है तो उसका भी मुआवजा दिया जाता है और जमीन का मुआवजा तो दिया ही जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अब से पूर्व किसानों को मुआवजे की सूचना मिल गई या नहीं ?

श्री राममूर्ति—पहले डिपार्टमेंट मुआवजा तय करता है और फिर वे कागजात कलेक्टर महोदय के पास जांच के लिये जाते हैं और अप्रूव होने के बाद किसानों को उसकी इत्तिला दे दी जाती है ?

बांदा जिले की नरैनी तहसील से कालिंजर जाने वाली सड़क की निर्माण विभाग द्वारा व्यवस्था

*४४—श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की नरैनी तहसील से कालिंजर जाने वाली सड़क सरकार अपने निर्माण विभाग के अन्दर लेने को सोच रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतर्भुज शर्मा)—जी हां।

समय आवश्यक धन की प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री जगपति सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गत वर्ष इस सड़क का निरीक्षण राज्यपाल महोदय ने किया था और उन्होंने उसे बनाने के लिये आश्वाशन दिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, राज्यपाल महोदय गये थे और उन्होंने उस पर लिखा-पढ़ी की थी।

श्री जगपति सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन कब तक प्राप्त होगा ?

श्री चतर्भुज शर्मा—जब पैसा बजट में आ जायगा। लिहाजा हम लोग उम्मीद करें कि जल्दी ही अच्छी हालत आ जाय और पैसा प्राप्त हो सके।

*४५-४६—श्री राम लखन (जिला बनारस)—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

*४७—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

*४८-५०—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

*५१-५२—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

आजमगढ़ जिले में तहसीलवार नल कूपों की संख्या

*५३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने और किन किन स्थानों पर नलकूप लग चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—इसी विषय पर माननीय सदस्य के एक प्रश्न (संख्या ५३) का उत्तर दिनांक २७ अप्रैल, १९५४ को दिया जा चुका है। उस उत्तर की एक प्रतिलिपि भी मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५०–१५२ पर)

नयी सेक्रेटेरियट बिल्डिंग में तहखाने का निर्माण

*५४—श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग का जो भाग बनने वाला है और जिसके लिये टेंडर भी मांगे जा चुके हैं उसमें तलघरे (तहखाना) भी बनेंगे। यदि हां, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। सामान रखने तथा रिजर्व बैंक के सेफ्टी वाल्ट के लिये तहखाना बनाया जा रहा है।

*५५—श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा (अनुपस्थित)—क्या इन तलघरों के निर्माण के कारण बिल्डिंग की कीमत में दो लाख रुपये के लगभग अधिक खर्च होगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*५६–५७—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये]

*५८—श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायक निवास के कमरों में फर्नीचर की सुविधाएं और उनका भावी किराया

*५९—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विधायक निवास नं० १, २ तथा ३ के प्रत्येक कमरे के लिये वह कम से कम क्या-क्या फर्नीचर तथा अन्यान्य सुविधायें प्रदान कर रही हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विधायक निवास के कमरों के लिये फर्नीचर की निर्धारित की गई दर नत्थी किये नक्शा 'क' में दी हुई है।

कमरों में बिजली पंखा तथा पानी की यथेष्ट सुविधा दी गई है और उनकी सफाई के हेतु निम्न श्रेणी के कर्मचारी भी नियुक्त किये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५३ पर)

*६०—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या सरकार विधायक निवास के कमरों के किराये नियत करने पर पुनः विचार कर रही है? यदि हां, तो भविष्य में क्या किराया होगा और वह कब से लागू होगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। किराया क्या होगा और कब से लागू होगा यह विचारोपरान्त ही कहा जा सकेगा।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल—क्या माननीय वित्तमंत्री जी को ज्ञात है कि जो लिस्ट पेश की गयी है उस लिस्ट के मुताबिक अभी तक बहुत से कमरों में सामान नहीं है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बहुत से की बाबत तो मुझको मालूम नहीं थोड़े से कमरों की बाबत मुझे जरूर मालूम है उनमें कुछ जरूरत थी वह पूरी की जा रही है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय वित्त मंत्री जी को पता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- जी हां, यह सही है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या यह जो नया किराया लागू होगा उसके लिये माननीय सदस्यों को अभी पुराना किराया देना बन्द कर देना चाहिये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो हर साहब को अख्तयार है कि वह चाहे अदा करे या न करे। गवर्नमेंट को जरूरत होगी वह लेगी। जहां तक इसका ताल्लुक है तो जो बात तय हुई है वह यह प्रोसीजर पूरा कर रही है।

देवरिया की राप्ती और घाघरा आदि नदियों से नहर निकालने की योजना

*६१--श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या सरकार देवरिया की उन नदियों के किनारे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है बांध बनाने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब से ?

श्री राम मूर्ति--जिला देवरिया के उन क्षेत्रों का जो राप्ती, घाघरा तथा उनकी मुख्य शाखाओं द्वारा बाढ़ से भर जाते हैं सर्वे (survey) का प्रबन्ध किया जा रहा है। सर्वे के पश्चात् यह ज्ञात हो सकेगा कि किस तरह बाढ़ से बचाव के लिये बांध बनाये जा सकते हैं। जिला देवरिया में सर्वे (survey) का कार्य मई, १९५४ के अन्त में आरम्भ होकर मार्च, १९५५ तक जारी रहेगा।

*६२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार इन नदियों से नहर निकालने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राम मूर्ति--फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा देवरिया जिलों की सिंचाई के लिये राप्ती व घाघरा नदियों से कुछ पम्प नहरें (pamped canals) निकालने का प्रस्ताव है। इन पम्प नहरों की अभी तक जांच नहीं हुई है और न पूर्ण सर्वे (survey) हुआ है, पर यह काम शुरू कर दिया गया है, सर्वे का परिणाम ज्ञात होने पर ही इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

श्री राम सुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छोटी गंडक, बड़ी गंडक, कांसी, पूना, नरही और अन्य नदियों का क्यों नहीं सर्वे किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ये सभी नदियां ऐसी हैं जो बाढ़ वाले जिलों में बहती हैं। सर्वे होगा तो तमाम नदियों पर होगा और सब चीजों पर होगा कि किन किन नदियों पर कितनी बाढ़ आती है और कैसे उसे रोका जा सकता है।

श्री राम सुभग वर्मा--इन नदियों की बाढ़ से जो नुकसान होता है उसकी क्या व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--आपने स्वयं ही प्रश्न में इसका जिक्र दे दिया है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से बड़ी गंडक के बांध बनाने पर या किसी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में लिखापढ़ी कर रहे हैं ?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जी हां, बड़ी गंडक से एक बड़ी नहर निकालने की योजना है जिससे देवरिया और गोरखपुर जिलों में सिंचाई हो सके। केन्द्रीय सरकार से लिखापढ़ी भी हुई है और सहायता भी मांगी गई है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी से टांडा से नहर निकालने का प्रस्ताव और उसे आजमगढ़ जिले में ले जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जी हां, यह योजना हमारे यहां से तो स्वीकृत हो ही चुकी है। केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने पर कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में राप्ती नदी से नहर की किसी योजना पर वह विचार कर रहे हैं और उसके बांध पर भी?

श्री कमला पति त्रिपाठी—उसकी मरम्मत हो सकेगी तो वह की जायगी और अगर नये की आवश्यकता होगी तो वह किया जायगा लेकिन यह सब कुछ सर्वे के बाद ही हो सकेंगे।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना का सर्वे कराने में कितना रुपया खर्च किया जायगा?

श्री कमला पति त्रिपाठी—यह मुझे इस समय याद नहीं है। सर्वे का एस्टीमेट होता है लेकिन यह है कि अनावश्यक कुछ नहीं खर्च किया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अफसर की देखरेख में यह काम होने जा रहा है और कितने आदमियों से काम कराया जायगा?

श्री कमला पति त्रिपाठी—एक डिवीजन होगा, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ३-४ सब डिवीजनल अफसर यानी असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर और सर्वेयर इत्यादि होते हैं, ये सब उसमें होंगे, जो कार्य करेंगे।

श्री केशव पाण्डेय—इस सर्वे के कार्य में राप्ती नदी में क्या गोरखपुर और देवरिया दोनों जिले लिये जाने वाले हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि जितना बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और आजमगढ़ इत्यादि में, उस सबका सर्वे हम कराना चाहते हैं क्योंकि उनके बीच से घाघरा नदी तो बहती ही है और फिर राप्ती है।

*६३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४—श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

बहराइच जिले में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की संख्या, उनका कार्य और सरयू नहर योजना

*६५—श्री सियाराम चौधरी—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कितने कर्मचारी बहराइच जिले में कार्य कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति—इस समय बहराइच जिले में सिंचाई विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं:

१—ओवरसियर	..	..	३
२—जिलेदार	..	..	१
३—अमीन	..	..	२
४—पतरौल	..	..	३

श्री सियाराम चौधरी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये कर्मचारी कब से तैनात हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—निश्चित तौर पर तो नहीं मालूम लेकिन कुछ दिनों से काम कर रहे हैं।

श्री बसंतलाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों की तैनाती होने के बाद बहराइच जिले में कोई कार्य हुआ भी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरयू नहर, रामपुर सरोवर तथा बनगुवा सरोवर योजनायें तैयार हो चुकी हैं। बालापुर सरोवर तथा नानपारा के ३० ट्यूबवेल्स का सर्वे हो रहा है।

श्री बसंत लाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरयू नहर योजना के सम्बन्ध में कितना धन लगाने का अनुमान है तथा यह योजना कब तक पूरी हो जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस योजना का सर्वे हो रहा है। यह योजना दो करोड़ रुपये की है। भारत सरकार से रुपया मिलने पर तुरन्त चालू कर दी जायगी। जब तक रुपया नहीं मिलता तब तक स्वीकृत हुई योजना रक्खी हुई है।

श्री सियाराम चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो तीन सरोवर बहराइच में बनने हैं वे कब से चालू हो जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

रेहन्ड बांध के बारे में भारत की केन्द्रीय सरकार तथा अमेरिका से समझौते के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय सरकार से परामर्श

*६६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सरकार ने ३० मार्च को रेहन्ड बांध के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा अमेरिकी सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उसके पूर्व कोई परामर्श किया था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*६७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस समझौते की क्या-क्या शर्तें हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समझौते के अनुसार अमरीकी सरकार ३० जून, १९५६ तक सामग्री को प्राप्त करने और उसे भारत भेजने के लिये ८५ लाख डालर और इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन वर्ष तक विशेषज्ञों की सेवाएं अगर उत्तर प्रदेश सरकार को जरूरत हो, उपलब्ध करने के लिये २५ लाख डालर प्रदान करेगी। भारत सरकार ३१ मार्च, १९५७ ई० तक व्यय किये जाने के लिये १६६९ लाख रुपया प्रदान करेगी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, पिछले महीने में २९ तारीख को हो गये।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्हीं अमेरिकन विशेषज्ञों की मांग की है या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, की है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन विशेषज्ञों की मांग की गयी है, उनके टर्म्स क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—साढ़े आठ करोड़ रुपया इन्हीं के लिये है जो चीजें वहां से आयेंगी उनकी कीमत इसी में से अदा की जायगी।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो समझौता हुआ है उसके अनुसार क्या कार्यवाही शुरू हुई है और अगर नहीं तो कब तक शुरू होगी ? (विशेषज्ञों के आने के सम्बन्ध में)।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसमें किसी के आने का कोई सवाल नहीं है। जो सामान उसके लिये जरूरी है वह सब बाहर से मंगाया जायगा। जो काम होना है उसके स्पेसीफिकेशन्स कायम किये गये हैं, आर्डर्स तैयार किये जा रहे हैं जो दो एक माह में खत्म हो जायेंगे। मौके पर खुदाई का काम कराके बनाने का काम शुरू हो जायगा।

श्री हरिश्चन्द बाजपेयी—क्या यह इस सहायता के साथ अमेरीकी विशेषज्ञों का लेना भी अनिवार्य है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो दिया जा चुका है कि अगर सरकार चाहेगी तभी लिये जायंगे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मशीनरी और सामान के लिये डालर मिल रहा है, इसके लिये क्या यह लाजिमी है कि ये सब सामान और मशीनें अमेरिका की ही बनी हुई हों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, जरूरी तो नहीं हैं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समझौते के अन्तर्गत कोई ऐसी शर्त भी है कि रेहन्ड डैम का कंस्ट्रक्शन जो हो वह अमेरिकन फर्म के द्वारा किया जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, कतई नहीं।

श्री बसन्त लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सामान अमेरिका से मिलेगा वह सहायता के रूप में मिलेगा या कर्ज के रूप में मिलेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अमेरिका से जो एड मिलती है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया को बतौर गिफ्ट के मिलती है और गवर्नमेंट आफ इंडिया स्टेट्स को बतौर लोन के देती है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—वह धन जो अमेरिका से डालर के रूप में प्राप्त होगा, क्या वह धन अमेरिकन विशेषज्ञों की राय से ही खर्च किया जायगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, यह बिल्कुल हमारी राय के मुताबिक खर्च होगा।

*६८-६९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में खर्गसेनपुर के नाले पर पुल का निर्माण तथा चन्दबक व सैदपुर के बीच सड़क का पक्का करना

*७०—श्री लाल बहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार मड़ियाहूं केराकत (जौनपुर) सड़क पर जलालपुर तथा थाना गद्दी के बीच खर्गसेनपुर के नाले पर पुल बनाने का काम शीघ्र कार्यान्वित करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बोर्ड की सड़क होने के कारण पुल तथा पुलियां बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।

*७१—श्री लाल बहादुर सिंह—क्या सरकार चन्दबक (जौनपुर) सैदपुर (गाजीपुर) स्थानों के बीच की सड़क पक्की कराने को सोच रही है?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—इस सड़क के पक्का कराने के प्रश्न पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जिले में नल कूपों की योजना

*७२—श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैनपुरी जिले में अब तक कितने नलकूप बन चुके हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मार्च, १९५४ के अन्त तक मैनपुरी जिले में ६ नलकूप बन चुके हैं।

*७३—श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (अनुपस्थित)—इन नवनिर्मित नलकूपों में से कितने नलकूपों से सिंचाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन नलकूपों से अभी सिंचाई नहीं हुई है क्योंकि अभी बिजली की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

*७४—श्री शिववक्ष सिंह राठौर (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि जिस कम्पनी के द्वारा नलकूप बनाये जा रहे थे उसके स्थान पर अब दूसरी कम्पनी को यह कार्य सौंपा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैनपुरी जिले में ९८ नलकूप बनाने का ठेका जर्मन वाटर डेवलपमेंट कारपोरेशन को दिया गया था। ठेके के अनुसार कम्पनी ने १६ इंच व्यास से नलकूप बनाये किन्तु उनसे उचित मात्रा में पानी नहीं निकला। कम्पनी ने कहा कि भू स्तर में अनावश्यक मात्रा में पानी नहीं है। इसको ग़लत सिद्ध करने के लिये एक दूसरी कम्पनी एसोसिएटेड ट्यूबवेल्स को कहा गया और इस कम्पनी ने २७ इंच व्यास से पर्याप्त मात्रा में पानी निकाल दिया। जर्मन कम्पनी अब आगे इस योजना पर २७ इंच व्यास से नलकूप बनायेगी और उनसे किया गया ठेका अब भी चल रहा है।

*७५–७७—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—[१२ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ९–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गोंडा को सड़कों के निर्माणार्थ अनुदान

*७८—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, गोंडा को उसने सन् १९४९–५० में कितना रुपया सड़कों को बनाने के लिये दिया?

श्री गिरधारी लाल—सन् १९४९–५० में सड़कों के निर्माण के लिये जिला बोर्ड, गोंडा को कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

*७९—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० ने कौन कौन सी सड़कें फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी और उसके साथ कितना रुपया दिया है?

श्री गिरधारी लाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला बोर्ड, गोंडा को वापस की गई सड़कों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है। इन सड़कों के रखरखाव व सुधार के लिये सन् १९५२–५३ ई० में ११,५०० रु० तथा सन् १९५३–५४ ई० में १८,८००रु० के अनुदान जिला बोर्ड को दिये गये

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५४ पर)

*८०—श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)—[२६ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पथरी पावर हाउस से बिजली का वितरण

*८१—श्री रतन लाल जैन (अनुपस्थित)—क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पथरी पावर हाउस कब तक तैयार हो जायेगा और उससे बिजली कब मिलने लगेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पथरी पावर हाउस की मार्च, १९५५ तक तैयार होने की आशा है और तब ही उससे बिजली मिल सकेगी।

*८२--श्री रतन लाल जैन (अनुपस्थित)--क्या विद्युत मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त पथरी पावर हाउस से किस किस जिले को बिजली मिलेगी और उनमें ट्रांसमिशन लाइन कब तक बन जायेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पथरी पावर हाउस से गंगा ग्रिड क्षेत्र में बिजली मिलेगी जिन में यह जिले हैं।

सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, इटावा, आगरा, एटा, मथुरा, बदायूं, रामपुर, बरेली।

इन जिलों में ट्रांसमिशन लाइनें पहले ही से मौजूद हैं।

*८३--श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा) (अनुपस्थित)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद नगरपालिका की देवकाली रोड का निर्माण

*८४--श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि फैजाबाद नगरपालिका की जिस देवकाली रोड बनाने के लिये सन् १९५२-५३ के बजट में ५०,००० रुपया स्वीकृत किया गया था उसके निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गिरधारी लाल--लगभग १ मील ३ फर्लांग के पुनः निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है तथा आशा की जाती है कि शेष ६ फर्लांग भी आगामी बरसात में तैयार हो जायेगा।

*८५-८७--श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

हाथरस और सिकन्दराराऊ तहसीलों में नल कूपों की व्यवस्था

*८८--श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कब तक वह तहसील सिकन्दरा राऊ तथा तहसील हाथरस में पूर्व निश्चित राजकीय नलकूपों को बनाने का विचार रखती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तहसील हाथरस में बनने वाले ३८ नलकूपों की मार्च, १९५५ के अन्त तक बनकर तैयार हो जाने की आशा है। तहसील सिकन्दराराऊ में नलकूप बनाने की कोई योजना नहीं है।

जिला हमीरपुर में कबरई बांध से सिंचाई

*८९--श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या इस वर्ष की रबी फस्ल की सिंचाई के लिये जिला हमीरपुर के कबरई बांध से पानी दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस कारण ? यदि हां, तो कितने एकड़ में सिंचाई हुई है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--कबरई बांध ५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये बनाया गया है, किन्तु इस वर्ष रबी में इस बांध से केवल ६५७ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकी। यद्यपि काश्तकारों को पहले से सूचित कर दिया गया था कि उनको इस बांध से रबी की फसल में

सींचने के लिये पानी दिया जायगा, फिर भी उन्होंने 'पखा' तथा 'राकड़' भूमि में खरीफ की फसल बो ली और उसमें वे रबी की फसल न बो सके। इसके अतिरिक्त किसानों ने अभी तक पूर्ण क्षेत्र में गूलें नहीं बनवाई हैं। इन कारणों से वे कबरई डैम में एकत्रित पानी से पूर्ण लाभ न उठा सके और केवल ६५७ एकड़ भूमि ही सींची गई।

*९०—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कबरई बांध से किन-किन गांवों में सिंचाई हो सकेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कबरई बांध से जिन ग्रामों में सिंचाई होगी उनकी एक सूची मेज कर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५५ पर)

आजमगढ़ जिले में नलकूप योजना

*९१—श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि भारतीय अमरीकी सहायता १९५३ के अन्तर्गत ९९५ राजकीय नलकूपों की योजना के अनुसार आजमगढ़ में जो ४० नलकूप बने हैं वे किन-किन स्थानों पर हैं और उनसे कितनी सिंचाई इस साल हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टी० सी० ए० १९५२ की नलकूप योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में निर्धारित ४० नलकूपों में से २० फूलपुर तहसील में और २० आजमगढ़ तहसील में बनेंगे।

जर्मन कम्पनी ने, जिसको इन नलकूपों के बनाने का ठेका दिया गया है, अभी इस क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। अतः इन नलकूपों से सिंचाई होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रायबरेली से मेला श्री पार्वती तक की सड़क को पक्की करवाने का प्रबन्ध

*९२—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि रायबरेली से मेला श्री पार्वती तक जो सड़क १० मील पड़ती है वह कच्ची है तथा मेला के दिनों में उसकी दशा इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने लायक नहीं रहती ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

*९३—श्री राम प्रसाद—क्या सरकार इस सड़क को पक्का करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क के जिला बोर्ड के अन्तर्गत होने के कारण इसको पक्का करने का उत्तरदायित्व जिला बोर्ड, रायबरेली पर है।

१९५४ में सड़कों को पक्की करवाने की योजना

*९४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में किन-किन सड़कों को पक्का कराने की योजना है और उसकी लम्बाई कितने मील होगी ?

श्री गिरधारी लाल—सन् १९५४ में उन्हीं सड़कों को पक्का कराने की योजना है जो पंचवर्षीय योजना में तथा शिड्यूल आफ न्यू डिमांड्स के अन्वर्गत इस साल के बजट में रक्खी

गई हैं। इस योजना के अनुसार १४५ मील पक्की सड़कों का पुर्ननिर्माण, २८१ मील नई पक्की सड़कें तथा १३९ मील नये सी० सी० ट्रैक्ट बनाने की आशा की जाती है।

*९५—श्री नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस में बिजैगढ़ सासनी तथा सासनी हस्तपुर रोड बनाने की योजना उनके विचाराधीन है? यदि नहीं, तो कब तक सरकार इन सड़कों को बनाने का विचार रखती है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

इस समय कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता।

जिला खीरी में डामर की सड़कों की लम्बाई

*९६—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में कितने मील लम्बी डामर की सड़कें हैं तथा कितने मील लम्बी डामर की सड़क अगले वर्ष में बनाने का विचार है?

श्री गिरधारी लाल—जिला खेरी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत इस समय ५ १/४ मील लम्बी डामर की सड़कें हैं तथा आर्थिक वर्ष १९५४-५५ ई० में १४ १/४ मील डामर की सड़कें और बनाने का प्रस्ताव है।

*९७—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सब से कम डामर की सड़कें किस जिले में हैं?

श्री गिरधारी लाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सब से कम डामर सड़कें जिला देवरिया में हैं।

जौनपुर जिले में नलकूपों की गूलें बनाने में खेती को हानि एवं उसके लिये मुआविजा

*९८—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में नलकूप की गूलें निकलवाने में खेतों की फसल को जो क्षति पहुंच रही है उसका मुआवजा सरकार किसानों को देगी?

श्री कमला पति त्रिपाठी—जौनपुर जिले में नलकूपों की गूलें बनाने में यदि कहीं खेतों की फसलों को हानि पहुंची होगी तो उसका मुआवजा किसानों को अवश्य दिया जायगा

अप्रैल, १९४७ से मार्च १९५४ तक केन्द्रीय सरकार से राज्य को नलकूप बनवाने के लिये सहायता तथा स्वयं राज्य सरकार द्वारा सहायता

*९९—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९४७ से मार्च, १९५४ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने कितने ट्यूबवेल्स की सहायता विभिन्न योजनाओं द्वारा उत्तर प्रदेश को दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को कितने कितने ट्यूबवेल दिये हैं और उनमें से कितने टयूबवेल्स को बिजली दी जा चुकी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अप्रैल, १९४७ से मार्च, १९५४ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने ९५१ ट्यूब वेल की आर्थिक सहायता भिन्न योजनाओं द्वारा उत्तर प्रदेश को दी है उनमें से ५५७ नल कूप मार्च, १९५४ के अन्त तक बिजली द्वारा चालू किये जा चुके हैं। जिलेवार सूची निम्नप्रकार है :

जिला	नल कूप की संख्या	नलकूप संख्या जिनको बिजली दी गई
१—सहारनपुर	७	५
२—मुजफ्फरनगर ..	५२	३४
३—मेरठ	१२०	६७
४—बुलन्दशहर	१४६	४७
५—अलीगढ़	२९१	१९५
६—ऐटा	२७	१९
७—बिजनौर	४४	३०
८—बदायूं	७६	२७
९—मुरादाबाद	८७	३२
१०—बरेली	१	१
११—गोरखपुर	२२	२२
१२—बस्ती	५०	५०
१३—देवरिया	२८	२८
योग	९५१	५५७

*१००—**श्री बलवन्त सिंह**—क्या सरकार कृपा करक यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं अपने खर्चे से प्रांत के किस-किस जिले में १९४७ से मार्च, १९५४ के अन्त तक कितने-कितने ट्यूबवेल बनवाये हैं और इनमें से कितनों को बिजली मिल चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं अपने खर्च से (जिसमें भारत सरकार से मिला कर्ज भी शामिल है) अप्रैल, १९५४ के अन्त तक ८४५ ट्यूबवेल बनवाये हैं जिसमें से मार्च, १९५४ के अन्त तक ५७२ नलकूप चालू किये जा चुके हैं। जिलेवार सूची निम्न प्रकार है :

जिला	नलकूपों की संख्या: कुल जो बनाये जायेंगे।	नलकूपों की संख्या: पूर्ण हो गये	शक्ति पूर्ण हो गये: बिजली से	शक्ति पूर्ण हो गये: डीजल से
१—सहारनपुर	९९	९१	१६	..
२—मुजफ्फरनगर ..	१	..	..	..
३—शाहजहांपुर ..	५५	५५	५५	..
४—सीतापुर ..	४७	४६	४७	..
५—खीरी ..	१४८	१४८	१४८	..
६—एटा ..	९१	..	..	..

जिला		नलकूपों की संख्या			
		कुल जो बनाये जायेंगे।	पूर्ण हो गये	शक्ति पूर्ण हो गये	
				बिजली से	डीजल से
७—मैनपुरी	..	९८	६	..	..
८—फर्रुखाबाद	..	१४५	८५	..	..
९—कानपुर	..	६	३	..	..
१०—फैजाबाद	..	२३६	११६	११६	..
११—सुलतानपुर	..	२००	..	..	..
१२—आजमगढ़	..	१४७	३१	२०	७
१३—गोंडा	..	३०	३०	३०	०
१४—गाजीपुर	..	७६	१४	..	१४
१५—बलिया	..	७६	३	..	३
१६—गोरखपुर	..	६५	२१	१३	०
१७—देवरिया	..	१००	४४	२०	७
१८—बस्ती	..	१३०	८५	२५	८
१९—बनारस	..	१३०	३९	..	२६
२०—जौनपुर	..	९५	१३	..	४
२१—बिजनौर	..	१४	१४	१३	..
२२—बहराइच	..	३०	..	..	..
२३—तराई क्षेत्र	..	५०	..	..	..
		२०६९	८४५	५०३	६९

गाजीपुर शहर से मऊ जाने वाली सड़क की तथा बेसों नदी के पुल की दुर्दशा

*१०१—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर शहर से मऊ जाने वाली सड़क बेसों नदी के पुल के करीब पिछली अति वृष्टि में टूट गई है जो अब तक वैसी ही पड़ी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं, सड़क की मरम्मत का कार्य हो रहा है जिसके जल्द पूरे हो जाने की आशा है।

*१०२—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि बेसों नदी पर बना हुआ खालिस पर के करीब का पुल बाढ़ से विशेष खतरनाक हो चुका है?

श्री गिरधारी लाल—बाढ़ से इस पुल को भी हानि पहुंची थी। इसकी मरम्मत हो रही है।

घाघरा नदी के कटाव से दोहरी घाट-आजमगढ़ की सड़क को खतरा

*१०३—श्री झारखण्डे राय—क्या सरकारको मालूम है कि दोहरी घाट के पास घाघरा के कटाव के कारण दोहरी घाट आजमगढ़ सड़क तथा उसके पूर्व के गांवों को दिन-दिन खतरा बढता जा रहा है? अगर हां, तो उसके रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। घाघरा नदी गांवों तथा सड़क की तरफ काट कर रही है इसके रोकथाम के लिये बंडाल का काम हर साल किया जाता है।

मऊ विद्युत-केन्द्र की शक्ति और उससे नल कूपों का चालन

*१०४—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ विद्युत-केन्द्र से कितने नलकूपों को सम्प्रति शक्ति मिल रही है तथा कितने किलोवाट की शक्ति पैदा हो चुकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ पावर हाउस से ३४ नलकूप बिजली ले रहे हैं। इनके लिये कुल १७० (K. W.) किलोवाट बिजली की जरूरत है। इस पावर हाउस की इंस्टाल्ड कैपेसिटी (Installed Capacity) ६०० *K. W.* है।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर के बिजली घर से बस्ती जिले के कस्बों को बिजली देने की योजना

१—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के बिजली घर से बस्ती जिले के उन कस्बों को जो कि गोरखपुर-गोंडा लूप लाइन पर हैं (जैसे उस्काबाजार, नौगढ़, शोहरतगढ़ आदि) बिजली देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

सहकारी स्थायी समिति के उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि सहकारी स्थायी समिति के एक रिक्त स्थान के निर्वाचन के लिये १० मई, १९५४ के ३ बजे तक का समय था। समय के भीतर केवल एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है जो श्री शुकदेव प्रसाद, एम० एल० ए० गोरखपुर का है। सचिव ने इसकी सूक्ष्म परीक्षा कर ली है और इसको विधिवत् पाया है। नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि १२ मई के तीन बजे तक है। अगर नाम वापस न हुआ तो नाम वापसी का समय बीत जाने के उपरान्त श्री शुकदेव प्रसाद, सहकारी स्थायी समिति के लिये विधिवत् निर्वाचित हुए, घोषित कर दिये जायगें।

२० अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न ७७ के एक अनुपूरक उत्तर का संशोधन

निर्माण उप-मंत्री (श्री चतर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि पिछले मंगलवार, २० अप्रैल को श्री मनीलाल गुरुदेव के ७० वें नं० के प्रश्न पर श्री जोरावर वर्मा जी ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की वापसी का समय अप्रैल, सन् १९५२ बतलाया था। असल में वह अगस्त, सन् १९५२ है। इसको दुरुस्त कर दिया जाय।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में साढ़े ८ बजे रात में मेस्टन रोड पर जो लाठी चार्ज हुआ था उस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने कोई वक्तव्य अभी तक नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—आप अभी बैठ जायं। मैं समझता था कि माननीय निर्माण मंत्री जी ने जो अभी प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में कहा उसके बारे में आप कहना चाहते हैं। मैं निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसकी दुरुस्ती कर दी जायगी, माननीय मंत्री जी कृपा कर के सही उत्तर मेरे पास भेज दें।

मेस्टन रोड, कानपुर पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य न दिये जाने पर आपत्ति

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि २५ अप्रैल को कानपुर में जो मेस्टन रोड पर लाठी चार्ज हुआ, उस पर जब काम रोको प्रस्ताव आया था तो आपने उसको अवैधानिक करार दिया था और इसके साथ ही माननीय गृह मंत्री जी से आपने चाहा था कि उसकी मालूमात करके वह यहां वक्तव्य दें। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी उस पर अपना वक्तव्य दें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि मुकदमा अदालत में जा चुका है और पेशी भी हो चुकी है, ऐसी हालत में मेरी समझ में मेरा वक्तव्य देना अनियमित होगा।

श्री अध्यक्ष—क्या मुकदमा भी हुआ है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—अध्यक्ष महोदय, साढ़े ८ बजे रात के वाक्ये और वारदात पर कोई मुकदमा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसी के सम्बन्ध में कहा था कि अगर गृह मंत्री जी प्रकाश डालना चाहें तो डाल दें। अगर माननीय गृह मंत्री किसी दूसरे रोज जांच करके उस पर वक्तव्य देना चाहें तो दे दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसके सम्बन्ध में कल प्रश्नों के बाद वक्तव्य दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५६–१५९ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ को १२ मई, १९५४ तक पारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—कल जो प्रस्ताव श्री कालीचरण टंडन द्वारा प्रस्तुत किया गया था अब उस पर विवाद जारी रहेगा।

इस सम्बन्ध में मैंने जो सुझाव दिया था उसके मुताबिक कोई समझौता हो गया हो तो श्री काली चरण जी बतायें।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल जैसा कि आपने आदेश दिया था उसके अनुसार मुख्य मंत्री जी और विरोधी दल के नेताओं से बातचीत हुई और उसके बाद मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि यह समझौता

हो गया है कि १४ तारीख तक पंचायत राज बिल समाप्त कर दिया जायगा और जिस प्रकार कल भवन ने भाषणों का समय सीमित किया था वही आगे भी चलता रहेगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--- अध्यक्ष महोदय, भाषणों के समय की सीमा तो कल के लिए ही थी । अब जब १४ तारीख तक पास होने की बात है तो भाषणों की सीमा रखना या न रखना कोई अर्थ नहीं रखता।

श्री अध्यक्ष---आप अलग अलग हिस्से पर प्रकाश डालें कि आपने कौन सी बात स्वीकार कर ली है और कौन सी बात स्वीकार नहीं की है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी कठिनाई हमारे सामने रखी और यद्यपि उनमें अधिक तर्क नहीं था, लेकिन फिर भी जनता के हित की दृष्टि से हमने मंजूर कर लिया है कि पंचायत राज संशोधन बिल १४ मई तक समाप्त हो जाय, और गैर सरकारी दिन या तो १४ को हो जायगा या १५ को हो। यह दो काम जरूर होंगे और इसके अलावा कोई काम सदन में न होगा और जितना काम एजेंडे में रह जायगा वह आगे के सेशन में चला जायगा।

श्री अध्यक्ष---दूसरे बिल जो हैं उनके बारे में जो तय हुआ हो वह आप स्पष्ट कर दें ।

श्री कालीचरण टंडन---जो बिल हैं वह तो सेलेक्ट कमेटीज के सुपुर्द हो जायंगे और जहां डिसकशन होना होगा वह आपकी आज्ञा से हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष--- जो बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाने होंगे वही तो चले जायंगे या सब चले जायंगे ?

मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या निश्चित हुआ था, वह बता सकेंगे तो अच्छा रहेगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह मीटिंग हुई तो यह सदन चल रहा था, इसलिये मेरा यहां आ जाना जरूरी हुआ और मैं थोड़ी देर तक वहां रहा, लेकिन यह मुझे मालूम हुआ कि जितने बिल सेलेक्ट कमेटी को जाने वाले हैं वह बगैर बहस मुबाहिसे के सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिये जायं और सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद बहस हो जायेगी। जो बिल पास होने वाले हैं और सदन के सामने हैं उनके बारे में तो यही होगा कि वे मुल्तवी हो जायेंगे और सटरडे को असरकारी दिन होगा और १५ तारीख को असेम्बली खत्म हो जायगी। ऐसा निश्चित हुआ था ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पंचायत राज और गैर सरकारी दिन का सवाल है ये दोनों काम १५ तारीख तक हो जायेंगे लेकिन यह बात अभी तक तय नहीं हो गई है कि १४ को पंचायत राज्य बिल पर विचार होगा या वह गैर-सरकारी दिन रहेगा। अगर १४ को गैरसरकारी दिन रहेगा तो पंचायत राज १५ को हो जायगा और १४ के बजाय १५ को गैरसरकारी दिन होगा, तो १४ को पंचायत राज्य खत्म हो जायगा और जो इलाहाबाद आगरा यूनिवर्सिटी और कृषि आयकर विधेयक सेलेक्ट कमेटी को जाने वाले हैं उनके बारे में सरकार से समझौता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हुआ है कि प्रवर समिति में भेजने के पहले जो वादविवाद सिद्धान्त पर हुआ करता है और सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद सिद्धान्त पर वादविवाद नहीं हो सकता वह नियम इस समय हटा दिया जाय और उस वक्त जब सेलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आ जायगी तब साधारण वादविवाद भी हो जायेगा और हर धारा पर अलग अलग जैसा नियम है विचार किया जायगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि शायद कोई ग़लतफहमी रह गई है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक आने वाला है। गवर्नमेंट यह चाहती है कि यह भी सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो जाय। लेकिन माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने उसका जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—ठीक है अगर सिद्धान्त मान लिया जायगा तो उस पर बहस बाद में हो जायगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सेलेक्ट कमेटी में उसके जाने में एतराज तो नहीं है लेकिन अभी उसके यहां पेश होने में देर है लेकिन अगर वह भी १५ तक पेश हो जायगा तो समझौते के मुताबिक हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री चरण सिंह—वह कल तक हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक ग़लत फहमी और दूर होनी चाहिये और वह यह है कि इस पंचायत राज विधेयक के जो संशोधन हुये हैं या होंगे उनके जो नियम बनेंगे वे भी ध्यान में रखे जायंगे कि अगले सेशन में हमारे सामने आ जायं।

श्री मोहनलाल गौतम—ठीक है। वह तो मैं पहले ही कह चुका हूं वह तो आयेंगे ही।

श्री अध्यक्ष—वह तो निश्चित बात है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कल जो कुछ बातें हुईं वह इतनी थीं कि टंडन जी अपने प्रस्ताव को पहले वापस कर लेंगे और उसके बाद जो निश्चय हो उसके अनुसार कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि वह वापस ले रहे हैं लेकिन पहले मैं तो जान लूं कि क्या बातें निश्चित हुई हैं?

तो जहां तक मुझे अभी तक स्पष्टीकरण मिला है वह यह है कि १५ तारीख़ तक तो यह सदन बैठेगा और इस समय के अन्दर ही पंचायत राज्य विधेयक पारित हो जायगा। वह चाहे १४ को पारित हो या १५ को पारित हो। अगर असरकारी दिन १४ को होगा तो वह पंचायत राज्य विधेयक १५ को खत्म होगा और असरकारी दिन १५ को होगा तो पंचायत राज विधेयक १४ को ही खत्म हो जायगा। दूसरे जो विधेयक उपस्थित किये जा सकेंगे उस रोज तक उनमें से जिन्हें सेलेक्ट कमेटी में भेजना है वह सब सेलेक्ट कमेटी में भेजे जायंगे और सदन यह प्रस्ताव कर देगा कि जो यह नियम है कि सिद्धान्तों के ऊपर सेलेक्ट कमेटी से विधेयक के लौटने के बाद वादविवाद नहीं हुआ करता वह इन विधेयकों के लिये स्थगित किया जाता है और सदस्यों को मौका दिया जायगा कि वे उन विधेयकों के सिद्धान्तों पर भी वादविवाद कर सकें।

तीसरा प्रश्न रहा समय का कि हर एक सदस्य कितना समय भाषण के लिये ले। इस सम्बन्ध में जैसा कल समय था वह तो कल के लिये था इसके बारे में दो पथक पृथक स्मृतियां मेरे सामने हैं।

एक तो स्मृति, जो तस्फिया हुआ उसके बारे में यह है कि इस बारे में कोई तस्फिया नहीं हुआ है कि समय दस मिनट और सात मिनट ही हो। दूसरी में यह कहा जाता है कि यह तय पाया था कि समय का निर्धारण करना ठीक होगा। मैं सिर्फ इस विषय में कहता हूं कि यह एक बहुत ही मामूली सी बात है कि सदन किसी वक्त में भी यह तय कर दे कि इस तरह से भाषण का समय होगा—इस समय इतना ही कहूंगा कि बहुत से महत्व के जो संशोधन हैं उनके बारे में तो यह कर दिया जाय कि उनके ऊपर कम से कम कुछ समय दिया जाय नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि एक माननीय सदस्य आधे घंटे और पौन घंटे बोलना शुरू करें और उसके हिसाब से हम लोग ३५—५० धाराओं तक ही पहुंचें और बाक़ी धारायें महत्वपूर्ण होते हुए भी बिना विवाद के पास हों तो इस संबंध में अनुभव यह बताता है कि इस प्रकार जो विधेयक पास होगा उसमें बहुत सी त्रुटियां रह सकती हैं। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा समय का नियन्त्रण कर लेना ही उचित दिखलायी देता है।

क्या माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी इस विषय में कुछ विचार कर सकते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी——कल आरजीतौर पर यह समझौता हो गया था लेकिन इस समय की पाबन्दी को मैं एक बहुत बड़ा अपने अधिकारों के ऊपर कुठाराघात समझता हूं। मैं इस किस्म की कोई परम्परा नहीं बनाना चाहता कि हमारा समय किसी भी बिल में, चाहे वह समझौते से ही हो, नियन्त्रित किया जाय। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि चूंकि समझौता हो चुका है इसलिये हम स्वयं ही ऐसा नियन्त्रण रखेंगे जिससे सम्पूर्ण विधेयक पर विवाद हो सके। इसलिये समय के नियन्त्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष——तो आप संशोधन चुन लें और उनकी सूचना मुझे दे दें कि इन संशोधनों पर हम लोग बोलना चाहते हैं। इससे बीच में मैं थोड़ी सी जल्दी करा दिया करूंगा।

माननीय स्वशासन मंत्री जी भी यह उचित समझते हों तो मैं अभी समय निर्धारण नहीं करूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम——मैं ठीक समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष——मैंने यह कहा कि कोई संशोधन जिनके ऊपर आप चाहते हों कि थोड़ा सा विवाद हो, उनकी सूचना अगर आप मुझे पहले से दे दें तो यह जो तीनचार रोज बाक़ी हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक सदन पहुंच जाय। लेकिन ऐसा कोई निश्चिय न किया जाय कि दस मिनट ही कोई सदस्य बोले।

श्री मोहन लाल गौतम——मैं तो यह समझता हूं कि अगर दस और सात मिनट का समय तय हो जाता तो उसमें विरोधी दलों की रक्षा होती इस माने में कि वह अन्तिम धारा तक पहुंचने का प्रयत्न करते और हर बात पर वह अपनी राय जाहिर करते। अब यह हो सकता है कि जब समय की कोई लिमिट नहीं रही तो हर एक मेम्बर बोल सकता है और हर एक मेम्बर बोलना चाहेगा। इसलिये अगर कहीं दो चार धाराओं पर ही चारों दिन ख़त्म हो गये तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि जो अमेंडमेंट मुझे मंजूर करना होगा उसे ध्यान से देख कर मैं कहूंगा कि यह मंजूर है और यह नामंजूर है और इस तरह से इस को पास कराने में तो मुझे कोई दिक्क़त नहीं होगी, लेकिन विरोधी दलों को ही इसमें अपनी राय जाहिर करने की सुविधा होगी और समय नियत हो जाय। लेकिन अगर उसके अधिकारों पर इससे कुठारघात होता है तो मैं उनके अधिकारों पर कोई कुठारघात नहीं करना चाहता सिर्फ इतनी बात है कि १४ तारीख़ तक यह पास हो जायगा।

श्री अध्यक्ष——१४ या १५। असरकारी दिन १४ को लिया गया तो फिर १५ को पास हो जायगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी को उनकी इस सहानुभूति के लिये धन्यवाद देता हूं। जब कि समझौता हो गया है कि १४ या १५ तक यह समाप्त हो जायगा तो फिर हम भी विश्वास करें कि हरएक धारा पर उचित बहस हो जायगी और जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, इसमें समय निर्धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से नियन्त्रण कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह ठीक है। यह तय हुआ कि कोई समय निर्धारित भाषण के लिये न किया जाय और जो महत्वपूर्ण संशोधन होंगे, अगर उनकी सूचना मिल जाय तो उस संशोधन तक पहुंचने का प्रयत्न कर हर एक माननीय सदस्य करें और इस प्रकार मुझे भी सहायक होगा जिसमें कि वहां तक पहुंचा सकूं।

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मेरे भी बहुत से संशोधन हैं। मैं चाहता हूं कि समय निर्धारित किया जाय तो सभी पर विचार हो जाय। और मैं समझता हूं कि अगर १० मिनट कम हैं तो १५ मिनट कर दिया जाय। लेकिन समय का विधान जरूर कर दिया जाय ताकि सभी पर विचार हो सके।

श्री अध्यक्ष---अब जब माननीय सदस्यों का मत है कि समय का निर्धारण नहीं करना है तो मैं समझता हूं कि यह प्रयत्न किया जायगा कि माननीय सदस्य मुझे पहले सूचना दे दें कि यह संशोधन महत्व के हैं। मैं इसके लिये प्रयत्न करूंगा और मुझे आशा है कि सदन मेरे साथ सहयोग करेगा। माननीय काली चरण टंडन, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री काली चरण टंडन---आपके सामने हमारे मित्रों ने रोशनी जाहिर की इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आम तौर से इसके बाद अधिकांश माननीय सदस्य ऐसे होंगे जो अपने संशोधन वापस कर लेंगे। आप के सचिवालय को पहले संशोधन छपवाने पड़ते हैं और काग़ज़ का ख़र्च होता है, गवर्नमेंट प्रेस को परेशानी होती है। अगर दोनों तरफ़ से यह मिलान हो जाय कि फलां संशोधन पेश नहीं किये जायेंगे और उसकी तस्दीक हमारे सामने आ-जायेगी तो सहूलियत हो जायगी और मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह उचित सुझाव है आपका और माननीय स्वशासन मंत्री प्रयत्न करें कि जो संशोधन ऐसे हैं, जो छापना भी आवश्यक हो उनकी सूचना मुझे दे दें। और माननीय राम नारायण त्रिपाठी और भी दलों के नेता अपने दल के सदस्यों के संशोधनों के बिषय में ऐसा ही करें। माननीय स्वशासन मंत्री, आपने कल शायद एक संशोधन के बारे में जब सदन स्थगित होने लगा था उस वक्त यह कहा था किसकी भाषा पर विचार करेंगे और उस संशोधन के विषय में आप आज कुछ कहेंगे ?

*उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

†खण्ड २३ (क्रमागत)

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इसको इस तरह से रीड्राफ्ट करने की आज्ञा दे दें तो उसमें जो कल शक था वह

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।
†७ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

दूर हो जायगा। खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

श्री अध्यक्ष—क्या रख दिया जाय। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बाद ?

श्री मोहन लाल गौतम—25 (I) सबस्टीट्यूट कर दिया जाय। २ ज्यों का त्यों है।

"25 (1)—A Gaon Panchayat may appoint such staff (other than the secretary) as may from time to time be necessary :

Provided that it shll not create any post not already provided for in the budget except with the previous approval of the Prescribed Authority.

Provided further that it may in an emergency create any such post and make appointment there to without such approval, but its intimation shall be sent forthwith to the Prescribed Authority and the post including the appointment thereto shall terminate if the Prescribed Authority does not approve the same"

पोस्ट को क्रीयेट करने का अधिकार तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की आज्ञा से हो लेकिन जब एक पोस्ट क्रियेट हो गई तो उसका एप्वाइन्टमेंट गांव पंचायत कर देगी, यह था। तो उसको, क्लैरीफाई करने के लिये इस तरह से कर दिया गया है। अगर काटजू साहब मंजूर करें तो यह सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय ।

*श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय दूसरे प्रोवाइजो को देख लें। मेरे ख्याल में तो इसमें संभव है कि कुछ शब्दावली में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो क्योंकि इससे फिर यह भ्रम हो सकता है कि पंचायतें नयी नियुक्ति नहीं कर सकती हैं। मंत्री महोदय ने कहा था कि इसका आशय यह है कि जहां तक नियुक्ति का संबंध है उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हस्तक्षेप नहीं करेगी परन्तु यदि कोई नयी पोस्ट क्रियेट की जायगी तो उसके लिये स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। तो जो दूसरा प्रोवाइजो है उसमें थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। इसकी भाषा यह है :—

"Provided further that it may in an emergency create any such post and make appointment thereto without such approval , but its intimation shall be sent forthwith to the Prescribed Authority and the post including the appointment thereto shall terminate if the Prescribed Authority does not approve the same."

अब यहां जो शब्द "एप्रूवल" है अगर क्रिएशन से उसका संबंध है तब तो ठीक है लेकिन अगर नियुक्ति से उसका संबंध आ जायगा तो फिर वही भ्रम इसमें आ जायगा कि अधिकार कब हो गया और अधिकार की सीमा नियुक्ति तक हुई नहीं है। तो मंत्री महोदय इसको जरा देख लें।

श्री मोहन लाल गौतम—यह भ्रम होने की कोई संभावना तो नहीं है लेकिन काटजू साहब ज्यादा ज्ञान रखते हैं। अगर "एप्रूव दि सेम" के माने एप्वाइंटमेंट भी इन्क्लूड होते हैं तो इसको क्लेरिफाई कर दिया जा सकता है। यहां मतलब सिर्फ एप्रूवल आफ दि क्रिएशन आफ दि पोस्ट का है। तो "सेम" में अगर एप्रूवल और एप्वाइन्टमेंट दोनों इन्क्लूड होते हैं तो यह यहां कर दिया जाय "and if the Prescribed Authority does not approve the creation of the post"

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं आपका यह खंड २३-१ के संशोधन के रूप में लूंगा। माननीय काटजू जी, क्या आप अपने दोनों संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री शिवनाथ काटजू—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वशासन मंत्री जी, आप अपना संशोधन उपस्थित कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उपधारा (I) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"25 (1) A Gaon Panchayat may appoint such staff (other than the secretary) as may from time to time be necessary :—

Provided that it shall not create any post not already provided for in the budget except with the previous approval of the Prescribed Authority,

Provided further that it may in an emergency create any such post and make appointment thereto without such approval, but its intimation shall be sent forthwith to the Prescribed Authority and the post including the appointment thereto shall terminate if the Preseribed Authority does not approve the creation of the post."

यहां पर शब्द " same " से भ्रम होता था इसलिये उसकी जगह पर यह कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

'25 (1) A Gaon Panchayat may appoint such staff (other than the Secretary) as may from time to time be necessary : —

Provided that it shall not create any post not already provided for in the budget except with the previous approval of the Prescribed Authority,

Provided further that it may in an emergency create any such post and make appointment thereto without such approval, but its intimation shall be sent forthwith to the Prescribed Authority and the post including the appointment thereto shall terminate if the Prescribed Authoriity does not approve the creation of the post."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 धारा की उपधारा (2) की पंक्ति ३ के अन्त में शब्द "Panchayat" के बाद अल्प विराम " , " को हटा कर पूर्ण विराम " . " रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ के बाद की चारों पंक्तियां निकालकर उसके अन्त में निम्नलिखित "Proviso" रख दिया जाय :—

"Provided that the Gaon Panchayat may recommend transfer of the Secretary by a special resolution passed by a vote of not less than two-third of the total number of the members of the Panchayat in the manner prescribed."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह दो संशोधन अलग अलग हैं वैसे एक ही है। इसमें शब्द 'रिज्योल्यूशन" छूट गया है।

अध्यक्ष महोदय, जो ग्राम सभा का सेक्रेटरी है उसका काम इतना अधिक नहीं है कि उसके रखने की आवश्यकता हो। दूसरी चीज यह है कि अभी तक का अनुभव बतलाता है कि ऐसे अधिकांश सेक्रेटरीज हैं जो अपने घर पर ही रहते हैं और कभी भी गांव सभा में नहीं जाते हैं या एक जगह पर रहकर अपने कागजात की खानापूरी कर लेते हैं। मेरी समझ में उनको रखना उचित नहीं है और अगर है तो कुछ न कुछ बंधन अवश्य होना चाहिये। अभी तक जो संशोधन आये हैं उनमें मैंने भी एक संशोधन रखा था इसके टर्मीनेशन के लिये तथा दूसरी और बातों के लिये और कहा था कि उसमें पंचायत सेक्रेटरी को भी सम्मिलित कर लिया जाय लेकिन मंत्री महोदय के कहने से मैंने उसको वापस ले लिया। गांव पंचायतों को अधिकार होना चाहिये कि यदि वह दो तिहाई वोट्स से ट्रांसफर के लिये सिफारिश कर दें तो उसका ट्रांसफर हो जाना चाहिये। दूसरे खंड में जो शब्द हैं "as may be prescribed, the power to impose any punishment other than discharge or dismissal." इनको हटा दिया जाय। मेरी समझ में यह शब्द बेकार है। उनसे कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। गांव सभा के लिये मुझे कोई ऐसा आश्वासन दिया जाय गांव सभा खुद अपनी पावर से उनको ट्रांसफर कर दें। उनको जो पावर है, उनको खुद एक्सरसाइज करना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो छोटा सा संशोधन है उसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टू थर्ड की मैजारिटी से सिफारिश करने पर गांव पंचायत के मंत्री का ट्रांस्फर हो जायगा यह गांव पंचायत के अधिकारों को सीमित करता है, कम करता है मैं तो यह चाहता हूं कि गांव पंचायत के सेक्रेटरियों को यह मालूम होना चाहिये कि अगर अकेला सभापति शिकायत करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। पंचायत अगर मैजारिटी से भी शिकायत करे तो भी वह बदला जाय और अगर टु थर्ड से करेंगे तो उसमें सेक्रेटरी को शरारत करने का और मौका होगा। ३४ परसेंट भी जब उसने अपने साथ कर लिये और टू थर्ड नहीं हुये तो वह बेफिक्र हो जायगा और अगर ६५ परसेंट को वह डिफाई करना चाहे तो कर सकेगा। यह मैं नहीं चाहता। इसलिये इसमें कनवेंशन यही है और मैं जानना चाहूंगा कि अगर किसी पंचायत के सभापति ने या पंचायत ने बाई फेयर मैजारिटी शिकायत की हो, उस पर अगर कार्यवाही न हुई हो तो मैं चाहूंगा कि वह मेरी नोटिस में लाई जाय और मैं चाहूंगा कि वह कार्यवाही हो, पर यह कार्यवाहियों को सीमित करता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जोरावर जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मेरा अर्थ गांव सभा की शक्ति को कम करना या लिमिट करना नहीं है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि ऐसा कोई रूल या नियम है कि प्रधान या कुछ लोगों की शिकायत करने पर कोई ऐक्शन उसके खिलाफ लिया जा सकता है, तो मैं कुछ संतुष्ट होता। मेरी समझ में कोई ऐसा प्राविजन नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इसे चाहें तो लौटा तो लूं, लेकिन मुझे संदेह है। अगर कोई प्रावीजन इसमें रख दिया जाय कि गांव सभा के सेक्रेट्री पर कोई कार्यवाही की जा सके, अगर दो तिहाई ज्यादा मालूम पड़ती हो तो ५० परसेंट या ३० परसेंट मैजारिटी कर दी जाय, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे तो जो कुछ कहना था वह मैंने कह दिया।

श्री अयक्ष—आप इसको कायम रखते हैं?

श्री जोरावर वर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उपधारा (2) की तीसरी पंक्ति के अन्त में शब्द" Panchayat " के बाद अल्प विराम " , " को हटा

[श्री अध्यक्ष]

दिया जाय और पूर्णविराम" . " रख दिया जाय और पंक्ति ३ के बाद चारों पंक्तियां निकाल कर अंत में निम्नलिखित "Proviso" कर दिया जाय :—

"Provided that the Gaon Panchayat may recommend transfer of the Secretary by a special resolution passed by a vote of not less than two-third of the total number of the members of the Panchayat in the manner prescribed."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उधारा (2) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"Provided that the Gaon Panchayat may punish or recommend transfer of the secretary by a special resolution passed by a vote of no less than two-thirds of the total number of the members of the Gaon Panchayat for the time being in the manner prescribed by rule."

अध्यक्ष महोदय अभी अभी जो यह प्रस्ताव सदन में उपस्थित हुआ है श्री जोरावर वर्मा का, वह करीब करीब मेरे इस प्रस्ताव से मिलता है और केवल अन्तर इतना है कि इसमें सेक्रेटरी को सजा देने की भी व्यवस्था रखी गयी है जहां तक कि इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ कठिनाइयों का जिक्र किया, उस संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दूर करने की व्यवस्था हो सकती है क्योंकि अन्त में इसमें यह जोड़ दिया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल। तो रूल में यदि इसकी व्यवस्था हो जायेगी तो जितना भी नियंत्रण गवर्नमेंट रखना चाहती है वह रूल से उसकी व्यवस्था हो सकती है। हां, रूल में उसकी व्यवस्था न हुई तो यह बात जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—बाई रूल लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ही रूल से होता है

श्री प्रतिपाल सिंह—जी हां, तो यह बाई रूल निकाल दिये जायं तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि गांव पंचायतों का उस स्टाफ पर जिसके सहारे गांव पंचायतों को काम करना होगा, नियंत्रण बहुत आवश्यक है । इस सम्बन्ध में मैंने कल दो एक बातें माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख रखी भी थी। मेरा अपना अनुभव है और मैं समझता हूं कि बहुत से उन व्यक्तियों का जिन्होंने कि स्थानीय संस्थाओं में काम किया होगा उनका भी यह अनुभव होगा और वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह सेक्रेट्री या और ऐसे व्यक्ति जिन पर नियंत्रण नहीं है लोकल बाडीज के अध्यक्षों को वह किस तरह तंग करते हैं और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस प्रकार जो कार्य सुचारू रूप से हो सकता है वह रिटार्ड किया जाता है। अब तक लोकल बाडीज के जो अधिनियम बने हुये हैं उनको भी मैंने देखने और समझने की कोशिश की। टाउन एरिया इत्यादि के जो ऐक्ट है, उनमें जितना भी परमामेंट स्टाफ है उसको सस्पेंड डिस्मिस और पनिश करने के पूर्ण अधिकार उन अधिनियमों में अध्यक्ष और उस बाडी को है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जो पुराना बना हुआ है उसमें भी वह अधिकार है सिवा सेक्रेटरी के। सेक्रेटरी को यद्यपि वह पनिश और रिमूव नहीं कर सकता तथापि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की दो तिहाई मेजारिटी से डिस्मिस करने का भी अधिकार है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी व्यवस्था पंचायत बिल में क्यों की गयी। जहां तक स्वशासन के सफलतापूर्वक प्रगति के रास्ते पर चलाने की बात है मैं समझता हूं कि पंचायतों का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अपने स्टाफ पर होना चाहिए।

श्री मोहनलाल गौतम—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह जो अमेंडमेंट है यह सेक्रेटरी को पनिश करने और ट्रांस्फर को रेकमेंड करने से संबंध रखता है ।

श्री अध्यक्ष—यह 25 (A) के साथ आता है ।

श्री मोहन लाल गौतम—यह 25(A) के साथ आता है इसलिये यह संशोधन यहां असंगत है।

श्री अध्यक्ष—यही मैं देख रहा था। यह 25(A) से संबंधित है।

श्री प्रतिपाल सिंह—25(2) में यह प्राविजन रख दिया जाय यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—वह आप जब इस विधेयक का खंड २४ आये तो उस वक्त रख सकते हैं। यहां पर यह नहीं आ सकता।

श्री प्रतिपाल सिंह—25(2) में है "The power to appoint, punish, discharge, dismiss or control a servant of Gaon Sabha other than a Secretary."

चूंकि पनिशमेंट और डिस्चार्ज का पंचायतों का अधिकार वहां दिया गया है इसलिये यहां पर अगर यह प्राविजन जोड़ दिया जाय तो अनुचित न होगा।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि आपका संशोधन खंड २४ में नहीं और खंड २४ में उन्होंने मूल अधिनियम की धारा 25 (A) को संशोधित किया है। यदि मूल अधिनियम का इतना संशोधन हो गया जितना कि सेलेक्ट कमेटी ने किया है तो उसका नतीजा यह होगा कि परस्पर दो विरोधी धारायें पास हो जायेंगी, अगर आप का भी प्राविजो स्वीकृत हो जाता है। इसलिये अगर आप को सेक्रेट्री के संबंध में संशोधन लाना है तो २४ वें खंड के साथ आप ला सकते हैं। आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें। इसको इस स्थान में मैं अवैध करार देता हूं।

श्री प्रतिपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित नयी धारा 25 (3) (a) की प्रथम पंक्ति में शब्द "authority" के बाद शब्द "other than the executive authorities" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय मेरा यह प्रस्ताव लाने का भी मंशा कुछ यही है कि पंचायतें जहां तक सम्भव हो स्वयं का डिस्क्शन इस्तेमाल करके प्रगति करें।

यदि ये सब अधिकार इन्हीं अथारिटीज को रहें तो मैं समझता हूं कि पंचायतों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा क्योंकि एक्जिक्यूटिव अथारिटी से सेक्रेटरी और नया जो स्टाफ होगा उसका घनिष्ट संबंध होगा। रोज के मामले उन लोगों के पास आयेंगे और अगर वह किसी मामले में इंटरस्टेड होगा या कोई मामला किसी भी प्रकार जाने या अनजाने समझे या बे समझे ऐक्शन लेने वाला व्यक्ति उनकी राय से ऐक्शन लेगा तो फिर चाहे जितना न्याय अपना मामला पेश करने वाले व्यक्ति के सामने हो लेकिन वह कभी भी उस पर न्याय की दृष्टि से विचार नहीं करा सकेगा। इसलिये और जगह जहां कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आयी हो मुझे कोई एतराज नहीं है कि वह एक्जिक्यूटिव अथारिटी ही हो लेकिन जहां तक न्याय का प्रश्न है, कानूनी दृष्टिकोण से फैसला करने का प्रश्न है ऐसे मामलात में एक्जिक्यूटिव अथारिटी को ये अख्तियारात न दिये जायं तो अच्छा होगा। इस संबंध में बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। अगर आप इजाजत दें तो इस संबंध में कई मिसालें दे सकता हूं। मैंने कुछ मिसालें रखीं तो माननीय मंत्री ने उन पर टोका और यह भी कहा कि शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट ने बहुत सी अनियमित्तायें और गल्तियां की हैं यद्यपि उससे पहले मैंने प्रेसीडेंट या किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। किन्तु इस सिलसिले में यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं शाहजहांपुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कई मिसालें जो एक्जिक्यूटिव अथारिटीज से संबंध रखती हैं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने जरा इसको भी देखा। उसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की व्याख्या दी हुई है और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी स्टेट गवर्नमेंट जिसे मुकर्रर करे उसे आपने स्वीकार कर लिया है लेकिन यहां आपको एतराज है कि वह "अदर दैन एक्जिक्यूटिव" हो। लेकिन अगर माननीय

[श्री अध्यक्ष]

स्वशासन मंत्री ने एक्जिक्यूटिव को ही रक्खा तो यह जो आपने संशोधन दिया है उससे सारा अर्थ खत्म हो जाता है, परस्पर विरोधी बातें दिखाई देती हैं। इसको आप कैसे हल कर सकते हैं। प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की व्यवस्था मूल अधिनियम में दी हुई है वह कायम है। उसके बाद आप चाहते हैं "अदर देन एक्जक्यूटिव"। अगर आप यह कहते कि इसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी उसको एप्वाइन्ट करना चाहिये जो एक्जिक्यूटिव अथारिटी न हो। यह तो आपका प्रस्ताव हो सकता है लेकिन यह प्रस्ताव नहीं हो सकता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तो वह व्याख्या के अनुसार मुकर्रर करें लेकिन ये मामले उस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास जायं जो एक्जिक्यूटिव न हो। लेकिन अगर कहीं एक्जिक्यूटिव ही केवल प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी मुकर्रर हो तब क्या होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह परस्पर विरोधी पड़ता है।

श्री प्रतिपाल सिंह---प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की व्याख्या यह है: "Prescribed authority means an authority to be notified as such by the State Government., whether generally or for any particular purpose" यहां "फार एनी पर्टिक्यूलर पर्पज" का इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी भी पर्टिक्यूलर पर्पज के लिये गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह दूसरी भी अथारिटी प्रेस्क्राइब्ड कर दे।

श्री अध्यक्ष---तो इसीलिये इसमें आपको ऐसे अल्फाज लाने चाहिये एक्जिक्यूटिव अथारिटी के मुकर्रर करने का संशोधन में सवाल नहीं है। इसमें आप यह कहते हैं कि "अदर दैन एक्जिक्यूटिव अथारिटी" और इसका नतीजा यह चाहते हैं कि सरकार एक्जिक्यूटिव में से प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को मुकर्रर नहीं कर सकती। इसलिये आपको यहां पर स्पष्ट यह कहना चाहिये कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अदर दैन एक्जिक्यूटिव अथारिटी स्पेशली अप्वाइन्टेड फार दिस परपज बाई दि स्टेट गवर्नमेंट" इस प्रकार के शब्द हों तब आपका कुछ मतलब निकल सकता है।

श्री प्रतिपाल सिंह---इस प्रकार से आप संशोधित कर सकते हैं। इसमें पर्टीकुलर परपज दिया हुआ है तो उसके लिये कोई अथारिटी नियुक्त करनी पड़ेगी। तो मैं इसी को मानकर चलता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी तरह से यह अभिप्राय है कि यह अधिकार यदि एक्जिक्यूटिव अथारिटी को दिया गया तो फिर कभी भी किसी पार्टी के लिये न्याय संभव नहीं होगा। जब मैं यह बात कहता हूं तो वह केवल मेरी निजी राय ही नहीं है किन्तु मेरा ख्याल है बृटिश हुकूमत के जमाने में भी कुछ ऐसे अधिकार १९३५ के कानून की रू से दिये गये थे राज्य सरकारों को और उसमें बहुत से थोड़े अख्तयार थे। तो उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था और हम में से बहुत से आदमियों ने बृटिश हुकूमत की निन्दा की थी कि अगर यह शक्ति हमें नहीं दी जाती तो यह कानून बेकार है, स्वशासन में सफलता तभी हो सकती है जब उनके पास अधिकार हो। उस समय लखनऊ में ही इसकी काफी निन्दा की गयी थी। हमारे देश की जो सबसे बड़ी कांग्रेस संस्था थी उसकी यहां पर बैठक हुयी थी और उसमें उसकी निन्दा का प्रस्ताव पास हुआ था। यदि हम उन बातों को ध्यान में रखें जो कि बृटिश हुकूमत ने यहां पर कायम की थी और जिनके विरुद्ध हम लड़ रहे थे तो ग्राम स्वशासन के लिये अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। इस कारण वास्तव में यह पंचायतराज का जो बिल है यह बहुत निम्न कोटि का बिल है। मैं समझता हूं कि जहां तक न्याय की धाराओं से संबंध रखने वाले निर्णय हैं उस जगह पर अवश्य ही यह अधिकार एक्जिक्यूटिव अथारिटी को न दिये जांय। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था केवल दो जगहों पर ही मुनासिब होगी। एक तो इस जगह पर और दूसरी उस जगह जहां कि न्याय पंचायतों के बनाने व निर्णय देने वाली बात होगी इस कारण मैं समझता हूं कि यह चीज यहां पर बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से निर्णय देने का अधिकार है वह एक्जिक्यूटिव अथारिटी को न दिया जाय और उसके लिये एक स्वतंत्र प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रखी जाय और उसको यह अधिकार दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। मूल विधेयक में दो बातें कहीं गयी हैं। जब किसी कर्मचारी को, जो कि सेक्रेटरी न हो, डिसमिस किया जाय और जब गांव पंचायत ने उसे निकाला हो, तो उसकी अपील प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को हो सकती है। दूसरे, अगर किसी और कर्मचारी ने इस तरह का हुकुम पास किया हो तो उसकी अपील गांव पंचायत को हो सकती है। इस संशोधन में मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी तो हो लेकिन एक्जीक्यूटिव अथारिटी न हो। हमारे यहां जितनी अथारिटीज़ हैं वे या तो एग्ज़ीक्यूटिव हो सकती हैं या जुडिशियल। अगर उनका मतलब है कि हाईकोर्ट को यह मामला भेजा जाय तो मेरे ख्याल में यह कोई मुनासिब बात या संगत बात नहीं होगी। ये मामले डिपार्टमेंटल होते हैं और वे एग्ज़ीक्यूटिव अथारिटी के पास ही जाते हैं। उनका यह शक करना कि एग्ज़ीक्यूटिव अथारिटी अच्छी तरह से और इंसाफ के साथ फैसला नहीं करेंगी यह बात भी ज्यादा मुनासिब नहीं मालूम पड़ती। तो या तो यह स्पष्ट करें कि किसके पास भेजा जाय, या तो यह जजेज़ को रखें या फिर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट वालों को रखें। मेरा निवेदन है कि वह इस संशोधन को वापस लें क्योंकि यह असंगत सा है।

श्री मोहनलाल गौतम—एग्ज़ीक्यूटिव अथारिटी पर चाहे जितना अविश्वास माननीय प्रतिपाल सिंह जी प्रकट करें, वह प्रश्न तो दूसरा है और उस पर अलग बहस हो सकती है। लेकिन अगर आज यह तय हो जाय कि गांव सभा ने जिस किसी को भी सजा दी उसकी अपील एग्ज़ीक्यूटिव के पास न जाय बल्कि जुडिशयरी के पास जाय, लेजिस्लेचर के पास तो आवेगी भी नहीं, और यह अधिकार सारे लोकल बाडीज़ को दे दिया जाय तो मैं कहता हूं कि लोकल बाडीज़ के सारे कर्मचरियों की आपने गर्दन मरोड़ दी और उनको तबाह कर दिया। सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड कोई सज़ा दे तो उसकी अपील कहां जायगी? कोर्ट्स में एक सेक्रेटरी तो मुक़द्दमा लड़ेगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रुपये से और बेचारा चपरासी सुप्रीम कोर्ट तक अपने ही पैसे से मुक़दमा लड़ेगा। आज अगर मेरे आर्डर के खिलाफ किसी की अपील पंत जी तक जाय तो शायद न्याय मिल सके, जहां तक कि चपरासी जा सकता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। इतना रुपया उसके पास नहीं है। सिविल कोर्ट्स के माने होते हैं कि जिसके पास पैसा है, जो काटजू साहब की जेब भर सकता है वही मुक़द्दमा लड़ सकता है। इससे ज्यादा और कोई प्रस्ताव कर्मचारियों की तबाही का नहीं हो सकता है। मुझे ताज्जुब है कि यह प्रस्ताव आ कैसे गया और कैसे यह समझा जाता है कि इससे कर्मचारियों की रक्षा होगी। मैं प्रतिपाल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इसे वापस लेने की कृपा करें।

श्री प्रतिपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद मैं अवश्य ही इसे वापस ले लूंगा, लेकिन जहां तक माननीय काटजू साहेब ने यह ज़िक्र किया है कि यह असंगत है मैं कम से कम उसे स्वीकार नहीं करता हूं। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को यह अधिकार देने की बात एक मखौल है जो बिलकुल असंगत बात है। लेकिन जहांतक जुडिशिल कोर्ट्स का सम्बन्ध है, उसको यह अख्तियार दिया जा सकता है और उसके बाद खंड २३, २५ (३) (a) में मेरा सुझाव है कि मुंसिफ को ऐसे अख्तयार दिये जावें। मुंसिफ़ बहुत से रेवेन्यू का काम कर रहे हैं और उनकी तादाद भी ज्यादा बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि उनकी नियुक्ति उपयोगी होगी। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्यादा न्याय होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान रखेगी। मेरा मक़सद इससे केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने का था, इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:—

खंड २३ में प्रस्तावित धारा २५ की उपधारा (4) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'may' तथा पंक्ति २ में शब्द "transfer" के बीच के शब्द हटाकर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"on the resolution of the Gaon Panchayat."

[श्री तेजप्रताप सिंह]

धारा ४ में यह कहा गया है कि किसी भी स्टाफ का ट्रान्सफर प्रेस्क्राइब्ड अथोरिटी करेगी लेकिन इस प्रस्ताव के द्वारा मैं चाहता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी गांव पंचायत के रिजोल्यूशन के बाद ही किसी का ट्रान्स्फर करे। मेरी समझ में नहीं आया कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किस प्रकार से स्टाफ का ट्रान्सफर कर सकेगी। अगर गांव पंचायत का स्टाफ काम नहीं करता है या उसका विश्वासपात्र नहीं है तभी वह ऐसा रिजोल्यूशन उसके बारे में ला सकती है और उसको प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास भेज सकती है और तभी उसका ट्रान्सफर होना चाहिये। मैं यही उचित भी समझता हूं। गांव पंचायतों को इतने अधिकार तो अवश्य ही मिलने चाहिये। डिसमिसल तक के अधिकार दिये गये हैं लेकिन उनमें ट्रांसफर का जिक्र नहीं है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि ग्राम पचायतें स्टाफ के बारे में रिजोल्यूशन ला सकें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कहा गया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इस धारा के द्वारा हम पंचायतों के कोई अधिकार लेना नहीं चाहते। ट्रान्सफर तो गांव पंचायतों के रिजोल्यूशन से ही होना चाहिये लेकिन यह सब रूल्स में कर दिया जायगा। अगर इसमें ऐसी छोटी-छोटी बातें की जायेंगी तो यह बहुत लम्बी पोथी हो जायगी। यह चीज इसमें छिपी हुई है कि उनको ऐसा अधिकार होना ही चाहिये। इसको रूल्स में कर दिया जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस ले लेंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह--मेरी समझ में नहीं आता कि जो कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब्ड होंगी वे कौन कौन सी होंगी?

श्री मोहनलाल गौतम--उन कंडीशन्स में एक यह भी हो सकती है।

श्री तेज प्रताप सिंह--मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।)

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उपधारा (5) की पंक्ति १ से २ में शब्द "With the Previous sanction of the prescribed authority" निकाल दिये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा २५ की उपधारा (५) इस प्रकार है :--

"A Nyaya Panchayat may with the previous sanction of the prescribed authority appoint persons on its staff in the manner prescribed. (Person) Persons so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority, who shall have power to transfer, punish, discharge or dismiss them."

माननीय अध्यक्ष महोदय, "with the previous sanction of the prescribed authority" अगर निकाल देते हैं तो फिर यह धारा इस प्रकार हो जायेगी :--

"A Nyaya Panchayat may appoint persons on its staff in the manner prescribed. (Person) Persons so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority, who shall have power to transfer, punish, discharge or dismiss them."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को ले कर कल काफी वाद विवाद हो चुका है इसलिये मैं विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी उसको अपने स्टाफ को एप्वायंट व डिसमिस करने का अधिकार है, जिस तरह से म्युनिसिपल ऐक्ट में भी म्युनिसिपैलिटियों को अपने स्टाफ के ऊपर पूरा अधिकार है तो उसी तरह से मैं यह चाहता

हूं कि न्याय पंचायतों को भी पूरा अधिकार यह रहना चाहिये कि वे अपने स्टाफ का एप्वाइटमेंट करें, उसे डिसमिस करें या जो चाहें सो करें। यह जरूरी नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का सैंक्शन लेना चाहिये। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सैंक्शन पर ही स्टाफ को एप्वाइंट या डिसमिस करने का राइट दिया जाता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि पंचायतों और उसके स्टाफ के बीच में, पंचायतों और सेक्रेटरीज के बीच में जो रस्साकसी चल रही है वह बराबर जारी रहेगी क्योंकि सेक्रेटरी यह समझते हैं कि हमें तो सरकार और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने एप्वाइंट किया है और वही मेरा डिसमिसल व ट्रांसफर कर सकते हैं, न्याय पंचायतें हमारा कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तो उसका रिएक्शन यह होता है कि वे ओवर कंट्रोल हो जाते हैं और उनका वर्क सफर करता है। इसलिये मैं यह मुनासिब और न्यायसंगत समझता हूं कि पंचायतों को यह पूरा पावर रहना चाहिये कि वे अपने स्टाफ सेक्रेटरी आदि का एप्वायंटमेंट व डिसमिसल कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय हमारे इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो वे प्रजातंत्र के उसूल की भी रक्षा करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे हमारे इस संशोधन को मान लें।

*स्वशासन मंत्री के सचिव श्री कृपाशंकर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन यहां पेश किया गया है उसके अनुसार अगर "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" निकाल दिया जाता है तो भी बकिया अख्तियारात जो हैं वे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर ही आप छोड़ देते हैं। ये तमाम अख्तियारात जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के ऊपर छोड़ देते हैं, केवल उसका सैंक्शन नहीं चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब सारा अख्तियार आप उसके ऊपर छोड़ देने को तैयार हैं तो फिर उसके प्रीविंयस सैंक्शन से ही स्टाफ का एप्वांटमेंट किया जाय तो स्थिति में क्या फर्क पड़ जाता है। जब उसको पनिश करने का, ट्रांसफर करने का अख्तियार है तो मैं समझता हूं कि अगर उसके सैंक्शन से ही एप्वांटमेंट किया जाय तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में शायद वे समझे नहीं। जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को आप सारा पावर देने को तैयार हैं कि वह अपने स्टाफ को पनिशमेंट आदि दे सकता है तो फिर उसके सैंक्शन से स्टाफ का एप्वायंटमेंट किया जाय, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। मुझे आशा है कि जब आप उस चीज को मानते हैं तो इसको भी मान लेंगे।

राजा वीरेन्द्र साह (जिला जालौन)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं यह बतलाना चाहता हूं, मंत्री जी ने जो अभी कहा और काटजू साहब का भी प्रस्ताव था कि एक प्रोविजो जोड़ कर ग्राम पंचायतों के लिए इमर्जेंसी में इस प्रकार की इजाजत हो कि वे पहले एप्वायंटमेंट कर लें और बाद में सैंक्शन लें, उसी तरह से श्री गजेन्द्र सिंह का प्रस्ताव है कि न्याय पंचायतों को स्टाफ रखने की जरूरत हो तो उनको इसकी इजाजत मिलनी चाहिये। जहां तक इमर्जेंसी की बात है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी खंड २५ (१) को स्वीकार कर चुके हैं। उसमें यह है कि सेक्रेटरी को छोड़कर ग्राम पंचायतें अपने स्टाफ के लोगों को एमर्जेंसी में एप्वाइंट कर सकती हैं। लेकिन हमारी न्याय पंचायत तो और भी अधिक शक्तिशाली संस्था है। ग्राम पंचायतों में सेक्रेटरी के अलावा और भी बहुत से कर्मचारी होते हैं इसलिए मैं तो चाहूंगा कि मंत्री जी यहां भी सेक्रेटरी को छोड़कर बाकी सब एप्वाइंटमेंट करने का हक न्याय पंचायतों को दें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा २५ (१) में सेक्रेटरी को छोड़कर पंचायतें नियुक्ति कर सकती हैं। कोई क्रिएशन की बात हो तब तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पोस्ट एगजिस्ट करती हैं तो मंत्री जी चाहें तो न्याय पंचायतों की जो छोटी मोटी जगहें हैं उनमें एप्वाइंटमेंट का हक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

बगैर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की सैंक्शन के दिया जाय। अतः न्याय पंचायतों को अधिकार दिया जाय कि वे सेक्रेटरी के सिवा और पोस्ट्स का एप्वाइंटमेंट कर सकें, बाद में तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को डिसमिसल का अधिकार होगा ही।

श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यहां भी वही सिद्धांत आ जाता है जो कि खंड २३ के उपखंड (१) में आता है। जहां तक नियुक्तियों का सम्बन्ध है उसका अधिकार गांव पंचायतों को रहना चाहिये और जहां तक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का सम्बन्ध है वह एप्वाइंटमेंट्स और पोस्ट के क्रिएशन में आती है, एक सिद्धांत की बात मैं निवेदन करूं जो इस उपखंड से संबंधित है वह यह है कि न्याय पंचायतों को नियुक्ति का अधिकार देना मेरे विचार में एक तरह से असंगत है। वह तो गांव पंचायतों का ही एक खास काम करने के हेतु एक अंग मात्र हैं और कुछ आदमियों की नियुक्ति कर दी जाती है कि वे फैसले करें, वह एक शाखा है। जिन लोगों को यह काम दिया जाय वह इस तरह से नियुक्तियां करें यह युक्ति संगत बात नहीं है। हमारी कचहरियों में भी नियुक्ति यहीं से होती हैं उनको अधिकार इसका नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उपखंड (५) को डिलीट कर दिया जाय क्योंकि उपखंड (१) ही काफी है, इसके अन्दर वह आ जाता है।

प्राक्कलन, वित्त तथा सार्वजनिक लेखा समितियों के निर्वाचन से नाम वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न पर तो अभी आगे विचार होगा। इस समय मुझे एक सूचना देना है कि प्राक्कलन समिति, वित्त समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति में स्थानों के निर्वाचन के लिए नामों की वापसी का समय आज तक का नियत किया गया था। मेरे पास एक प्रार्थना आयी है कि यह समय १४ मई तक बढ़ा दिया जाय क्योंकि उसमें निर्विरोध निर्वाचन हो सकता है और शायद चुनाव की आवश्यकता न पड़े। इसलिए मैं १४ मई तक का समय नामों की वापसी के लिए बढ़ाता हूं और १४ मई को ३ बजे तक जो नाम वापस हो जायेंगे वह वैध होंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

खंड २३ (क्रमागत)

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के खिलाफ बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने यह दलील दी कि धारा २५ में "with the previous sanction of the prescribed authority" को तो मैं निकालना चाहता हूं लेकिन इसमें आगे चलकर आया है—"Persons so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority."

इसको मैं नहीं निकालना चाहता हूं क्योंकि इसमें ट्रांसफर और डिसमिस करने का राइट प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को कहीं भी रखने के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि आप जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को रख देते हैं तो एक तरफ आप पंचायतों को जो पावर देते हैं वही दूसरी तरफ प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा छीन लेते हैं। अगर माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लें कि "प्रीवियस सैंक्शन आफ दि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" को निकाल दें तो उसके लिये मैं आगे का संशोधन उपस्थित कर दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इस संशोधन को मान लें।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़े भारी सिद्धांत का प्रश्न काटजू साहब ने यहां पर छेड़ा था और वह यह था कि जुडीशियरी को अपने मातहत आदमियों को एप्वाइंट करने का अधिकार नहीं है और हाईकोर्ट को अपने स्टाफ को रिक्रूट करने का अधिकार नहीं है। इस वक्त जो सवाल है वह यह है कि न्याय पंचायतें अपने आदमियों को बगैर किसी देखरेख के मुकर्रर करें तो उनके पास पैसा नहीं होता। उसके पास आमदनी का जरिया नहीं है और वह कैसे अपने आदमियों को तनख्वाह देगी। गांव सभा तो टैक्स लगाती है, अगर उसको अधिकार दें कि १० आदमियों को सौ सौ रुपये के रख लो तो १ हजार रुपये का खर्च हुआ उसके लिये एक हजार रुपये का टैक्स लगा सकती है लेकिन न्याय पंचायतों के पास कोई आमदनी नहीं है जिसके आधार पर वह ऐसा कर सके। दूसरी बात और है कि न्याय पंचायतों को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने मातहतों को जब चाहें सजा दें और जब चाहें निकाल दें। इस तरह से हमने काम किया तो काम किस तरह चलेगा। अगर न्याय पंचायतों के मन, सरपंच के मन के मुताबिक किसी ने काम नहीं किया तो उसको उन्होंने निकाल दिया तो काम किस तरह से चलेगा। इसलिए यह संशोधन नामुनासिब है और मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्रजातंत्र का बहुत कुछ हवाला दिया जा रहा है कि इस संबंध में उनको एप्वाइंट-मेंट करने का अधिकार हो। मेरी राय यह है कि एक संस्था को अगर एप्वाइंटमेंट करने का अधिकार न हो तो उससे उसका डेमोक्रेटिक करेक्टर ही बदल जायगा, यह मानना मुनासिब नहीं होगा। आज तो दुनिया इस तरफ जा रही है कि जो भी एक्जिक्यूटिव हो उसको एप्वाइन्टमेंट करने का अनफेटर्ड राइट नहीं होना चाहिए। आज न तो यूनियन गवर्नमेंट को और न स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह जिसको चाहें उसको एप्वाइन्ट कर दें। उसके लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है। वहां से ही जो लोग निकल कर आयेंगे उन्हीं को लिया जा सकता है। यह नहीं है कि गवर्नमेंट जिस तरह से चाहे किसी को एप्वाइन्ट कर दे। आज लोकल बाडीज वाले इम्प्लाइज आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम एप्वाइन्टमेंट के वक्त निपोटिज्म और फेवरेटिज्म न रहे और कन्वेसिंग के आधार पर एक्जिक्यूटिव आफिसर्स और सेक्रेटरीज न मुकर्रर हों बल्कि मैरिट के आधार पर हों। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लोकल बाडीज के साथ साथ सेलेक्शन कमेटीज चाहे उसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहिए, चाहे कुछ भी कहिये, न हों। जिस तरह से आज लोकल बाडीज एप्वाइन्टमेंट्स करती हैं उसमें जो करप्शन है वह तब तक दूर नहीं हो सकता। अगर आप इजाजत दें तो इस तरह के बहुत से केसेज गिनाये जा सकते हैं। एक चेयरमैन साहब ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि हमारे यहां ९० फीसदी रुपया स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के अनफेटर्ड राइट को डेमोक्रेसी के साथ न जोड़ा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को मानने में मजबूर हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन साहब कौन से हैं जिन्होंने ९० फीसदी मुलाजिमों पर ही खर्च कर दिया ?

श्री मोहनलाल गौतम--राजा साहब जगमनपुर नहीं हैं वे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २३ में प्रस्तावित धारा 25 की उपधारा (5) की पंक्ति १ से २ में शब्द "with the previous sanction of the prescribed authority" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

यू०पी०ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २५–ए का संशोधन।

२४––मूल अधिनियम की धारा 25-A में शब्द "Secretary Gaon Sabha or Gaon Sabhas" के स्थान पर "Secretary of the Gaon Sabha or Sabhas" रख दिये जायं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी–गढ़वाल)––उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ को उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय तथा निम्नलिखित नया उपखंड (२) बढ़ा दिया जायः––

(२) मूल अधिनियम की धारा 25-A की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"Provided that an order of the prescribed authority removing or dismissing a Secretary shall be appealable within a period and in the manner to be prescribed, to the State Government"

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक साधारण सा संशोधन है और मेरा जहां तक ख्याल है यह शायद ओवरसाइट के कारण मंत्री महोदय का यहां इस पर संशोधन नहीं हुआ। मूल अधिनियम में यह लिखा है कि प्रोवीजो जो है वह इस रूप में है कि:

"Provided that an order of the prescribed authority removing a Secretary shall be appealable within a period and in the manner to be prescribed, to the District Magistrate, or if any other authority....."

तो इसमें मैंने इतना ही प्रयत्न किया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट को अपील लाई करेगी। इसका कारण यह है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी निश्चित नहीं हुयी है। इसलिए मैं समझता हूं यह केवल कांसिक्वेंशियल अमेंडमेंट है और यदि मंत्री महोदय को स्टेट गवर्नमेंट के पास अपील भेजने में कोई आपत्ति हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी और को कर दें। बहरहाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपील लायी करना फिट नहीं करता। तो जिस रूप में मंत्री महोदय करना चाहें कर दें।

श्री मोहन लाल गौतम––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी संख्या इस समय मंत्रियों की है और हो सकता है कि गांव सभाओं की संख्या बढ़ने पर संस्था और बढ़ जाय तो हर एक की अपील अगर यहां गवर्नमेंट के पास आयेगी तो उसमें कठिनाई होगी। इसलिए जो इस समय कायदा है वह यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अपील जाती है और उसका रिवीजन गवर्नमेंट के पास आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई गलती करे तो देखभाल गवर्नमेंट करती है। तो जो अभिप्राय महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी का है वह पूरा हो जाता है कि किसी सेक्रेटरी पर अन्याय न हो। लेकिन हर अपील ही आ जाय गवर्नमेंट के पास तो दिक्कत होगी। इसलिए जो अभिप्राय है कि अन्याय न हो वह पूरा हो जाता है। अगर सेक्रेटरी यह समझे कि उसके ऊपर अन्याय हुआ तो वह स्टेट गवर्नमेंट को रिवीजन के लिए भेज सकता है।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह––उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। अन्याय से मेरा सम्बन्ध नहीं था। मेरा मतलब यह था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी शायद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद हो क्योंकि यह साफ नहीं बतलाया कि फलां व्यक्ति प्रेस्क्राइब्ड

अथारिटी होगा। तो यहां पर लिखा है कि "appeal from the prescribed authority shall lie to the district magistrate" अब अगर अन्त में यह निश्चित हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो तो फिर अपील किसे जायेगी। तो यह मेरा मतलब था।

श्री मोहनलाल गौतम—प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। बाद में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आयेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

२५—मूल अधिनियम की धारा ३१ में शब्द और संख्या "30 and 114" के स्थान पर शब्द और संख्या "30 and 41" रख दिये जायं। यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३१ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

२६—मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३२ का संशोधन।

"Gaon fund.

(1) There shall be a Gaon Fund for each Gaon Sabha and the same shall, subject to the provisions of the annual estimate of income and expenditure passed under section 41, be utilized for carrying out the duties or obligations imposed upon the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat of any committee thereof by this or any other enactment."

"(२) मूल अधिनियम की धारा ३२ धारा ३३ के ठीक पहले आने वाले पांचवें अध्याय के शीर्षक के नीचे रखा जायगा।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :—

खंड २६ में प्रस्तावित उपधारा (2) को उपधारा (3) के रूप में रख दिया जाय तथा नयी उपधारा (2) निम्न प्रकार से रख दी जाय:—

"(2) The State Government shall contribute a sum equal to 25 percent. of the revenue to the Gaon Funds of the State for utilisation towards the remodelling and reconstruction of the villages of the State".

उपाध्यक्ष महोदय, जिस खंड में यह संशोधन रखा गया है वह इस प्रकार है :

"(1) There shall be a Gaon Fund for each Gaon Sabha and the same shall subject to the provisions of the annual estimate of income and expenditure passed under section 41, be utilized for carrying out the duties or obligations imposed upon the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat or any committee thereof by this or any other enactment."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इसकी जो उपधारा (२) है उसकी जगह पर मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं। गांव पंचायतों के सामने आर्थिक समस्या है यह एक प्रश्न निर्विवाद है और इस माननीय सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे कि हमारे गांवों की सही उन्नति और सही निर्माण तभी हो सकता है जब उनको प्रचुर मात्रा में धन दिया जाय। जहां तक हमारे दल का संबंध है, हमने बार बार पंचायतों के बाहर भी यह स्पष्ट घोषणा की है कि हम प्रजातंत्र में चार खम्भे मानते हैं, एक केन्द्र में, दूसरा प्रदेश में तीसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड के रूप में और चौथा गांव पंचायत के रूप में और हमारी यह बराबर मांग रही है कि जितना धन भी खर्च किया जाय वह इन चार खम्भों में बांट दिया जाय और जो खम्भे हैं इनको काफी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी योजनाएं और उन योजनाओं के अधीन अपना निर्माण करें और रचनात्मक कार्य करें। मेरा यह संशोधन इसी सिद्धांत के मातहत है और इस संशोधन द्वारा मैंने यह मांग की है कि हमारे राज्य में जितनी भी रेवेन्यू हो उसका २५ फीसदी गांव पंचायतों को इसलिए दिया जाय कि वे गांवों का फिर से सुधार कर सकें या फिर से उनका पुर्ननिमाण कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पंचायत राज का एक सपना है और इसके लिए अगर कोई भी उदाहरण हमें मिल सकता है तो सोवियट रूस की सोवियट्स हैं जिन्होंने एक मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। माननीय सदस्यों को यह बताना नहीं है कि रूस में गांव अब पहिचाने नहीं जा सकते और पुराने गांव बिल्कुल धराशायी कर दिये गये और उनकी जगह पर बिल्कुल नये प्लान के अनुसार ऐसे मकान बनाये हैं जोकि हमारे प्रदेश में या देश में बसने वाले शहरों से भी ज्यादा सुव्यवस्थित और प्लान्ड हैं। हर सुविधा जो मकानों को होनी चाहिये वह वहां गांवों में प्राप्त है। तो हमारा यह स्वप्न है कि सही माने में स्वतंत्र भारत में जब तक गांवों का पुर्ननिमाण न हो और समुचित साधन और सामग्री उनके पास न रहे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यह संशोधन रखा है। हमारे प्रदेश की मालगुजारी से हमारा मतलब सिर्फ लैन्ड रेवेन्यू से नहीं है बल्कि हर प्रकार की मालगुजारी से मतलब है और इस तरह से मेरा ख्याल है कि हमारे प्रदेश में ६० करोड़ रुपये मोटे तौर पर से मालगुजारी की शक्ल में आते हैं और उसका अगर २५ फीसदी हम देते हैं तो १५ करोड़ रुपये हमारे प्रदेश के गांवों को मिलेंगे। मैं मानता हूं कि यह रकम एक वर्ष में कोई चमत्कार नहीं दिखलायेगी लेकिन इसके पीछे जो निहित बात है वह यह कि जब हम १५ करोड़ रुपया गांवों को देते रहेंगे तो बारी बारी से तमाम गांव लिए जा सकते हैं और चाहे एक पंच वर्षीय योजना में, चाहे दूसरी पंच वर्षीय योजना में, चाहे तीसरी पंच वर्षीय योजना में हम नये सिरे से अपने प्रदेश का एक आदर्श रूप में निर्माण कर सकते हैं। इस पंचायत राज विधेयक में जहाँ जहां मौका मिला हमने गांव पंचायतों को आर्थिक सहायता मिलने पर जोर दिया। अभी कल माननीय गेंदा सिंह जी ने एक संशोधन इस सदन में रखा था जिस पर विचार हुआ और हमें अफसोस है कि वह रद्द कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाय कि उसे लैन्ड रेवेन्यू कर आदि जो ड्यूज वसूल करना है तो उसके लिए वह गांव सभा के साथ कांट्रेक्ट कायम करे और ठेका दे और इनको समुचित अधिकार भी दिये जायं ताकि उनको कुछ कमीशन के रूप में मिल सके। इस समय इस पर सवा छ प्रतिशत कमीशन है और माननीय गेंदा सिंह जी उसको १० प्रतिशत चाहते थे और यही उनकी मांग थी।

आज हमारे प्रदेश में सभी जानते हैं कि न्याय पंचायतों ने ही कुछ काम किया है लेकिन गांव पंचायतें तो हमारी शत प्रतिशत निष्क्रिय सी रहीं क्योंकि उनके पास कोई फंड नहीं है और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के रवैये से और नीति से हमारी जनता की रचनात्मक शक्ति कुंठित हो गई है। अगर उसने ऐसा रास्ता अख्तियार किया होता जिससे हमारे प्रदेश की जनता जैसे रूस और चीन की जनता उत्साहित होकर अपनी सरकार के पीछे चलती है और हर स्कीम में सरकार का पूरा पूरा सहयोग देती है उसी तरह सरकार

का सहयोग देती । अगर यह बात होती तो आज हमारा प्रदेश धन धान्य से पूर्ण होता और जनता में एक ऐसी स्फूर्ति पैदा होती जिससे बहुत काम हो सकता है । बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदेरकर ने बतलाया है कि अगर गांव के लोग सही माने में श्रमदान करें तो १०० करोड़ रुपये का श्रमदान किया जा सकता है लेकिन वह हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के रवैये से जनता परेशान है और उसकी पापूलेरिटी दिन बदिन खत्म होती जा रही है ।

एक मौका तो हमने खो दिया है लेकिन अब यह दूसरा मौका हमारे सामने आया है कि हम पंचायतों को सही माने में रिकगनाइज करें और हमारी राज्य सरकार उनको सहायता दे। हमारे विधेयक में कहीं जिक्र नहीं आया है कि हमारी सरकार उनको कुछ सहायता देगी। मुझे मध्य भारत में एक रियासत मिली जिसने उसका जिक्र करते हुए लिखा है कि बिक्रम संवत् २००६ का बना हुआ अधिनियम की धारा ९५ की उपधारा (१) का उपखंड (ख) इस प्रकार है कि "ऐसी कुल रकमें जो शासन पंचायतों के सुपुर्द करें।" कम से कम ऐसी चीज मध्य भारत ने दिखायी है कि सरकार भी कुछ रुपया गांव पंचायतों को कर वगैरा और ड्यूज में से देती है लेकिन हमारे प्रदेश में हमारी सरकार कुछ रुपया देती है लेकिन वह रुपया पंचायतों के सेक्रेटरीज के वेतन के लिए ही देती है। जैसा कि शुरू में जब हम यहां आये तो ५२ लाख रुपये के करीब रुपया दिया गया था और अब ८५ लाख रुपया दिया गया है जो सारे का सारा पंचायतों के सेक्रेटरीज के वेतन और भत्ता आदि में चला जाता है और रचनात्मक तथा सुधार के कामों के लिये एक पैसा भी नहीं दिया जाता है। ऐसी हालत में यह मेरा संशोधन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं समझता हूं कि भवन का हर सदस्य उसका समर्थन करेगा। एक तो जैसी कि योजना है अगर ८५ लाख रुपया दिये जायें तो ४-५ साल में जाकर कहीं २-३ करोड़ रुपये होते हैं और वह करीब-करीब सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि में निकल जाते हैं। हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि करीब डेढ़ करोड़ रुपया चुनावों की फीस वगैरा का इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर ४ करोड़ रुपया होगा और डेढ़ करोड़ रुपया सरकार ने इकट्ठा किया है तो मुश्किल से ढाई करोड़ रुपया सरकार देती है, लेकिन रचनात्मक तथा सुधारों के कामों के लिये एक पैसा भी नहीं दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हमारे गांवों में गांव वालों के लिए ऐसी बात होनी चाहिए जिससे वह यह समझने लगें कि हमारे यहां स्वराज्य है और हम भी अपने गांव का निर्माण कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब हर गांव में एक रिपब्लिक कायम हो जाय। यदि यह रिपब्लिक कायम हो जायं तो हमारे लिये बड़ा लाभदायक होगा । महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे यहां हर गांव को सेल्फ सफीशेंट होना चाहिए और उनको किसी बाहर की शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए । हमारे यहां वैदिक परम्परा से पंचायतें चली आती हैं और भारतीय परम्परा में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है । मुझे आशा है कि हमारे स्वशासन मंत्री जी हमारी इस मांग को मानकर कांग्रेस की और बुराइयों के होते हुए भी एक ऐसा कदम उठायेंगे, जो एक क्रांतिकारी कदम होगा और सही माने में पंचायतों को मौका मिलेगा कि वह अपने यहां नये सिरे से रचनात्मक तथा सुधार के कार्य कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि हमारा प्रदेश गांव में है। अगर गांव निकाल दें तो सिर्फ ८६ लाख जनता रह जाती है । वह शहरों में कही जा सकती है। बाकी ५ करोड़ से ऊपर लोग गांव में हैं। तो ऐसी हालत में जितना रेवेन्यू गांव से आता है, जो सिंचाई कर के सम्बन्ध में, लैन्ड रेवेन्यू के सम्बन्ध में या और भी अदालतों के जुर्माने की शक्ल में, या किसी शक्ल में अगर उसका चौथा हिस्सा भी गांव को न दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सही निर्माण एक सपना सा बन जायगा । कोई और रास्ता नहीं है। हम सरकार का पांच-छः वर्ष तक का गांव पंचायत का संचालन देख चुके हैं और आज तक कोई ऐसा सही कदम नहीं उठाया गया कि गांव में स्वराज्य कायम हो सके। मैं इस संशोधन के मुताल्लिक आशा करता हूं कि हर पक्ष के लोग इसका समर्थन करेंगे और माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न दलगत राजनीति का नहीं है बल्कि सही मानों में हिन्दुस्तान में स्वराज्य स्थापित करने के

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

लिये एक कदम है और इसमें हर एक व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। वह अगर चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, वह एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं। उन से भी अपील करूंगा, और आशा करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने इस समय भवन के सामने रखा है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि वह इस प्रकार का है कि जिस पर माननीय मंत्री जी अकेले ही निर्णय करने के लिये हिचकिचाये। क्योंकि इस संशोधन का सम्बन्ध केवल पंचायतों से नहीं, किन्तु सबसे महत्वपूर्ण उस विषय से इसका सम्बन्ध है कि आया हमारी प्रदेशीय सरकार कुछ शासन का अधिकार छोड़े या न छोड़े और अगर छोड़ने के लिये तैयार हो सकती है तो फिर उन छोड़े हुये अधिकारों को क्या इन डिसेंट्रलाइजेशन की जो संस्था है, इनको सुपुर्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सब मानेंगे ही कि अधिकार देने और उसके साथ-साथ आर्थिक शक्ति भी देने, कि जिससे वह अधिकार निभायें जा सकें, बगैर इन दोनों के दिये हुए उस अधिकार का कोई भी उपयोग नहीं कर पायेगा। मंत्री महोदय ने, हालांकि मत-भेद उस सम्बन्ध में हो सकता है कि उन्होंने सही रूप से या गलत रूप से अधिकार दिये हैं या नहीं दिये हैं, किन्तु अपने विचार के अनुसार उन्होंने पंचायत राज स्थापित करने के लिए और अच्छी तरह से चलाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन करने की चेष्टा की है। मगर अब प्रश्न यह है कि जबकि एक तरफ उन्होंने पंचायत राज्यों को स्थापित किया और उसकी स्थापना को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या बगैर त्रिपाठी जी के या इस प्रकार के किसी और संशोधन के स्वीकार किये ही उनकी कोशिश कभी भी सफल हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी और अब भी मैंने यह कह दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण विषय है और उसका सब से महत्वपूर्ण अंग यह है कि साथ ही साथ लखनऊ सरकार जो अधिकार छोड़े, अपनी आमदनी त्यागे, उस त्यागी हुयी आमदनी को डिसेंट्रलाइजेशन के इंस्टीट्यूशंस अपनी आमदनी गिन कर और बंधी हुयी आमदनी मानकर अपने काम को चला सकें, जहां तक लैन्ड रेवेन्यू का सवाल है यह तो मानी हुयी बात है.....

†श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो संशोधन का प्रस्ताव है कि "खंड २६ में प्रस्तावित उपधारा (२) को उपधारा (३) के रूप में रख दिया जाय तो आप देखेंगे कि विधेयक में खंड २६ जो है उसमें यह जिक्र है कि "मूल अधिनियम की धारा ३२ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" यानी उपधारा (१) के बारे में तो व्यवस्था की गयी है कि मूल अधिनियम की जगह पर यह कर दिया जाय, लेकिन वहां पर मूल अधिनियम की उपधारा (२) के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो आपने संशोधन जो रखा है उसमें सिर्फ यह कहते हैं कि जो विधेयक है उसमें उपखंड (२) को (३) कर दिया जाय। तो जब तक उसमें यह न हो कि मूल अधिनियम में कौन सी उपधारा यह फार्म करेगी वहां किस जगह पर इसे फिक्स किया जायगा, तबतक इसका कुछ मतलब नहीं निकलता विधेयक जो है उसमें तो सिर्फ उपधारा (१) के बारे में दिया हुआ है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैंने आपका प्वाइंट आफ आर्डर समझा। धाराओं के सम्बन्ध में तो आपको भी अधिकार है और माननीय सदन को तो अधिकार है ही। यदि यह संशोधन मान लिया जाता है तो धाराओं में तो आप अपने ही विशेषाधिकार से इसे ठीक रख सकते हैं। तो यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं समझता हूं माननीय अब्दुल मुईज खां साहब ने व्यर्थ ही अपनी शक्ति का अपव्यय किया।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--यह स्पष्ट नहीं होता कि किस जगह पर आप इसे रखना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--पहले इस विषय पर वादविवाद हो जाय अगर यह स्वीकार हो जाता है तो यह तय हो जायगा कि किस प्रकार रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--हां । यह तो बाद में हो जायगा ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं लैन्ड रेवेन्यू के सिलसिले में कह रहा था कि यह एक अनिवार्य सी बात दीखती है कि अगर पंचायतों की और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आमदनी का जरिया पैदा करना है तो लैन्ड रेवेन्यू की आमदनी का अधिकांश इन पंचायतों को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देना आवश्यक है । माननीय त्रिपाठी जी के विचारानुसार लैन्ड रेवेन्यू का कम से कम २५ प्रतिशत गांव सभाओं के फंड में कंट्रीब्यूशन के रूप में इकट्ठा किया जाय । मैं इस संशोधन का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं और माननीय मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वह न ठुकरावें । इस संशोधन को कार्यान्वित करने में यदि उनके सामने अड़चन हो या यदि वह समझें कि इसको इस प्रकार इकट्ठा स्वीकार करना शायद उचित न हो तो मैं उनसे सिफारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर एक कैटागारिकल और आफ हैन्ड आनसर निगेटिव में देना उचित न होगा क्योंकि यह उनका ही सबसे बड़ा फर्ज है कि जिन चीजों की वह देखभाल कर रहे हैं, जिनकी वह स्थापना कर रहे हैं, जिनको वह सुचारु रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आमदनी का जरिया भी पैदा करें । हमारा सुझाव है कि लैन्ड रेवेन्यू का अंश दिया जाय । मंत्री महोदय, हो सकता है, इससे पूर्णतया सहमत न हों । शायद इसमें संशोधन करना चाहें तथा प्रतिशत को घटायें या बढ़ायें किन्तु यह कहना कि इस संशोधन के सिद्धांत से मंत्री महोदय असहमत हैं यह मैं समझता हूं कि शायद गलत है । यदि ऐसा है तो वह अपने ही काम में एक बहुत बड़ी बाधा पैदा करते जायेंगे । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि कभी लखनऊ की सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि क्या अब समय आ गया या नहीं कि हम अपने हाथों के अधिकार डीसेन्ट्रलाइज करें । इस डीसेंट्रलाइजेशन के विषय पर बहुत चर्चा होती है और हमेशा वही गलत उत्तर मिलता है कि डीसेंट्रलाइजेशन तो हो रहा है । मैं इतना ही कहूंगा कि डीसेंट्रलाइजेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उन डीसेंट्रलाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की आर्थिक दशा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं की जायगी । यह कहना कि सरकार की तरफ से सालाना सबस्क्रिप्शन मिलता है यह कोई आमदनी का जरिया न होगा । बजट बनाने का अधिकार मंत्री महोदय ने उन्हें दे रखा है मगर बजट किस चीज का बनायेंगे जब उनके सामने कोई आमदनी का जरिया ही नहीं है और आमदनी में इस सबस्क्रिप्शन को बार-बार शामिल करके उसी पर निर्भर रहना न उन संस्थाओं के लिए एक शोभनीय चीज है, नहीं एक ऐसी चीज है जिसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को किसी विशेष महत्व का समझ कर चला सकते हों । इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही निकलता है कि लैन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन उनके सुपुर्द किया जाय । चाहे माननीय मंत्री इसको अभी स्वीकार न करें किन्तु आशा करता हूं कि जो बाधायें इस समय सामने रहीं हो वह शीघ्र दूर हो जायंगी और शीघ्र ही वे इसको भी स्वीकार कर लेंगे । आशा तो यही है कि इसको अभी स्वीकार कर लेंगे परन्तु यदि किसी कारण इसको अभी स्वीकार न कर सकें तो शीघ्र ही जो लैन्ड रेवेन्यू का अंश गांव सभा के फंड में क्रेडिट करना आवश्यक है उनके लिए यह आवश्यक आमदनी का जरिया पैदा करेंगे ।

श्री शिवनाथ काटजू--उपाध्यक्ष महोदय,

राजा वीरेन्द्रशाह--एक प्रस्ताव मैं करना चाहता था । गेंदा सिंह जी का प्रस्ताव भी इसी तरह का है । अगर दोनों मूव हो जाते तो भवन का समय बच जाता । दोनों पर साथ-साथ बहस हो जाती ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो कुछ भिन्न मालूम पड़ता है ।

श्री मोहनलाल गौतम---इतनी बात तो कामन है कि परसेंटेज मुकर्रर किया जाय । अगर साथ बहस हो तो अलग-अलग वोट ले लिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री शिवनाथ काटजू बोल लें, उसके बाद श्री गेंदा सिंह अगर चाहें तो मूव कर दें ।

श्री शिवनाथ काटजू---मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी.....

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---और माननीय गेंदा सिंह जी के आने वाले संशोधन....

श्री शिवनाथ काटजू---और माननीय गेंदा सिंह जी के आने वाले संशोधन का विरोध करता हूं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो संशोधन पेश नहीं हुआ है, उसका कैसे जिक्र कर सकते हैं ?

श्री शिवनाथ काटजू---मुझे आपही ने सलाह दी थी।

मैं रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन का विरोध करता हूं ।

प्रश्न यह है कि गांव सभा के कोष में नियमित रूप से सरकार की तरफ से गांव-सभायें जो रक़म जमा करें उसका २५ प्रतिशत दिया जाय। जहां तक माननीय बालेन्दुशाह जी ने डिसेंट्रलाइजेशन की समस्या के सम्बन्ध में कहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कौन सा प्रश्न उठता है। सीधी सी समस्या यह है कि जो वह जमा करें आया उसी से काम चलाये या सरकार नियमित रूप से २५ प्रतिशत उनके कोष में डाल दिया करे। जहां तक यह सवाल है इसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कैसे सवाल पैदा होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक सिद्धान्त के ऊपर माननीय त्रिपाठी जी ने कहा आज हम सभी चाहते हैं कि गांव का पुर्ननिर्माण हो और उसके लिये हमारी प्रान्तीय सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। तो वह भी प्रश्न यहां नहीं है। प्रश्न सीधा सा यह है कि विधेयक में कोई ऐसा नियम बनायें जिसके द्वारा यह बन्धन लगा दिया जाय कि अगर गांव सभाएं स्वयं पांच सौ रुपया वसूल करती हैं तो उसका २५ प्रतिशत सरकार दे। हमारे यहां म्युनिसिपल बोर्ड्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, टाउन एरियाज हैं क्या वहां कोई इस प्रकार का नियम है कि जितना वह जमा करें उसका कोई अंश उनको सरकार दे ? मेरे ख्याल में तो कोई ऐसा नियम नहीं है। हां, जहां कोई विशेष आवश्यकता हो तो सरकार जहां मुनासिब समझती है मदद करती है। वह दूसरा सवाल है। लेकिन जब आप उनको स्वशासन की संस्थाओं के रूप में निर्माण कर रहे हैं तो आप नई बात कैसे पैदा कर देते हैं ? श्रीमान जी, प्रश्न यह देखना है कि सरकार के पास रुपया नहीं है, लेकिन नये खर्चे लगेंगे तो रुपया कहीं न कहीं से लाना होगा और उसके लिये किसी न किसी रूप में टैक्स लगाना ही होगा। इस समस्या पर काफी विचार हो चुका है कि गांव सभाओं के लिये धन और कोष के लिये क्या व्यवस्था हो। श्रीमन्, मंत्री महोदय का यह सुझाव बहुत मुनासिब सुझाव है कि अगर मालगुजारी उन्हीं के द्वारा वसूल की जाय तो उनको सवा ६ फीसदी हिस्सा उसमें से मिल सकता है और उससे उनको लगभग १ करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है और यह चीज विधेयक के अन्दर है। लेकिन हमने इस चीज को बन्धन के रूप में नहीं रक्खा। जहां तक टैक्सेशन की वसूली का सवाल है उस पर विचार किया गया कि किस प्रकार से उनको धन संग्रह

के रास्ते दिखाये जायं और आसान किये जायं। लेकिन जहां तक सरकार के हाथ बांधने का सवाल है कि सरकार उनको २५ प्रतिशत रुपया हर हालत में दे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उचित नहीं होगा और जिस सिद्धान्त के अनुरूप स्वशासन की संस्थायें बनी हैं उनके यह बिल्कुल विपरीत होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार गांव के पुर्ननिर्माण के कार्य में हाथ न डाले। जहां तक सड़कों का, पशु चिकित्सालयों का, सफाई का, अस्पतालों का सम्बन्ध है इन सारे कार्यों में हमारी सरकार रुपया लगा रही है। लेकिन यहां केवल प्रश्न यह है कि गांव समाज की जो संस्था है जितना धन वह संग्रह कर सके, उसी के अनुसार वह बजट बनाये और खर्च करे। अंग्रेजी में एक मुहावरा है "स्पून फीडिंग"। क्या आप उनको चम्मच से खिलाना चाहते हैं जिससे वे हमेशा खुद काम न करें और सरकार की तरफ देखती रहें। मेरे ख्याल से इस प्रकार का बन्धन लगाना उचित न होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

खंड २६ में प्रस्तावित उपधारा (*i*) को भाग (*a*) करके निम्नलिखित नया भाग (*b*) जोड़ दिया जाय--

'(*b*) The State Government shall contribute a sum not less than 10 per cent. of the revenue to the Gaon Fund."

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो है वह एक प्रकार से माननीय रामनारायण जी का जो संशोधन है कुछ हद तक उसके विरोध में जाता है, लेकिन आपके निर्णय के अनुसार मैं इस संशोधन को इसी समय रख रहा हूं ताकि सदन का समय बच जाय और बहस एक ही मर्तबा हो जाय। संभव है रामनारायण जी के संशोधन पर सरकार को २५ प्रतिशत अपनी आमदनी का हिस्सा देने में परेशानी होती। लेकिन मेरे प्रस्ताव के मुताबिक १५ प्रतिशत की बचत हो जाती है और इस कारण उस पर कुछ विचार करने का अवसर मिलता है और यह आशा बैठती है कि सरकार शायद इस पक्ष में अपना निर्णय दे दे। इसलिये मैं यह संशोधन आपकी सेवा में रख रहा हूं।

माननीय रामनारायण जी ने जो बातें कहीं हैं अब मैं उनको दोहराना उचित नहीं समझता। मैं एक हिस्सा तो उनके भाषण के लिये छोड़ देता हूं। जहां कहीं भी और दूसरे सूबों में इस तरह के कानून बने हैं वहां पर १० प्रतिशत या १५ प्रतिशत या इससे भी अधिक कहीं-कहीं की सरकारों ने गांव पंचायतों के लिये, गांव सभा के कामों के लिये अपनी मालगुजारी का हिस्सा दिया है। कुछ सरकारों की आमतौर से जानकारी मुझे है कि उन्होंने अपनी गांव सभाओं को काम करने के लिये, उनके लिये सुविधा पैदा करने के लिये, उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये अपनी मालगुजारी में से एक भाग दिया है। मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी का काम गांव-पंचायतों के सुपुर्द किया जा रहा है वह काम धनाभाव के कारण नहीं हो सकता है और धन का अभाव जिस प्रकार से पिछले जमाने में रहा, गांव सभाओं को और गांव पंचायतों को जिस प्रकार से धन नहीं प्राप्त हुआ वह बावजूद इसके कि हमारी जो पंचायतों का काम करने वाली कमेटी बनी थी उसने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की फिर भी हम दबी जबान से उसकी शिकायत भी करते हैं। उन शिकायतों के कारण और दूसरे कारणों में से अगर जांचा जाय तो सब से बड़ा कारण तो यही रहा है कि गांव सभा में कोष की कमी रही है और गांव पर कर लगाने की तरफ अधिक मनोवृत्ति रही। कोष की कमी दूसरे ढंग से पूरी नहीं हो सकती है। तो जब कर लगाने की बात आयी तो ऐसी हालत में गाँव पंचायतें लोक अप्रियता का शिकार बनने लगीं और गांव पंचायतों के काम में कठिनाई आयी। तो फिर इस हालत में मैं समझता हूं कि गांव पंचायतों की सरकार अगर कुछ नाम मात्र को भी सहायता कर सके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

तो गांव सभायें जिनको वह शासन की इकाई समझते हैं वह शासन की इकाई मजबूत हो सकती है और वह सरकार के शासन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हो सकता है कि सरकार यह बात भूल गयी हो लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि अपने मामलों में भूलने वाली है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक जमींदारी प्रथा इस देश में कायम थी उस जमाने में जमींदारों के ऊपर एक टैक्स लगाने का प्रविजन था और अगर पहले मूल अधिनियम की धारा ३७ को देखा जाय तो उसमें यह मिलेगा कि—37-B. A tax on rent received by any proprietor or under-proprietor on account of land as defined in section 3 of the U. P. Tenancy Act, 1939 not exceeding six pies in a rupee of such rent the tax aforesaid being payable by the person or persons severally or jointly recorded in proprietory or under-proprietory possession of such land in accordance with the provisions of section 32 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901." इसके अनुसार जमींदारों को जो मालगुजारी वसूल करते थे दो पैसा फी रुपया उनको कर देना पड़ता था। जमींदारी खत्म हो गई और जमींदारों का एहसान सरकार ने ले लिया। तो फिर इसमें कोई बहुत मेहरबानी की बात भी नहीं होती। दो पैसा रुपया के माने हो गये सवा छः प्रतिशत। इससे कम हो सकती है मैं शायद गलती करता हूं। जमींदारी वेस्ट कर गयी सरकार में तो जब जमींदारी की मालिक सरकार हो गयी और जमींदारों के स्थान पर उसी मालगुजारी को जमीन जोतने वालों से सरकार वसूल कर रही है तो ऐसे पवित्र और पुनीत काम के लिए गांव सभाओं को उसको क्यों नहीं देना चाहिये जब कि वह गांव सभाओं की प्रशंसा करते हुये नहीं थकती है। उन गांव सभाओं को जिनका काम इस वक्त दिया जा रहा है उनको गिना कर मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी मेहरबानी की बात नहीं है। दो पैसा वह होता है और ६ पैसा और हम कहते हैं १ रुपये में से २ आने हम मांग रहे हैं। हम १०० रुपये में से कुल १० रुपये मांग रहे हैं। अव्वल तो वह रक़म जो जमींदारों की सरकारी खजाने में जा रही है कुछ तो वह हो गयी और कुछ जो सरकार की आमदनी बढ़ी है उसमें हम चाहते हैं ईक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन हो, हालांकि उसे हम ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं मानते हैं। वह तो राम नारायण जी के प्रस्ताव से होगा क्योंकि ४ हिस्सों में राज्य की मालगुजारी को बांट दिया गया है। उसका चौथाई गांव में, चौथाई जिले में और चौथाई सूबे में, इस तरह से जैसा भी हो लेकिन अगर चौथाई गांव को दे दिया जाता तो वहां कुछ उचित बटवारा हो सकता था। चारों ओर से लोग अब सरकार को समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे। शासन की उस ईकाई के महत्व को समझावेंगे तो शायद सरकार इस बात को मंजूर कर ले और माननीय स्वशासन मंत्री जी सरकार की ओर से हमें इसका उत्तर भी देंगे। अगर इनकी इच्छा यह हुई कि इस संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाय तो ५० लाख ६० लाख रुपया जो वह मंत्रियों की तनख्वाह में देते हैं या सरकार देती है उसका बड़ा बोझ है गांव सभाओं के ऊपर कि सरकार जो देती है वह दान की तरह देती है।

विनोबा जी ने दान की परिभाषा कर दी है कि दान में भी हक़ है लेकिन अभी सर्वसाधारण लोग दान को कोई हक़ नहीं समझते। तो मैं चाहता हूं कि गांव सभाओं को हक़ दिया जाय, दान न दिया जाय। ग्रांट का मतलब मैं दान समझता हूं और ऐसा ही गवर्नमेंट के लोग भी समझते हैं। इन गांव सभाओं को पैसा देने में किसी प्रकार से भी सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिये। पहले जो ऐक्ट था उसमें इतना नाम प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी का नहीं था जितना अब इस विधेयक में आगया है। जहां देखिये वहीं यह लिखा हुआ है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी। तो प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी पूरी तरह से हावी रहेगी गांव सभाओं के ऊपर। इनके ऊपर तो सरकार को पूरा भरोसा होना चाहिये, अगर गांव सभा के ऊपर नहीं है। यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी अगर ग़लत ढंग से खर्च करेगी तो सरकार को उसका हाथ पकड़ने का पूरा मौक़ा है कि तुम यह क्या करते हो। बजट जो गांव सभा पास किये होगी अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहेगी तो उसे उलट देगी और अगर वह नहीं पास करना चाहेंगे तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पास करा देगी।

यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी एक ऐसी चीज़ सरकार ने उन लोगों के ऊपर रख दी है कि जो चाहे वह गांव पंचायतों या सभाओं के मामले में कर सकती है चाहे वैसी इच्छा गांव सभा की हो या न हो, या उसके विपरीत हो। अगर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी चाहेगी कि तुम सर के बल खड़े हो तो होना पड़ेगा। गांव सभाओं को इस प्रकार से रुपया देने में मैं समझता हूं कि सरकार की बदनामी है। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस बदनामी को क्यों लेना चाहती है। फिर इस दान की भावना को सरकार अपने मन में क्यों पैदा करे कि सरकार गांव सभाओं को दान कर रही है। सरकार को तो उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश करनी चाहिये। वह तो विलेज रिपब्लिक का नाम लेती है उसे तो महात्मा गाँधी का स्वप्न पूरा करना है। मैं समझता हूं कि गांवों को स्वावलम्बी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि उनको मालगुजारी का १० प्रतिशत दिया जाय जिसको वह अपने डेवलपमेंट के कामों में ख़र्च कर सकें, लोगों को अपनी नौकरियों में रख कर उनको ठीक समय से तनख्वाह दे सकें, फिर ऐसे भी काम कर पायें जिनसे गांवों के लोग समझें कि गांव सभा हमारी रक्षा के लिये बनी हुई है। वह हमारे हिफाजत और मदद के लिये है। न कि यह समझें कि गांव सभा बनाने का अर्थ यह है कि मन-माने कर लगाये जायं, चंदा मांगने आयें और दुनिया भर के कर लगाये जायं। फिर करों की वसूली में भी दिक्क़त नहीं होगी। फिर तो सरकार खुद कहेगी कि हम खुद दे रहे हैं फिर गांव वाले अपने लाभ के लिये क्यों नहीं देना चाहते हैं फिर मैं समझता हूं श्रमदान ड्राइव भी बड़े जोरों से चलेगा। कुर्की आदि करने की जो सरकार बदनामी अपने सिर पर लेती है वह उससे भी बच जायगी। गांव वालों को यह बात बहुत अपील करेगी कि सरकार की तरफ से उन्हें इस प्रकार से पैसा मिले। आप के खाली यह भाषण उनको अपील करने वाले नहीं होंगे लेकिन उसके मुकाबले में यह आपकी करनी अपीलिंग होगी तथा गांव के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। वे अपना कर्तव्य अधिक ईमानदारी और भावना से कर सकेंगे।

मैं सोचता हूं कि अब और लम्बा भाषण न दूं क्योंकि हमारे माननीय सदस्य स्वयं इस बात को समझते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय शिवनारायण जी कम से कम हमारे इस संशोधन का विरोध न करें, समर्थन करें। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर इस विचार को रखें कि किस प्रकार से गांवों की तरक्क़ी हो सकती है। यही सब से बड़ा प्रश्न है। शहरों को कुछ ग्रान्ट दी जाती है, म्युनिसिपैलिटी टाउन एरिया को कुछ रुपया दिया जाता है, उन्हें भी दी जाय लेकिन मैं कहता हूं कि उसके साथ ही साथ गांवों को भी धन दिया जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण तथा क्रान्तिकारी संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है मैं उसका घोर विरोध करता हूं। जब यह संशोधन पेश हुआ और साथ ही साथ माननीय गेंदा सिंह जी का भी संशोधन पेश हुआ तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने देखा कि एक ही पार्टी की तरफ से दो किस्म के अमेंडमेंट्स आये हैं जिनकी स्पिरिट तो एक ही है लेकिन जो परसेंटेज उन्होंने रक्खा है उसमें फर्क है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनकी पार्टी स्वयं इस बारे में एक मत नहीं है और किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। उनका यह संशोधन भावना पूर्ण तो अवश्य है लेकिन प्रेक्टीकल नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी और त्रिपाठी जी को तो यह मालूम होगा कि हमारे राज का बजट डेफीसिट बजट है। जितनी योजनायें हमारे सामने हैं उनके लिये भी हमारे पास काफी पैसा नहीं है। फिर मैं यह नहीं समझ पाया कि यह २५ प्रतिशत और १० प्रतिशत हम कहां से दे पायेंगे। दूसरी बात यह कि गावों के निर्माण का जो वे स्वप्न देखना चाहते हैं, वह स्वप्न तो अच्छा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी जो भी विकास योजनायें हैं उनके द्वारा किसी न किसी रूप में ग्राम्य जीवन का ही निर्माण होता है और उनका स्तर ऊंचा होता जाता है। अगर वे ऐसा नहीं समझते तो उनका विचार भ्रमपूर्ण है। इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि डिसेंट्रेलाइजेशन होना चाहिये। जहां तक मैं इसके मानी समझा हूं वह यह कि इसमें सरकारी इनतज़ाम का डिसेंट्रेलाइजेशन होता है न कि पैसे का। तो इसमें गांव सभायें अपना इंतज़ाम स्वयं करेंगी। लेकिन उनके काम सीमित हैं--जैसे गांवों

[श्री नवल किशोर]

की सफ़ाई, सड़कें आदि। गांव की जो छोटी मोटी स्थानीय चीजें हैं वे पंचायतों के हाथ में हैं। बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वे तो गांव सभाओं के काबू से बाहर के हैं। इसलिये हमें तो यह भी देखना है कि जो बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं वे किस तरह से सफल बनेंगी। दूसरी बात इस सिलसिले में यह भी कहनी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो बनेगी वह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बनायी जायगी और हर डिस्ट्रिक्ट की जो मुक.मी चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुये जो-जो प्रोजेक्ट होंगे वे बनाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी का जो अभिप्राय और मंशा है कि गाँव का विकास गांव के स्थानीय चीजों से हो उनका अधिक से अधिक ध्यान रखा जायगा और दूसरा फेज जो पंचवर्षीय योजना का है उससे उनकी मंशा बहुत कुछ पूरी हो जायगी। माननीय त्रिपाठी जी ने यह भी कहा है कि पंचायतें बहुत अच्छी हैं और यह एक स्वावलम्बी यूनिट होगी, यह भी बहुत सुन्दर है। लेकिन हमको यह भी देखना है कि आज हमारे यहां ८६ फी सदी आदमी अनपढ़ हैं और बहुत सी पंचायतों में तो एक दो को छोड़कर ९८ फी सदी अनपढ़ होंगे और हम यह भी जानते हैं कि जो फंड उनके पास गांव के हैं उनका न तो उनके पास कोई एकाउन्ट है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया, इसका भी हमें ज्ञान है कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी रही है। तो इतना अनुभव होने के बाद भी जो स्टेट रेवेन्यू की २५ प्रतिशत या १० प्रतिशत देने की बात कही जाती है वह अधिक उचित नहीं है।

श्री अब्दुल मुईज खां--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं भी प्वाइन्ट आफ आर्डर के जरिये एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अभी आप बैठ जायं।

†श्री अब्दुल मुईज खां--उपाध्यक्ष महोदय यहां दो संशोधन हैं। एक में तो २५ प्रतिशत और एक में १० प्रतिशत स्टेट रेवेन्यू से लेने की बात कही गयी है। श्रीमन्, कंस्टीट्यूशन आफ इंडिया का आर्टिकल २०७ जो है, वह इस प्रकार है:

"207. (1) A Bill or amendment making provision for any of the matter specified in sub-clause (*a*) to (*f*) of clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor."

[२०७(१) अनुच्छेद के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरः स्थापित या प्रस्तावित न किया जायगा।]

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप १९९(१) (ई) (एफ) देखें तो उसमें दिया हुआ है क कंसोलिडेटेड फंड से जितना गवर्नर का एक्सपेंडिचर कवर होता है उसके बारे मेंयह आर्टिकल २०७ बार करता है कि बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के कोई बिल या कोई अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। ये दोनों संशोधन जो हैं चूंकि इसका उल्लंघन करते हैं इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी समझता हूं कि माननीय मुईज खां की यह दलील मानी जाय तो इस बिल पर विचार करना इस वक्त बन्द कर दिया जाय और इस अमेंडमेंट के साथ इस बिल को गवर्नर महोदय के पास भेज दिया जाय उनकी स्वीकृति के लिये और उनकी स्वीकृति लेने के बाद ही इस पर इस सदन में विचार हो सकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह--उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह आपत्ति है कि आपने इतनी देर में यह सवाल उठाया जबकि दोनों प्रस्तावों पर काफी बहस हो चुकी है। तो यह सवाल आउट आफ आर्डर करार दिया जाय।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर माननीय मुईज खां ने आपके ऊपर आक्षेप किया है चूंकि कोई भी संशोधन या प्रस्ताव हो वह आपही के द्वारा भेजा जाता है। यह संशोधन भी कई दिन आपके समक्ष रहा। अगर आप आवश्यकता समझते तो स्वयं इसकी स्वीकृति मंगा लेते। किसी माननीय सदस्य का यह कर्तव्य नहीं है क्योंकि जो भी प्रस्ताव या विधेयक हो वह माननीय अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। ऐसी सूरत में जब आपने इसकी स्वीकृति नहीं मंगायी तो इससे यह मालूम होता है कि इसको पास करने के बाद भी इसको गवर्नर महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा जा सकता है। क्योंकि इस विधेयक को पास करने के बाद ही आप खर्च करना नहीं शुरू कर देंगे जब तक कि राज्यपाल की स्वीकृति न मिल जाय। माननीय मुईज खां को मालूम है कि कोई भी विधेयक स्वीकृत होने के बाद तभी अधिनियम बन सकता है जबकि गवर्नर महोदय का उस पर हस्ताक्षर हो जाय। तो डिस्कशन के स्टेज में जरूरी नहीं है कि इस तरह का सवाल उठाया जाय। जब हाउस से यह पास हो जायगा तो खर्च करने के वक्त गवर्नर साहब की स्वीकृति लेली जायगी। इसीलिये मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष या उनके सचिवालय ने इस संबंध में माननीय राज्यपाल से कोई लिखापढ़ी नहीं की।

श्री अब्दुल मुईज खां--मेरे आब्जेक्शन का जवाब नहीं आया कि संविधान की दफा २०७ का बार किस तरह से हटता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह एतराज नियम के अनुसार मालूम होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं समझता हूं कि इन संशोधनों के लिये गवर्नर महोदय की स्वीकृति मांग ली जाय और इनको दो तीन दिन के लिये स्थगित कर दिया जाय।

राजा वीरेन्द्रशाह--यह सवाल अब इतनी देर में उठाया गया है कि अब जब संशोधनों पर बहस हो चुकी तो उस को कैसे रोका जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि एतराज सही है, इसलिये मैं इस वक्त इस की इजाजत नहीं देता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, आप ने शब्द "इस वक्त" इस्तेमाल किया इसका मतलब हम समझते हैं कि आप इसको गवर्नर की स्वीकृति के लिये भेज रहे हैं और इस वक्त इसको उस समय तक के लिये स्थगित कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि चूंकि ऐतराज पेश हो गया है इसलिये यह बगैर गवर्नर की इजाजत के नहीं लिया जा सकता।

श्री गेंदा सिंह--मैं आप से उपाध्यक्ष महोदय, दरख्वास्त करता हूं कि हमें आप इजाजत दें और समय दें कि हम गवर्नर साहब की स्वीकृति ले आयें और तब तक इस धारा पर विचार स्थगित रखें।

श्री उपाध्यक्ष--जैसी कि सदन की इच्छा है कि यह नियत समय में समाप्त हो जाय और स्थगित करने में समय अधिक लग जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह दो तीन दिन में हो सकता है, आप स्पेशल मेसेन्जर द्वारा इस को जल्दी ही मंगा सकते हैं। आप भी प्रयत्न करें और इस सेक्रेटेरियट का भी कर्तव्य है। इसलिये इस समय तो इस को स्टे कर के गवर्नर साहब की स्वीकृति का इंतजार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं १४ तारीख तक के लिये इसका विचार स्थगित किये देता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं जानना चाहता हूं कि आप की क्या व्यवस्था हुई।

श्री उपाध्यक्ष—व्यवस्था यह है कि इन दोनों संशोधनों का विचार १४ तारीख तक के लिये स्थगित किया जाय ताकि माननीय सदस्य इस संबंध में गवर्नर की अनुज्ञा प्राप्त कर सकें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं अपने संशोधन को तो शायद वैधानिक कारण से पेश न कर पाऊंगा लेकिन इस बात की तरफ मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता था ताकि माननीय मंत्री जी को इस संबंध में सब बात मालूम हो जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर संशोधन सामने नहीं है तो माननीय सदस्य कमरे में आकर मुझे बता दें और कह लें, मैं उस पर जरूर गौर करूंगा।

खंड २७

यू० पी ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३६ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ३६ में शब्द "State Government" के बाद शब्द "or any other Gaon Sabha" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ३७ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Imposition of Taxes and fees.

37. (1) Subject to the rules made or directions given or restrictions imposed by the State Government, a Gaon Sabha may levy—

(*a*) in areas where the rights, title and interest of intermediaries have been acquired under section 4 of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, a tax on land not exceeding one anna in a rupee on the amount of land revenue payable therefor:

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be payable by the person in actual cultivation;

(*b*) in areas other than those referred to in clause (*a*) a tax on rent not exceeding one anna in a rupee on the amount of rent payable by a tenant by whatever name called, under the law in force relating to land tenures :

Provided that where the land is in the actual cultivation of the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall not exceed one anna in a rupee on the amount of land revenue for such land;

(*c*) a fee subject to a maximum of six rupees per annum on persons carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha :

Provided that in the case of theatre, a cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha, a fee not exceeding one rupee per diem as may be approved by the prescribed authority may be levied ;

(*d*) a tax payable by the owner thereof on animals and vehicles other than mechanically propelled vehicles kept within the area of the Gaon Sabha and plied for hire, at the rate—

(i) in the case of animals , not exceeding three rupees per animal per annum ;

(ii) in the case of vehicles, not exceeding six rupees per vehicle per annum ;

(*e*) fees on persons, not being persons assessed to fee under clause (*c*) exposing goods for sale in markets, *hats* or *melas* belonging to or under the control of the Gaon Sabha concerned ;

(*f*) fees on the registration of animals sold in any market or place belonging to or under the control of the Gaon Sabha ;

(*g*) fees for the use of slaughter houses and encamping grounds ;

(*h*) a water rate where water is supplied by the Gaon Sabha;

(*i*) a tax for cleaning private latrines and drains payable by the owners or occupiers of the houses to which the private latrine or drain is attached, where such cleaning is done through the agency of the Gaon Sabha;

(*j*) a lighting rate where the lighting of public streets, places or buildings is undertaken by the Gaon Sabha;

(*k*) a tax, not exceeding such rate as may be prescribed, on buildings owned by persons who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds three hundred rupees.

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 (1) के भाग (*a*) की पंक्ति ३ में शब्द "one anna" के स्थान पर शब्द "half anna" रख दिये जायं।

श्रीमन्, जिस तरह का मेरा प्रस्ताव है उसी प्रकार का गजेन्द्र सिंह का और वीरेंद्रपति जी यादव का भी है अर्थात् भवन की जितनी भी पार्टियां हैं सभी की तरफ से यह प्रस्ताव है कि "एक आना" के बजाय "आधा आना" कर दिया जाय। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने भाषण किये कि यदि सरकार चाहती है कि ग्रामीण जनता अपने यहां का उत्थान करे तो सरकार को चाहिये कि वह अपने कोष से रुपया निकाल कर दे। उन्हीं से रुपया ले कर उन्हीं पर खर्च करने से मैं समझता हूं कि उत्थान नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि जितना उत्साह दे कर वह काम करना चाहते हैं वह उत्साह उनका हो नहीं पाता। सरकार को चाहिये कि ग्रामीण जनता पर कम से कम टैक्स लगे और उनको मदद दे और प्रोत्साहन दे और बाद में वह स्वयं देखेगें और मैं उसको विश्वास दिलाता हूं कि वे एक आना क्या कई आने रुपये तक देने के लिये तैयार हो जायेंगे मगर जब शुरुआत हम करते हैं तब आधा आना ही रखा जाय। अभी तक ग्राम पंचायतें दो पैसा रुपया टैक्स लेती हैं और अगर सरकार इस संशोधन विधेयक के जरिये एक आना अनिवार्य कर देगी तो मैं समझता हूं कि वह अधिक होगा और उनको बहुत बड़ी मुसीबत होगी कि वह एक आना रुपया तो टैक्स दें और फिर उनके ऊपर वह पूरा रुपया खर्च भी न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और विशेषतः जब यह सभी पार्टियों की ओर से आया है।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेंद्र शाह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय वीरेंद्र शाह जी का कहना यह है कि कर लगाने का अधिकार १ आने की बजाय आध आना कर दिया जाय। यों तो हम लोग इसके बिलकुल ही खिलाफ हैं कि गांव सभाओं को टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय।

[श्री गजेन्द्र सिंह]

अगर गांव सभा को टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया जाता है और वह टैक्स लगाती है तो इससे गांव सभायें अलोकप्रिय हो जाती हैं और इससे डेवलपमेंट के उनके काम में बाधा पड़ती है। गांव पंचायतों का गांवों को डेवलेप करने के लिये लोकप्रिय रहना बहुत ही जरूरी है। ऐसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव पंचायतों के द्वारा किसी भी सूरत में टैक्स नहीं लगना चाहिये और जैसाकि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने एक प्रश्न रक्खा था कि अगर गांव पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होगा तो खर्चा कहां से चलेगा तो उसके लिये यह है कि राज्य सरकार पैसा दे सकती है। लेकिन अगर हम टैक्स का विरोध करें तो ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कहा जाता है कि यह लोग गांव सभाओं को चलने नहीं देना चाहते हैं। ऐसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को हम मान लेते हैं कि जब तक सरकार अपनी आमदनी का चौथाई हिस्सा गांव पंचायतों को न दे तब तक थोड़े समय के लिये उनको टैक्स लगाने का अधिकार दे दे। लेकिन इस तरह से इतने हेवी टैक्सेज नहीं लादे जाने चाहिये जिनको कि वहां की जनता न दे सके। इसलिये अगर एक आना फी रुपया उनपर टैक्स लगाया जायगा तो मेरी समझ में यह बहुत ज्यादा होगा और उससे उनको इसके अदा करने में बड़ी परेशानी होगी। इससे अच्छा तो यही है कि जब तक सरकार अपनी आमदनी का चौथाई हिस्सा नहीं दे सकती तब तक एक आने की जगह पर आध आना फी रुपया टैक्स की वसूलयाबी का अधिकार उनको देना चाहिये। इससे टैक्स देने वालों को कुछ राहत मिलेगी। आगे चलकर वह जब लोगों की पैदावार बढ़ा सकेंगे, उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा सकेंगे, जब उनके पास पैसा हो जायगा तो आगे वह टैक्स बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन इस सूरत में जब कि उपाध्यक्ष महोदय अभी गांवों में उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ी है, अभी आमदनी के जरिये नहीं पैदा किये गये हैं, राज्य सरकार की ओर से टैक्स, केन्द्रीय सरकार की ओर से टैक्स, पचासों किस्म के टैक्स और उसके साथ ही साथ गांव पंचायतों के टैक्स अगर लगा दिये जायेंगे तो उससे पंचायतों के ऊपर जो सरकार की और वहां के लोगों की आस्था है वह गिर जायगी। ऐसी सूरत में पंचायतों के कार्य को ठीक से चलाने के लिये और पंचायतों की लोकप्रियता को कायम रखने के लिये यह जरूरी है कि पंचायतों के द्वारा कम से कम टैक्स लोगों के ऊपर लगाये जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने यह नहीं किया है कि एक आना लिया जाय बल्कि इसमें यह है कि एक आने से एक्सीड नहीं हो सकता है। अगर गांव सभायें चाहें तो वह एक पैसा ही ले सकती हैं लेकिन वह बाउन्ड नहीं हैं कि एक आना ही लें। लेकिन जो अमेंडमेंट रक्खा गया है उसमें यह है कि दो पैसा लें। वह बाउन्ड कर रहे हैं कि दो पैसे से कम न वसूल करें। लेकिन गवर्नमेंट ने जो रक्खा है वह यही है कि एक आना से ज्यादा न वसूल करें। मैं आपके जरिये उनको बतला देना चाहता हूं कि वह लोग तो यही चाहते ही हैं कि हम कुछ ऐसे नियम बनादें जिसमें गवर्नमेंट की बदनामी हो। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कुछ यहां रखा है वह बहुत सुन्दर है और बहुत ही उचित है। पंचायत राज को यह भी अधिकार दिया हुआ है कि अगर गांव सभायें समझें तो टैक्स लगायें और अगर न समझें तो न लगायें। इसलिये इस संशोधन को अगर हम मान लेंगे तो उनका डेमोक्रैटिक जो राइट है उससे उनको हम वंचित कर देंगे। लेकिन जो बिल में रक्खा गया है उससे हम उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं बल्कि उनको फ्रीडम दे रहे हैं कि अगर वह चाहें तो एक पैसा लगायें या डेढ़ पैसा वा दो पैसा जितना भी वह चाहें लगायें। जो उनका संशोधन है उससे हम वहां के लोगों के डेमोक्रैसी और नागरिकता के जो राइट्स हैं उनपर वह ताला लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं। तमाम गांवों में डेवलपमेंट हो रहे हैं। ट्यूबवेल्स गांवों में हम लोग दे रहे हैं। पंचवर्षीय योजना का सारा प्रोग्राम गांवों में कर रहे हैं, सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। १५ लाख रुपया हर एक जिले को दिया जा रहा है। १५ लाख हमारी कान्स्टीट्यूयेंसी में गया कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये।

लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त जिन्होंने अमेंडमेंट दिया है उसका मैं विरोध करता हूं और मुनासिब समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो बिल में रखा है कि एक आना से एक्सीड न करे वह ठीक है और दरख्वास्त करता हूं राजा साहब से वे अपना अमेंडमेंट वापस ले लें।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने शिवनारायण जी के भाषण को बड़े गम्भीरतापूर्वक सुना और मैं यह उनसे कहना चाहता हूं कि जरा हमारे संशोधन को फिर से पढ़ लें तो यह समझेंगे कि जो वे हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वह फिर न लगा सकें। उसमें यह लिखा हुआ है कि नाट एक्सीडिंग टू पाइस। और मैं उनसे कहूंगा कि जरा पढ़ लिया करें। जो भ्रम उन्हें पैदा हो जाता है खामख्वाह वह दूर हो जाय और उसके बाद जो नसीहत वे हमें दें उसकी हम कद्र करें। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमने अभी मंत्री महोदय का उत्तर सुना नहीं लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं कुछ कहूं। मैं इतना कहूंगा कि शिव नारायण जी मंत्री होने वाले हैं। भगवान न करे कि ऐसा हो। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे इस संशोधन पर सरकार को गौर करना चाहिये और यह न समझें कि प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं आपके जरिये कि यह संशोधन मानकर वे हमारे ग्रामों में एक जीवन पैदा करेंगे। श्रीमन्, हमारे ग्रामों के जो रहने वाले हैं उनको पंचायती कार्य करने लिये सरकार एक बड़ा भारी उत्साह देगी। ज्यादातर पंचायतों में दो पैसा रुपया टैक्स लगता है लेकिन अब सरकार ने एक आना रुपया लगा कर..... .....

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आपकी इजाजत से मैं चाहता हूं कि राजा साहब अपने शब्द वापस कर लें। वे हमारे करेक्टर पर अविश्वास करते हैं। बेईमान बताते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप रूलिंग दें और वापस करावें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रत्येक माननीय सदस्य की अभिलाशा होती है मंत्री पद के लिये। ऐसा सोचना अनुचित बात नहीं है। इस प्रकार किसी माननीय सदस्य को नहीं कहना चाहिये कि वे मंत्री पद के लिये योग्य नहीं हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह--मेरा मंशा यह नहीं था कि वे मंत्री हो ही गये।

श्री शिव नारायण--यदि उनका मंशा यह नहीं·····

राजा वीरेन्द्रशाह--उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं वापस लेता हूं। श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि सरकार को यह गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि जब दो पैसा से ज्यादा किसी पंचायत ने टैक्स नहीं लगाया है तो कोई वजह नहीं है कि सरकार यहां पर एक आना रखे। इससे भ्रम पैदा होता है और बहुत सी पंचायतें समझेंगी कि एक आना हमको लगाना है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिये दो पैसा कर दिया जाय। तो कोई आपत्ति नहीं है और यह हमारा संशोधन मैं समझता हूं सरकार स्वीकार करेगी।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आना के बजाय दो पैसे तक उनको टैक्स लगाने का अधिकार का जब प्रश्न आता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस बात के समझने में कि आखिर पंचायतों का काम चलेगा कैसे। अभी जो ऊपर संशोधन था कि २५ फीसदी और १० फीसदी गवर्नमेंट मदद करेगी अगर वह तय हो जाता तो उसके साथ यह मेल खाता था कि टैक्स न लगायें, २५ फीसदी मिल ही जायगा। उस पर तो इस वक्त बहस है नहीं, मिलेगा या नहीं मिलेगा यह पता नहीं है। इसलिये इस वक्त आमदनी को घटाना मुनासिब नहीं होगा और राजा साहब की सूचना के लिये मैं यह निवेदन कर दूं कि तीन चौथाई गांव सभायें ऐसी हैं जिन्होंने एक आना तक टैक्स लगाया है और उस पर भी उनका काम नहीं चल रहा है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री जी से।

श्री उपाध्यक्ष--पूछिये।

राजा वीरेन्द्रशाह--जो सूचना मंत्री जी ने दी कि बहुत सी गांव सभाओं ने एक आना टैक्स लगाया तो मैं भी उनको सूचना देना चाहता हूं कि यह लगाया गया आपकी पंचायतों के सेक्रेटरियों की जबरदस्ती से और एक तरफा फैसला करके पंचों ने लगाया ।

श्री मोहनलाल गौतम--किस तरह से लगाया गया यह तो बात नहीं है

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (*a*) की पंक्ति ३ में शब्द 'One anna' के स्थान पर शब्द 'Half anna' रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में--९

विपक्ष में--९२।)

श्री तेजप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा ३७ की उपधारा (1) के भाग (*a*) के प्राविजो के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय कि :

"Provided that in Bundelkhand the tax on land not exceeding two rupees annually per plough (a *Har* or *Bakhar* or a *Goyin* employing a pair of bullocks for cultivation) shall be payable by cultivators on the principal of *harbandi*,"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी पिछले कई वर्षों से हम सब यह देखते आये हैं कि टैक्स जो गांव में लगाया गया चाहे वह पंचायतों द्वारा ही लगाया गया हो लेकिन उनकी वसूली में बड़ी दिक्कत पड़ रही है और उनकी वसूलयाबी न होने के कारण सरकार को दूसरे तरीके से ऐसे कदम उठाने पड़े जिनसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और वसूली नहीं हुई। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये कि हम टैक्स की व्यवस्था इस प्रकार करें कि उसकी वसूली आसानी से हो सके। लोगों को यह महसूस न हो कि यह टैक्स ऐसा लगा दिया गया है कि हम उसको देने में परेशानी महसूस करें या ऐसा महसूस करें कि कोई बोझा हमारे ऊपर पड़ रहा है।

इसलिये मैंने इस चीज को ध्यान में रख कर खास कर बुंदेलखंड के जिलों के लिये यह चाहा है कि टैक्स जो भी गांव वाले लगायें उसको वह लोग दे सकें। इस संशोधन को लाने के दो कारण हैं। विशेषतया बुंदेलखंड में यह पाया जाता है कि जिनके पास अधिक जमीन है उन पर लगान कम है। पहले दिनों में जिनके पास जमीन थी उनका लगान उनसे कम है जिन्होंने बाद में जमीन ली है। इधर ४-६ वर्ष के अरसे में जो किसानों ने जमीन ली है उस पर लगान ज्यादा है। इधर गिरानी के कारण जमींदार ने जो जमीन उठाई, उनमें लगान ज्यादा रख लिया। इसलिये एक भेद पड़ जाता है कि जिनके पास कम जमीन है और लगान ज्यादा है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और जिनके पास ज्यादा जमीन है और लगान कम है उनको कम टैक्स देना पड़ेगा। यह जो फर्क रहता है इससे लोगों में ऐसी भावना हो सकती है कि उनको टैक्स से बचाया जा रहा है और वह ज्यादा पिस रहे हैं। इसलिये इसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है और बुंदेलखंड में ऐसा प्रश्न है, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। दूसरा कारण यह है कि वहां के गांवों में बहुत पहले से यह परम्परा कायम है चन्दा वसूल करने की कि लोग आपस में हलबन्दी के लिहाज से कि जिस काश्तकार के

पास जितने हल हैं उस हिसाब से चन्दा लगा दिया जाता था। ऐसा मुद्दतों से वह करते आये हैं। बल्कि काश्तकारों के ऊपर ही नहीं, जो खेतिहर मजदूर हैं, खेतों पर जाते हैं उनके ऊपर करीब करीब आधा चन्दा लगाया जाता था और अब भी किया जायगा। तो गोइन के गांवों के लिए इस बात की आवश्यकता है कि हम इस प्रिंसिपल को बुन्देलखंड में लागू कर दें। हम जब किसी प्रिंसिपल को लागू करते हैं तो लोगों पर यह ख्याल हो जाना स्वाभाविक है कि टैक्स हमें देना पड़ेगा, बहुत से टैक्स देने पड़ते हैं तो यह भावना होने के बाद टैक्स की वसूली में दिक्कत पड़ती है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपिल को मान लिया जाता है तो उससे ही बातें हल हो जाती हैं। लोगों में यह ख्याल भी नहीं रहेगा कि हम टैक्स दे रहे हैं। दूसरे जो ज्यादा लम्बी खेती करने वाले हैं और कम खेती करने वाले हैं उनकी जो विषमता है वह भी नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड में इस प्रावीजन को लगा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा। मैं और जिलों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बुन्देलखंड के बारे में जानता हूं कि इस टैक्स की वसूली में इस सिद्धान्त से बहुत सहूलियत होगी। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में अनिश्चितता बहुत है। हल और बैल के आधार पर किसी निश्चित परिणाम पर हम नहीं जा सकते। एक हल के ऊपर ३०–३५ बीघा से लेकर पचासों बीघा तक जोते जा सकते हैं यदि किसी को बाहर से सहायता मिल जाय। और यही हालत बैलों की भी है। तो इसके आधार पर हम कोई वैधानिक नियम नहीं बना सकते। बहुत ही भावात्मक यह है और सम्भव है कि इस प्रकार के विचारों से और कोई काम हो सकते हों, लेकिन जिस समय हम टैक्स के सम्बन्ध में कोई चर्चा करते हैं और उसके ऊपर कोई नियम बनाना चाहें तो एक हल और एक जोड़ी बैल के आधार पर जब तक कि वह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है हम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। बुन्देलखंड की भी यही हालत है। ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि एक हल के ऊपर केवल इतनी ही मात्रा में, इतनी ही संख्या में खेत जोता जा सकता है, इससे कम या ज्यादा नहीं। तो मैं इसकी विशेष चर्चा न करके, क्योंकि इसमें कोई प्रमाणात्मक तत्त्व नहीं है, निश्चित भी नहीं है और अन्य आधार से इसमें कोई औचित्य नहीं है, इसलिये इतना ही कहूंगा कि यह संशोधन मानने योग्य नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मिश्र जी ने कहा कि यह अनिश्चित है और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह इतना निश्चित है कि बुन्देलखंड में जितने टैक्स, जितने कर और जितने चन्दे होते हैं वह सेन्ट परसेंट इसी फ़ार्म पर सारे कलेक्शंस होते हैं। जैसा कि तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि पहले जब जमींदारी अबालीशन नहीं हुआ था तो ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन अधिक है, सीर और खुश्काश्त और उन पर पहले तो लगान ही नहीं था और था तो बहुत कम, नाम के लिये। मैं आपको यह बताऊं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास तीन तीन सौ एकड़ जमीन है, लेकिन उनको १०–११ रुपये लगान के देने पड़ते हैं और ऐसे भी छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने ठेके पर जमीनें जमींदारों से लीं। तो वह जोते हुए तो १० एकड़ हैं लेकिन उनको लगान लग रहा है ५० रुपया। समझ लीजिये अगर एक आना रुपये के हिसाब से टैक्स लगे, चन्दा उनसे लिया जाय तो वह २०० एकड़ जमीन वाले जो किसान हैं उनको २० आना टैक्स लगा लेकिन और छोटा काश्तकार जो १० एकड़ जमीन वाला है और ५ रुपया एकड़ के हिसाब से उससे ५० रुपया लगान लिया जाता है, उसको उससे कहीं

[श्री जोरावर वर्मा]

ज्यादा पड़ गया। इस तरह से छोटे छोटे काश्तकार जो हैं वह मारे जायंगे। ऐसी परिस्थितियां बुन्देलखंड में आपको काफी मिलेंगी और मैं समझता हूं कि और भी ऐसे इलाके हो सकते हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य उन इलाकों के अगर इस फारमूले पर कुछ प्रकाश डालें तो मैं उनका अनुगृहीत हो जाऊंगा। लेकिन बुन्देलखंड में इसी फारमूले के ऊपर ब्रिटिश काल में लेकर आज तक यही हालत चली आ रही है।

आपकी पिछली पंचायतें थीं। उनमें यह टैक्स की वसूली इसी आधार पर होती थी। अगर रुपये के आधार पर टैक्स की वसूली होगी तो गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा और विशेषतः उन लोगों के साथ जिनके लिए कि हमारी सरकार ने यह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया, जिनके लिए कि यह सरकार यहां डेमोक्रेसी लायी और जो तानाशाही हुकूमत थी उसे यहां से हटाया। अगर आप इस सिद्धान्त को रखते हैं तो मैं तो कहता हूं कि यह स्वराज्य उनके लिये एक रत्ती भर भी लाभदायक नहीं है बल्कि लाभदायक होने के बजाय और दुखदायक हो जायगा क्योंकि यह सिद्धान्त इतना विपरीत है बुन्देलखंड की परिस्थितियों के अनुसार कि इससे ग़रीब जनता का शोषण होगा और जो लोग पहले के जमींदार थे या जिनके पास अधिक जमीनें हैं और जिन्होंने जमीनें अधिक लेकर लगान अपने ऊपर कम बांध रखा है, वह इससे फ्री हो जायेंगे एक तरह से।

दूसरी चीज एक और है कि जो यह विधेयक है इसमें एक प्राविजन में एक और एनामली है और वह यह है कि :

"Provided that where the land is in the actual cultivation of the person other than the person liable to pay land revenue therefor the tax shall be payable by the person in actual cultivation."

इससे तो गरीब जनता का और अधिक शोषण होगा क्योंकि वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वास्तव में जमींन तो है दूसरे की लेकिन उससे लेकर वह जोते हुए हैं। गांव के लोग जानते हैं कि वास्तव में जोतने वाला कौन है। तो आप समझिये कि वह काश्तकार जिसकी कि जमीन है वह तो छूट जायगा और जो बेचारा बटाई पर जोते हुए है उस पर आप टैक्स लाद देंगे। लेकिन उस आदमी पर आप टैक्स नहीं लगा सकेंगे जो वास्तव में मुफ्त में बैठा हुआ जमीन पर सांप की तरह कब्जा किये हुए है और उस बेचारे ग़रीब आदमी की कमाई पर अपना सारा भरण-पोषण कर रहा है। तो इस प्राविजन को अगर मैं यह कहूं कि यह एक कैपिटलिस्टिक भावना से परिपूर्ण प्राविजन है तो अनुचित न होगा। बुंदेलखंड की गरीब जनता और विशेषतः हरिजनों के शोषण का यह एक रास्ता होगा क्योंकि विशेषतः वही लोग बटाई पर जोते हुए हैं।

श्री कृपाशंकर—जो लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—बग़ैर मेरी इजाजत के आप यों नहीं कर सकते हैं कि आप बोलना शुरू कर दें और उनको बैठा दें।

श्री जोरावर वर्मा—मैंने समझा अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो तो उसे सुन लूं, इसलिए मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष (श्री कृपाशंकर से)—क्या आपका प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री कृपाशंकर—जी नहीं। प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैं यह कह रहा था कि जो लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं उनके लिये क्या होगा ?

श्री जोरावर वर्मा--अब यह सिस्टम ट्रैक्टर से खेती करने का कुछ हमारे जिले में भी चल गया है लेकिन दो एक ट्रैक्टर ही वहां हैं। वहां तो मानवशक्ति अधिक है और उसी के आधार पर वहां खेती होती है। बुंदेलखंड में ट्रैक्टर का बहुत कम रिवाज है लेकिन उनका कुछ हिसाब रखा गया है कि अगर कोई आदमी ट्रैक्टर से कृषि करता हो तो उसको कुछ हलों के बराबर मान लिया गया है। तो यह जो प्राविजन है वह बुन्देलखंड की जनता और विशेषतः जो ग़रीब जनता है, हरिजन हैं उनके लिए बड़ा शोषक साबित होगा क्योंकि इसमें जो एक आने का प्राविजन है उससे जैसा मैंने आपसे बताया—जिन लोगों के पास अधिक जमीनें हैं उनको लगान कम लगा है और कम जमीन वालों को ज्यादा लगा है, इसके अनुसार टैक्स लगाने पर उनके साथ अन्याय होगा।

दूसरी चीज यह है कि यह प्राविजन रखा गया है कि जो ऐक्चुअल कल्टीवेशन में होगी उसका टैक्स देना पड़ेगा। उगाही किससे अमीन करेगा? जिसके नाम से जमीन लिखी होगी। लेकिन अगर गांव वाले टैक्स लगाएंगे तो उस पर टैक्स लगायेंगे जो कि वास्तव में खेती कर रहा है। तो बजाय गरीबों का संरक्षण पंचायत के द्वारा हो उन लोगों का पालन पोषण होगा जो दूसरों की कमाई पर निर्भर करते हैं जो कि मैं समझता हूं कि हमारे प्रजातन्त्र और गांधी जी के सिद्धान्तों के बहुत ही प्रतिकूल है और पंचायत राज ऐक्ट के भी प्रतिकूल है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें। इस में कम्पल्शन नहीं है कि पूरे सूबे में ऐसा किया जाय। चूंकि बुन्देलखंड की परिस्थिति को हम जानते हैं, वहां जितने भी टैक्स और चन्दे, आफिशल और नानआफिशल वसूल किये जाते हैं वह इसी हिसाब से वसूल किये जाते हैं। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी बुंदेलखंड के लिये विशेषता है। पूरे सूबे के लिए तीस एकड़ जमीन पर टैक्स लगता है। लेकिन बुन्देलखंड के लिए ६० एकड़ कर दिया गया है। वहां कुछ न कुछ विशेषता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं केवल बुन्देलखण्ड के लिए यह प्राविजन है क्योंकि जो भी ऐक्ट बनते हैं उनमें बुन्देलखंड के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्राविजन रख दिया जाता है जो शेष उत्तर प्रदेश से भिन्न होता है। इसलिये ग़रीबों के कल्याण के लिए अगर इस प्राविजन को मान लें तो इससे गरीबों का बहुत हित होगा और आम जनता का इससे बड़ा कल्याण होगा। दूसरी बात यह है कि एक आना रुपया के हिसाब से कलेक्शन करने में बड़ी गड़बड़ी होगी। लेकिन हल का हिसाब बड़ा सीधा है। इसमें गुणा, भाग और जोड़ बाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है। हल के हिसाब से सरलता से टैक्स वसूल हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन बुन्देलखंड के लिए बहुत उपयुक्त है और इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह हलबन्दी पर दो रुपया टैक्स लगाने का संशोधन इस समय सदन के सामने है तो मैं यह नहीं समझ पाया कि क्या एक हल पर बराबर जमीन है। क्या सारे बुन्देलखंड में एक हल वाला बराबर रेवेन्यू देता है?

इस वक्त प्रश्न यह है कि सारे सूबे में एक आना रुपया पंचायतों के द्वारा वसूल किया जाय। तो क्या कोई हल वाला ३२ रुपये से ज्यादा मालगुजारी नहीं देता? और अगर देता है तो उससे एक आना रुपया क्यों न लिया जाय? जो कम देता है उससे क्यों न लिया जाय? एक आदमी बीस रुपया देता है तो बीस आने देने का प्राविजन रखा गया है, उससे दो रुपये लेना चाहते हैं और जो पचास रुपया देता है उससे तीन रुपया दो आने लेना चाहिए। लेकिन आप उससे दो रुपया ही

[श्री मोहनलाल गौतम]

लेना चाहते हैं। यह न्याय को छोड़ सीधी बात जरूर है। फिर कैपिटलिस्ट विधेयक है और न मालूम जो मुंह में आया कह डाला। इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि—दे नो नाट ह्वाट दे से। कैपिटिलिज्म के क्या मानी हैं कुछ समझ में नहीं आया, दो चार गालियां याद हैं वह हो जाया करती हैं पालिटिकल प्रोपेगैंडा के लिए। सवाल इस वक्त यह है कि अगर बुन्देलखंड में कोई एक आना रुपया नहीं देना चाहता तो पहाड़ पर क्यों लिया जाय। क्या पहाड़ पर आदमी गरीब नहीं हैं? क्या गोरखपुर और बलिया के आदमी गरीब नहीं हैं? इसलिये उसकी कसौटी क्या होगी? उसकी कसौटी मोटे रूप से यह है कि जो एक रुपया रेवेन्यू दे उससे एक आना तक गांव सभा टैक्स लगा सकती है। यह एक बड़ा मोटा नियम है। सिर्फ बुन्देलखंड में लोग गरीब हैं तो उनके पास जमीन ज्यादा होगी, मालगुजारी कम देते होंगे। बुन्देलखंड में पर एकड़ मालगुजारी कम होगी। इसलिये उस तरह का हिसाब नहीं लगा सकते। एक ही स्टैंडर्ड है। यह ठीक है कि आज यह हो सकता है कि कुछ लोग मालगुजारी पर एकड़ कम देते हैं और कुछ ज्यादा देते हैं लेकिन वह हेरिटेज है लेकिन जितना कम हो सका वह कम किया गया। सब टेनेन्ट्स ज्यादा रेंट देते हैं और टेनेन्ट इन चीफ कम देता है और सीरवाले कम देते हैं। यह सब पर है। इसलिये उसको छोड़कर सबके लिए एक सा नियम बनना चाहिये या यह कि बुन्देलखंड के लिये कुछ और कर दिया जाय और बाकी औरों के लिए कुछ और। हमने जो प्रिंसिपिल रक्खा है वह बहुत सीधा सादा है, बाकी और बातों में यह चीज नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि सारे सूबे में एक सा टैक्स क्यों न लिया जाय। तो सारे सूबे की परिस्थिति क्या है, किस ढंग से वहां टैक्स वसूल किया जाता है, इसे मैं नहीं जानता और इसीलिये मैंने खास तौर से बुन्देलखंड के लिये प्राविजो रक्खा क्योंकि वहां जो परम्परा चली आ रही है उसके हिसाब से टैक्स लगने से लोग महसूस नहीं करेंगे कि उनको टैक्स देना है। हलबन्दी के ढंग पर टैक्स देना यह वहां बहुत पुराने जमाने से चला आता है। जहां तक विधेयक में जो तरीका रक्खा गया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जिनके पास पुरानी जमीनें हैं उनके ऊपर लगान कम है और जिन्होंने ४, ६ साल के अन्दर जब से गिरानी हुई है जमीन ली हैं उनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा हो जाता है। मंत्री जी ने कहा कि सब को एक सा टैक्स एक रुपये पर एक आना देना चाहिये चाहे किसी भी जिले का हो तो वह तो ठीक है। लेकिन एक रुपये का क्या मूल्य है जमीन के लिहाज से? वह सब जगह एकसा नहीं है। जब से लड़ाई हुई और उस जमाने में जिन्होंने जमीनें खरीद उन पर जो लगान लगे हैं वे निश्चित रूप से अत्यधिक हैं। तो उसका भी कोई हल नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसका हल कैसे किया जाय। तो यह एक दिक्कत रह जाती है। इससे किसी पर ज्यादा टैक्स लगेगा और किसी पर कम और वह दिक्कत इस प्रिंसिपिल से हल नहीं होती। बुन्देलखंड में जिस ढंग से वसूली चलती आई है उसमें बड़ी सहूलियत होगी, वसूली में कोई दिक्कत न होगी। वहां हलबन्दी पर रुपया लगाया जाता है और वह सब पर एक सा पड़ता है। जिसकी कम जमीन उसको कम देना होता है, जो लोग खेतिहर मजदूर हैं उन पर करीब करीब आधा पड़ता है। इस तरह से वहां जो परिपाटी बराबर चली आई है उसमें कोई दिक्कत न होगी और अगर यह ध्यान में नहीं रक्खा गया कि टैक्सेशन की क्या पालिसी कहां पर रक्खी जाय तो फिर वसूलयाबी में सहूलियत होने वाली नहीं है। दिक्कतें होंगी और फिर गवर्नमेंट को शायद दूसरा क़दम ऐसा उठाना पड़े जिसमें सख्ती करनी पड़े।

माननीय मंत्री जी ने कोटलिस्ट सोसाइटी, और जाने क्या-क्या कहा? मैंने तो कोई चीज ऐसी कही नहीं थी।

श्री मोहनलाल गौतम--आपके लिये मैंने नहीं कहा था।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं तो उनकी दिक्कत का ख्याल करते हुए, जिनके पास जमीन कम है और लगान ज्यादा है जिससे उनके ऊपर कम टैक्स पड़े मैंने इस हलबन्दी के प्रिंसिपल को यहां रक्खा है। इससे उनको सहूलियत हो जाती है। और जिलों में जो भी कस्टम्स हों उन्हीं के मुताबिक वे कर सकते हैं। मैं बुन्देलखंड के बारे में जानता हूं इसलिये मैंने वहां की बात रक्खी। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि वह चीज अनिश्चित है, वह लग नहीं सकती यह ग़लत है। बराबर जो चीज लगती आई, जहां पर बराबर वसूली होती रही है तो वहां पर कैसे नहीं होगी, यह समझ में नहीं आता है और न कोई उसका कारण ऐसा है जिसके कारण वसूली नहीं होगी। इसलिये मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें और यह बुन्देलखंड के लिये ही हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है। यह वसूल निश्चित रूप से होगा। आगे आने वाले जो टैक्स सम्बन्धी संशोधन हैं वह भी मैंने इसी दृष्टिकोण से रखे हैं और वहां की परिपाटी को देखते हुये यह चीज रखी गयी है ताकि सबको एक सा भार उठाना पड़े और टैक्स की वसूली में आसानी हो।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं यह निवेदन कर दूं कि इसमें दिक्कत यह सामने आ रही है कि एक सा रेवेन्यू सब जगह नहीं है और उसमें दो रुपया सब पर अगर लगा दिया जाय तो उसमें दिक्कत हो सकती है। दूसरे लोगों पर उतनी ही मालगुजारी पर ज्यादा लगे या कम लगे यह दिक्कत थी। अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो वह रूल्स में आ सकती है और उस समय विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं केवल सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि यह सब जितने यहां पर अन्तर हैं, फर्क हैं कि किसी पर रेट कम है या ज्यादा रेट है तो यह अन्तर रूल्स के जरिये से हटा दिये जा सकते हैं क्योंकि खंड के प्रारम्भ में यह दिया हुआ है कि सरकार द्वारा रूल्स के जरिये से नियंत्रण किया जा सकता है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37 की उपधारा (1) के भाग (*a*) के proviso के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"Provided that in Bundelkhand the tax on land not exceeding two rupees annually per plough (a *Har* or *Bakhar* or a *Goyin* employing a pair of bullocks for cultivation) shall be payable by cultivators on the principle of *Harbandi*."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा ३७ की उपधारा (१) के भाग (*c*) के स्थान पर नया भाग (*c*) निम्नरूप में रख दिया जाय --

(*c*) (i) fee on a family of landless agricultural labourer not exceeding fifty percent of the minimum tax payable by a cultivator,

(ii) a fee on an artisan not exceeding two rupees annually, but not less than the minimum tax payable by a cultivator

[श्री जोरावर वर्मा]

(*iii*) a fee on a person carrying on trade not less than the fee payable by an artisan and not exceeding ten rupees per annum according to his income,

Provided that in the case of a theatre, a cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha, a fee notless than one rupee and not exceeding five rupees per diem as may be decided by the Gaon Panchayat may be levied ;

(*iv*) a fee on persons not covered by the above sections not less than the minmum fee payable by a landless agricultural labourer, and not exceeding five rupees per annum according to their income as perscribed in rules."

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का खंड (सी) इस प्रकार से है:—

"A fee subject to a maximum of six rupees per annum on persons carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha: provided that in the case of a theatre, a cinema or similar entertainment temporarily stationed in the area of the Gaon Sabha,a fee not exceeding one rupee per diem as may be approved by the prescribed authority may be levied."

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था और जैसा अभी तक होता रहा है, मेरा पहला यह संशोधन है कि कृषक जो गांव सभा को टैक्स दे उसका कम से कम या अधिक से अधिक ५० फीसदी दे। दूसरा यह है कि जो आर्टीजन हैं जैसे बढ़ई, लुहार, कुम्हार जो बीच के लोग हैं, वे कम से कम उतना दें जितना कि एक कृषक देता हो। तीसरा यह है कि जो बिजीनेस करता है उसे कम से कम उतना देना चाहिए जितना की एक कृषक देता है और अधिक से अधिक दस रुपया देना चाहिये। जो धारा (सी) इस समय विधेयक में है वह बिलकुल कम्पलीकेटेड है और इससे गरीबों के साथ बड़ा अन्याय होने की आशंका है। इसमें ट्रेड, कालिंग और प्रोफेशन सबके लिये अधिक से अधिक ६ रुपया है। गांव सभाओं में अधिकांश उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो पहले से शक्ति में थे और आज भी उन्हीं का बोलबाला है। इसमें कालिंग रखा है जिसमें झाड़ू लगाना या भीख मांगना तक भी आजावेगा, उन पर भी अधिक से अधिक टैक्स लगने की गुंजाइश होती है। इस धारा के अनुसार जिन लोगों के पास अधिक है उनको इतनी छूट दे दी गई है कि अगर उन पर चाहें तो कम से कम टैक्स लगा सकता है और गरीबों से गांव सभा अधिक से अधिक टैक्स वसूल कर सकती है।

श्री अब्दुल मुईज खां—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, इसमें कल्टीवेटर के ऊपर बेस किया गया है लेकिन उसका मैक्सिमम तो निर्धारित होना चाहिये। इसमें यह साफ नहीं है कि लैंडलैस एग्रीकल्चरल लेबरर का किस तरह से कम्प्यूट होगा और उसी पर दूसरों का बेस है।

श्री अध्यक्ष—यह एक "एबसर्डिटी" है जो आप बतला रहे हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां—जी हां, आगे भी वैसा ही है। वे सब कम्प्यूट किस तरह से होंगे ?

श्री अध्यक्ष—अगर संशोधन मंजूर हो जाने से बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी तो मैं जरूर अवैध करार दूंगा। लेकिन मिनिमम टैक्स पेएबिल बाई ए कल्टीवेटर का अर्थ यह होता है कि उस गांव में जो कल्टीवेटर में से सबसे कम देने वाला है, उसका ५० प्रतिशत—यह एक अर्थ निकल सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--जी हां, उसका यही अर्थ है।

श्री मोहन लाल गौतम--अगर एक से एक आना तो दूसरे से दो पैसा से ज्यादा नहीं लिया जा सकता ?

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मुईज खां जी ने कहा कि यह अमेंडमेंट एब्सर्ड है। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर वे किस दुनिया में हवा खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर शब्दों से अर्थ साफ न हो तो रिडिक्युलस कहा जा सकता है।

†**श्री जोरावर वर्मा**--उसका अर्थ बिलकुल साफ है कि कम से कम जो किसान पे करता है उसका आधा मजदूर पे करेंगे। मेरे ख्याल में तो जो यह क्लाज रक्खा हुआ है वह रिडिक्युलस है। इसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, लेकिन मेरा जो संशोधन है वह बिलकुल साफ है कि जो गरीब से गरीब किसान है उसे आधा मजदूर को देना होगा। आजकल देहात में ऐग्रीकल्चरिस्ट की ही मानी जाती है। देहातों में जो मापदंड है वह उन्ही की हैसियत से माना जाता है। जब आप मिनिमम पे फिक्स कर लेंगे तो उसकी आधी ऐग्रीकल्चरल मजदूर को देनी होगी। आजकल भी बुन्देलखंड में कुछ इसी आधार पर टैक्स लगाया जाता है। माना लिया कि प्रति हल इतना रुपया लगाया गया तो मजदूर को इतना देना होगा तथा और भी जो गरीब लोग हैं उनको उतना देना होगा। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी माली हालत अच्छी होती है, उनको किसानों के बराबर देना होता है। जिन लोगों की ज्यादा आमदनी है उनको ज्यादा भी देना होता है। आपने जो क्लाज रक्खा है उसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ६ रुपया। इससे गांव के गरीब आदमियों को बड़ा भारी नुकसान हो जायगा। अगर कहीं लक्ष्मीपति ही अधिपति हो गये तो उनके ऊपर तो एक-एक रुपया लग जायगा और गरीबों को मुसीबत हो जायगी। डैमोक्रेसी का तो सिद्धांत यह है कि जो अधिक ताकतवर है जो अधिक पे कर सकता है उसको अधिक देना चाहिये और जो गरीब है, कम दे सकता है उससे कम से कम लेना चाहिये। आपने जो यह प्राविजन रक्खा है उससे देहात वाला कोई भी सही माने नहीं लगा सकता। पिछली दफा यही कारण थे कि गांवों में मनमाने टैक्सेज लगा दिये गये। किस आदमी पर कितना टैक्स लगाया जा सकता है इसका कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। इसलिये यह धारा आपकी बिलकुल क्लीअर नहीं है कि किस प्रकार से यह टैक्स लोगों पर लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष--आप नंबर दो को एक्सप्लेन कर दीजिये। यदि मिनीमम टैक्स ४ रुपया हो तो "नौट एक्सीडिंग टू रुपीज" शब्दों के होते हुये दोनों का समन्वय आप कैसे करेंगे ? मैं समझता हूं कि ४ रुपये से कम न हो और दो रुपये से ज्यादा न हो, यह आपके संशोधन का अर्थ हो जायगा।

श्री जोरावर वर्मा--हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दो रुपया हो।

श्री अध्यक्ष--मान लीजिये कि किसी गांव में ४ रुपया या ३ रुपया किसी कल्टीवेटर के ऊपर टैक्सहो, तो संशोधन के अनुसार तीन रुपया से कम नहीं होना चाहिये और दो रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आखिर ऐसा कौन सा अंक है जो इन निबन्धों को पूरा कर सकता है,?

श्री जोरावर वर्मा--ज्यादा से ज्यादा दो रुपया होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह ऐब्सर्ड है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसका मतलब यही है कि दोनों निबन्ध परस्पर विरोधी है, तो ऐसा बीच का कौन सा अंक है जो दो रुपया से ज्यादा न हो और साथ ही यदि मिनिमम टैक्स किसी गांव के कृषकों पर ४ रुपया हो तो ४ रुपया से कम भी न हो ?

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जोरावर वर्मा--मेरा मतलब यही है कि जितना कम से कम किसान दें।

श्री अध्यक्ष--तो "नाट एक्सीडिंग टू रुपीज एनुअली" के बाद वाला हिस्सा काट दीजिये।

श्री जोरावर वर्मा--अब ठीक हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज कल बहुत से गांवों की जो परिस्थिति है उसी के अनुसार मैंने इसको दो चार भागों में विभाजित कर दिया था। धारा २८ का जो संशोधन (सी) है उसमें सब प्रकार के लोगों के लिये दिया हुआ है और किसानों के अलावा जो कोई भी हों, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक रुपया टैक्स लगे। तो इन सब को इकट्ठा करके हमने दो तीन कैटेगरी कर दिया है कि कम से कम जितने गरीब हैं और धनवान हैं उसी के अनुसार गांव सभा उनसे टैक्स वसूल करे। इसलिये मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इसको अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फारमूला है वह बड़ा टेढ़ा है। इससे काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री जी नहीं चाहते हैं तब मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री गजेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २८ में प्रस्तावित धारा 37(1) के भाग (*c*) की प्रथम पंक्ति में शब्द "six" के बजाय "three" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से खंड २८ की उपधारा (*c*) पढ़ रहा हूं:

"(*c*) a fee subject to a maximum of six rupees per annum of persons carrying on any trade, calling or profession within the jurisdiction of the Gaon Sabha."

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यही चाहता हूं कि "six" की जगह पर "three rupees per year" रख दिया जाय। इसमें लिखा हुआ है "any trade" गांवों में अधिकतर कई किस्म की दूकानें या रोजगार लोग करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय गांवों में ऐसे गरीब लोग भी मिलते हैं और खासकर विधवा औरतें और दूसरे लोग भी होते हैं, जिनका कोई जरिया माश नहीं होता है और जो ज्यादा पैसा लगा कर कोई काम नहीं कर सकते हैं। किसी ने थोड़े पैसे इकट्ठा कर मामूली पान की दूकान खोल ली। इस तरह से बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जो लंगड़े, लूले और अपाहिज और गरीब होते हैं जिनका जरिया आमदनी कुछ नहीं होता, कुछ पैसे इकट्ठा किये और मिठाई की दुकान खोल ली या धनिया-मसाला रख लिया और अपनी जीवन निर्वाह का जरिया थोड़ा सा बना लिया। कुछ थोड़े से आदमी वहां ऐसे भी होते हैं जो बड़ी दुकानें रखते हैं लेकिन हमारा तजुर्बा है कि अधिकतर वहां छोटे दुकानदार ही होते हैं क्योंकि बड़े दुकानदार तो अधिकतर कस्बों या शहरों में ही होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो छोटे दुकानदार लूले, लंगड़े, गरीब अपाहिज हैं उन पर ६ रुपया साल रखना मुनासिब नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि गांव पंचायतों ने पिछले सालों में जो टैक्स लगाये हैं वह मुनासिब नहीं हैं। वह एक लेविल से छोटे-बड़े व्यापार वालों पर लगाये गये हैं, जो बड़े व्यापारी हैं उन पर या जो पेट भरने के लायक छोटा काम करता है सब पर एक सी रकम लाद दी गई है। अगर इस को मान लिया जाता है तो गरीब व्यापारी पर भी जो लंगड़ा, लूला, अपाहिज है वही रकम पड़ेगी और जो बड़ा दुकानदार है वह भी वही ६ रुपया साल देगा। इसलिये मैंने तो यह बीच की चीज रखी है और इससे गरीब लोगों को भी आराम मिल जायगा और वही लोग गांव में ज्यादातर रहते हैं। जो बड़े हैं वे तो ज्यादातर शहर, कस्बों में ही रहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि गरीब, अपाहज,

लूले, लंगड़े, छोटे-छोटे दुकानदारों पर ६ रुपया सालाना बहुत अधिक हो जायगा और ३ रुपया उन पर काफी है। आशा है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यू० पी० पंचायत राज अमेंडमेंट ऐक्ट कमेटी ने इस संबंध में दस रुपये की सीमा रखी थी। इस बिल में जो हमारे सामने है ६ रुपये की ही सीमा रखी गई है। मैं उस कमेटी की रिपोर्ट में से दो चार जुमले आप के सामने रखना चाहता हूं—

"With regard to the tax on trade, calling or profession the Committee felt that the Gaon Sabhas should levy a licence fee instead of a tax. In the opinion of the members of the Committee the Gaon Sabha should be permitted to levy a fee on persons carrying on trade, calling or profession within its jurisdiction subject to a maximum of rupees ten per annum."

The members of the committee felt that the Gaon Sabhas should be empowered to levy a higher amount of licence fee on such persons with the previous approval of the prescribed authority."

अब आगे इस पर जरा ध्यान दें:

"The members of the Committee were told that under the existing rules the annual income from trade, calling or profession upto Rs. 500 per annum was exempted from Taxation and all such persons who were able to earn a bare living were naturally free from being taxed."

जिनकी आमदनी ५०० रुपये साल की है उस के ऊपर वालों पर टैक्स लगेगा। इस बिल में सीमा ६ रुपये की बांधी गई है, लेकिन यह लाजमी नहीं है कि ६ रुपया हर हालत में लगेंगे ही। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ६ रुपये की जो सीमा रखी गई है वह मुनासिब है, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि गांव सभा और गांव समाज के पास जो आमदनी के साधन हैं वह ऐसे होने चाहिये कि जिनसे वह अपना काम चला सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। टैक्स लगाने से पहले हमें यह देखना चाहिये कि जिस आदमी पर टैक्स लगाते हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। उसमें देने की शक्ति भी है या नहीं और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बोझ होगा और बोझ के अर्थ यह होंगे कि वह उसको बरदाश्त नहीं कर सकेगा और बरदाश्त के माने हानिकर बात भी हो सकती है। जब हम टैक्स की तरफ जाते हैं और उन तमाम पुरानी बातों को देखते हैं, हालांकि जहां तक इस क्लाज का संबंध है यह बात ठीक है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ६ रुपये से अधिक टैक्स नहीं लगायेंगी, लेकिन सिद्धांत यह बतलाता है, पुराना तजुर्बा यह बतलाता है कि किसी भी आदमी पर चाहे वह कोई भी काम करता था ६ रुपये से कम टैक्स नहीं लगा। प्रोफेशन, ट्रेड और कालिंग पर कोई डिस्टिंकशन नहीं किया। अब कोई बढ़ई का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, किसी की आमदनी कम है किसी की अधिक। एक घर में दो तीन आदमी रहते हैं, दो-चार बच्चे हों, लेकिन तजुर्बा यह बतलाता है कि ६ रुपया टैक्स लगा प्रत्येक पर तो १८ रुपया सालाना टैक्स पूरे घर पर पड़ता है, जो बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तो या तो इस प्रोफेशन, ट्रेड और कालिंग में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा क्योंकि किसी की आमदनी बहुत बड़ी हो सकती है और किसी की कम हो सकती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक ट्रेड, प्रोफेशन और कालिंग में डिस्टिंक्शन न हो इस तरह का क्लाज लाना कि ६ रुपये तक लग सकता है मैं समझता हूं उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब हम उन आदमियों की बातें करते हैं जो गांवों में रहते हैं और जिनके पास जमीन थोड़ी है उसके

[श्री धर्मसिंह]

पास मान लीजिये १२ एकड़ है और १२ एकड़ में ५० रुपये लगान हुआ, तो उसके अर्थ यह हुये ५० आना, लेकिन जब हम देखते हैं कि एक मजदूर जो सुबह से शाम तक काम पर लगा रहता है उससे ६ रुपये टैक्स लेना जिसके पास जमीन है और ५० आने के हिसाब से ३ रुपये २ आने लेना मैं समझता हूं उचित नहीं है। तो प्रोफेशन, ट्रेड और कालिंग को एक साथ लाना उचित नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स लगाने के पहले खास, तौर से देखा जाय कि वास्तव में कौन टैक्स दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। जब सब पर टैक्स एकसा लग जाता है तो वहां परेशानी बढ़ती है, लोग गालियां देते हैं और उसके बाद और बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रोफेशन कालिंग और ट्रेड में कोई डिस्टिंक्शन लावें ताकि जिनकी पेइंग कैपेसिटी है उन्हीं पर लगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इसमें रूल्स हैं उसमें पहली बात तो यह है—

"The Panchayat may with the previous approval of the prescribed authority impose a tax on trade, calling and profession but there shall be no tax on the first rupees 500 of the total income."

तो पांच सौ तक की इन्कम पर तो कोई टैक्स नहीं है, इसलिये सारी बहस गरीबों की, दबाये हुये लोगों की कि बहुत सताये जाते हैं, बेकार हो जाती है। अगर कहीं कोई टैक्स ऐसा लगा, गरीबों पर पांच सौ से कम वालों पर लगा, तो वह गलत है, वह गलती दुरुस्त की जा सकती है। पांच सौ रुपये की आमदनी वालों पर कोई टैक्स नहीं है। पहले यह टैक्स ढाई सौ तक हो सकता था। कांस्टीटयूशन में भी दिया हुआ है कि यह ढाई सौ तक हो सकता था और यह टैक्स था.....

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर सर, इसी के आगे 'K' में दिया हुआ है :

"a tax, not exceeding such rate as may be prescribed, on buildings owned by persons who do not pay any of the aforesaid taxes and whose annual income exceeds three hundred rupees."

लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ५०० रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता।

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरी बात है हाउस टैक्स के बारे में है। प्रस्तुत संशोधन व्यापार या धंधे का है, जिसके संबंध में रूल्स में दिया है कि पंचायत ५०० की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकती।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, कांस्टीटयूशन में भी दिया हुआ है और पहले हमारे कायदे में भी था कि ढाई सौ तक टैक्स लग सकता है। अब वह टैक्स असल में टैक्स नहीं रहा। अब वह फी है और फी के माने हैं कि जो एक थोड़ी सी रकम कुछ सुविधाओं के लिये या लाइसेंस देकर कंट्रोल करने के लिये, इस प्रकार की जो बातें हैं उनके लिये फी लगती है। पहले यह टैक्स था। अब यह है कि ६ रुपये की फी होगी।

अब अगर ६ रुपये के तीन रुपये किये जाते हैं तो इसका क्या नतीजा होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ९६ रुपये मालगुजारी वालों पर एक आने के हिसाब से ६ रुपये हुये, लेकिन अगर किसी दूसरे की उससे ज्यादा आमदनी है। जो कल्टीवेटर है और ९६ रु० रेवेन्यू देता है तो उससे भी ६ रुपये ले लेंगे...,

श्री गजेन्द्र सिंह—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर मालगुजारी का प्रश्न कहां है?

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे भाषण में कोई गलती हो जाय तो उससे माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर समय का दुरुपयोग न करें, यह मेरी प्रार्थना है।

तो इसलिये ६ रुपये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हैं। बहुत से लोग जिनको ६ रुपये टैक्स देना पड़ेगा उनकी आमदनी ज्यादा होगी बनिस्बत उन किसानों के जिनको ६ रुपये एक आना फी रुपये के हिसाब से मालगुजारी पर टैक्स देना पड़ेगा। इसलिये तीन रुपये कर देने से ठीक नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि गरीब लोग ५०० रुपये की आमदनी में सब के सब निकल जाते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय गजेन्द्र सिंह इस संशोधन को विदड्रा कर लेंगे, क्योंकि उनको अब मालूम ही हो गया है कि ५०० रुपये तक कोई टैक्स नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्म सिंह जी ने ६ रु० के टैक्स के सम्बन्ध में जो थोड़ी सी व्याख्या की, मैं समझता था कि माननीय स्वशासन मंत्री जी उनके भाषण के बाद कुछ सोचेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार का खयाल और निगाह और परिपाटी ऐसी होती चली जा रही है कि वह गांव के रहने वालों को अरबपती और करोड़पती समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन सरकार के मुख्य मंत्री, माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त कहा करते थे कि १० गुना की वसूली में किसानों ने महंगाई के जमाने में मंहगा गल्ला बेच करके सैकड़ों, हजारों के नोट अपने घरों में रख छोड़े हैं और दीमक और झींगुर उनको चाट रहे हैं। इसलिये किसान उन प्रत्येक नोटों को लहलहाते हुए खेतों से बदल डालें। माननीय स्वशासन मंत्री का कहना है कि ९६ रुपया मालगुजारी देने वाला, जो किसान है उससे उसकी ज्यादा आमदनी होगी जिस पर ६ रुपया टैक्स लगाया जायगा। अध्यक्ष महोदय, गांव का छोटा दूकानदार जो नमक, सुरती, तम्बाकू बेचने वाला है उसके ऊपर तो आफ़त है। माननीय पं० बृजबिहारी मिश्र जो जिला बोर्ड के वाइस-चेयरमैन हैं अध्यक्ष महोदय, उन छोटे-छोटे दूकानदारों के ऊपर जिनको माननीय स्वशासन मंत्री बहुत धनशाली समझते हैं, उनकी बड़ी फ़जीहत है। एक तरफ गांव सभाओं को अधिकार दे रहे हैं कि ६ रुपया टैक्स लगायें और अब उसी आमदनी पर चेयरमैन साहब ६ रुपया का टैक्स लगाते हैं, ९, १० रुपया लगाते हैं, कोई रास्ता नहीं है उस छोटे से दूकानदार के लिये, जिसके गुजारे का और कोई साधन नहीं है। न नौकरी है, न चाकरी है। गांवों के जो छोटे दूकानदार हैं उनकी बिक्री क्या होती है। मैं समझता हूं और जैसा कि माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि ९६ रुपया मालगुजारी देने वाले किसान की हालत बदतर है, तो उस दूकानदार की आमदनी ज्यादा कैसे होगी। जब किसान की हालत बदतर है तो उसी के सहारे वह दूकानदार भी रहता है, जो कि माननीय स्वशासन मंत्री की नजरों में पांच सौ रुपया सालाना आमदनी करने वाला है। मैं समझता हूं कि उन किसानों और छोटे दूकानदारों के लिये बहुत गुनाह होगा जो बेचारे नौन, सुरती अपनी पीठ पर रख कर २४ घंटे ज्येष्ठ की दोपहरिया में घूमते हैं और तब कहीं ३, ४ आना प्राप्त करके घर वापस आता है। उसी से पूरा परिवार का गुजर करता है। टैक्स लगाने की भी पद्धति अजीब है। जिला बोर्ड के कर्मचारी हैं, वे कहते हैं कि उनकी ५ सौ की आमदनी नहीं है और चेयरमैन कहते हैं कि आमदनी है। इस ५ सौ रुपये की आमदनी पर जिला बोर्ड ९, १० और १२ रुपया जितना चाहे टैक्स लगाता है...।

श्री अध्यक्ष--गांव सभा का ही सवाल यहां प्रस्तुत है जिला बोर्ड का नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--जिला बोर्ड का ही तखमीना गांव सभा के सामने आ जाता है। जिला बोर्ड, जिसके कंट्रोल में सारा जिला है और ३।। हजार गांव हैं, छोटे बड़े सभी दूकानदार बसते हैं जिला बोर्ड का १८, २० लाख का बजट हो और उसमें भी इन छोटे-छोटे दूकानदारों को छूट नहीं होती है। तो पंचायत किस प्रकार ऐसे लोगों को छोड़ सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी जो गांव से आती है, गांव से जो आमदनी जिला बोर्ड, सरकार, केन्द्रीय सरकार करती है उस आमदनी में से सरकार गांव सभा को एक पैसा नहीं देना चाहती बल्कि यह चाहती है कि गांव सभा को ऐसे अधिकार दे दिये जायं कि गांव के रहने वालों को खूब लूटे और लूट कर सरकार की आज्ञा के अनुसार काम करे। इसका नतीजा यह होगा कि गांव के लोग उदासीन होंगे। निर्माण कार्य में कोई सहयोग नहीं देंगे। नतीजा यह होगा कि सरकार के जो आदेश जायेंगे उनका उल्लंघन होगा। कोई भी निर्माण कार्य गांव पंचायतों द्वारा नहीं होगा। मैं आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्स के सम्बन्ध में संशोधन पर विचार करें। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि स्वशासन मंत्री जी से कि इस भूल भुलैया में गांव पंचायतों को न डालें। आप एक ही रास्ता सोचें जो सर्वमान्य होगा और जो सही मानों में इस सरकार की भलाई का होगा। अभी कुछ मिनट पहले हमारे दोस्तों का संशोधन रहा है। माननीय अब्दुल मुईज खां साहब की कृपा से वह अवैधानिक क़रार दे दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि सरकार जो गांवों से मालगुजारी वसूल करती है उस मालगुजारी में से कुछ हिस्सा गांव वालों को दे। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे प्रदेश में जमींदारी सिस्टम था, जहां तक मुझे याद है २२ लाख जमींदार उस समय हमारे प्रदेश में थे और २२ लाख जमींदार २४ करोड़ रुपया लगान और मालगुजारी का वसूल करते थे और उसमें से केवल पौने आठ करोड़ रुपया सरकार को देते थे। जमींदारी का खात्मा होने के बाद सरकार की वह आमदनी क़रीब ३० करोड़ रुपये के हो गयी है और ३० करोड़ रुपया किसानों से मिलने के बावजूद भी सरकार को संतोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष--इस संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह संशोधन अभी हमारे सामने नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन रुपये का जो संशोधन है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि यह संशोधन बहुत ही न्यायोचित है। तो इतनी आमदनी के बावजूद भी अगर सरकार उसमें से कुछ हिस्सा गांव वालों को नहीं देना चाहती है तो अगर इन छोटे छोटे दुकानदारों पर टैक्स लगा करके, गरीब किसानों पर टैक्स लगा करके, खपरैल और मकानों पर टैक्स लगा करके, गली और कूचों पर टैक्स लगा करके वह चाहे कि इन गांवों का निर्माण करे तो यह नामुमकिन है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जो उधर बैठे हुये माननीय सदस्य हैं उनसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि जरा ख्याल कीजिये कि आप यहां बैठकर गांव पंचायतों को इतना टैक्स लगाने का अधिकार दें तो जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं वे आपके दरवाजे पर आयेंगे और यदि आप यहां साथी गजेन्द्रसिंह की मदद करते हैं और इस संशोधन को स्वीकार कराते हैं तो इसके माने यह हो जायेंगे कि आप उन छोटे-छोटे दूकारदारों के साथ हैं और अगर इस संशोधन का आप विरोध करते हैं तो इसके माने यह हो जाते हैं कि आप उस सरकार का साथ देते हैं जो सरकार उन छोटे छोटे दकानदारों से रुपया लेकर अपने मन का इन्तजाम करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू साहब को मैं समझता हूं शहर के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले नहीं हैं। एक तर्क उन्होंने पेश किया मैं बड़ा स्तम्भित हो गया हूं जब वह कहते हैं कि देहात के लोग धनी हैं।

श्री शिवनाथ काटजू—आन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। मैं देहाती क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यह तो मैं जानता हूं कि देहाती क्षेत्र से निर्वाचित होकर माननीय काटजू सहब आये हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो देहाती क्षेत्र से चुनकर आया हो वह देहात का ही रहने वाला हो और आपका भाषण ही बताता है कि देहात के विषय में आपको ज्ञान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—जी हां, थोड़ा सा और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो कल कहिएगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
११ मई, १९५४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे ८९ पर ।)

प्रथम सत्र १९५४ के ८ वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री झारखंडे राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर।

५३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने नलकूप लग चुके हैं और कितने चालू कर दिये गये हैं और किन-किन जगहों पर लगे हैं ?

५३—आजमगढ़ जिले में ६० नलकप मार्च, १९५४ के अन्त तक बन चुके हैं और उनमें २७ चालू कर दिये गये हैं। इन नलकूपों का तहसीलवार वितरण इस प्रकार है—

आजमगढ़ तहसील—३ बने और १ चालू।
घोसी तहसील—२६ बने और १४ चालू।
मोहम्मदाबाद तहसील—२३ बने और १२ चालू।
सगरी तहसील—७ बने।
मऊ तहसील—१ बना।

इन नलकूपों की स्थिति की तफसील मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई है।

कमलापति,
मंत्री, सिंचाई विभाग।

आजमगढ़ जिले में बनाये गये तथा चालू किये गये नलकूपों की ग्रामवार तालिका

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम जिसमें नलकूप बनाया गया
१	२	३
आजमगढ़ ..	३	१—बेलेनाडीह २—नौकी ३—बिजौरा।
घोसी ..	२६	१—मियां राहीबरजली खां २—रियां ३—उसरी ४—करन पार ५—चिरैंचा ६—पांडेपुर ७—सोनाडीह ८—अमीला खास ९—सुखलाली

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम जिसमें नलकूप बनाया गया
१	२	३
		१०—बतार सावान
		११—टकटांवा रामपुर
		१२—पर्वत सींगापुर
		१३—जमालपुर मिर्जापुर
		१४—सुभारी डीह
		१५—कारयान डीह
		१६—चौबेपुर
		१७—घकोनों
		१८—पिकाली
		१९—महुवा पट्टी
		२०—कच्ची कौलाम
		२१—सुलानदुधा
		२२—ददकलां
		२३—मानिकपुर
		२४—बदरी
		२५—अलीनगर
		२६—पनाइल
मोहम्मदाबाद गोहना	२३	१—मोट
		२—अदाडीह
		३—नासूपुर
		४—राकोली
		५—कंधारीपुर
		६—दुमराआन
		७—भिलसन
		८—सगोर
		९—घुरदवा भुटालकावाजी
		१०—पुरा ठुकराई
		११—समीपुर
		१२—मुबारकपुर
		१३—नाराबीओ पदुरी
		१४—घासीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम जिसमें नलकूप बनाया गया
१	२	६
		१५—सरदारपुर थाओ
		१६—श्रमपुरी
		१७—खुरहट
		१८—शाहगढ़
		१९—लामीपुर
		२०—कसवा सराव
		२१—सिठान
		२२—ठिकला
		२३—खंड गिल्वां
मऊ पावर हाउस	१	१—मऊ
सागी	७	१—चाकबाजही
		२—मधुवन
		३—जाल्लीपुर
		४—नाखूपुर
		५—पठान
		६—रतहा
		७—बुझी
योग ..	६०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर।)

नक्शा क

क्रम-संख्या	वस्तुओं के नाम		बड़े कमरों में	छोटे कमरों में
१	दफ्तर की मेज (मय रेक व दराजों के)		२	१
२	कुर्सियां (बगैर हत्थे की)	..	३	२
३	मेढक कुर्सी	..	२	१
४	चारपाई	..	२	१
५	अलमारी	..	१	१
६	शृंगार मेज	..	१	१
७	चाय की मेज	..	२	१
८	दरी	..	१	१
९	टेबुल लैम्प	..	२	१
१०	बाल्टी	..	१	१
११	उगालदान	..	२	१
१२	मग	..	१	१
१३	राखदानी	..	२	१
१४	खूंटी	..	५	३
१५	नहाने का पटरा	..	१	१
१६	पावदान	..	२	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे ९७ पृष्ठ पर ।)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला बोर्ड, गोंडा को वापस की गई सड़कों की सूची

१—कौरिया–रमनपुर ।

२—कौरिया–बगैन ।

३—बिल्सर बेगमगंज ।

४—सोहांस–मोतीगंज रेलवे स्टेशन ।

५—फीरोजपुर–सादुल्लानगर–बम्हनजोती–गौरा–बमनान ।

६—गुगौली–तुलसीपुर ।

७—गैनसारी–तुलसीपुर ।

८—गैनसारी–कोटवा ।

९—परसपुर–परबगंज–नवाबगंज ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

कबरई बांधद्वारा जिन ग्रामों एवं क्षेत्रों में सिंचाई होगी उनकी सूची

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम		परगना	जिला	सिंचाई के क्षेत्र (एकड़ों में)
१	कबरई	..	महोबा	हमीरपुर	३३
२	धरौन	..	"	"	१
३	महोबा	..	"	"	५२
४	कौहारी कलां	..	"	"	१
५	छानी कलां	..	"	"	५२०
६	बरबई	..	"	"	१२०
७	कहरा	..	मौधा	"	१०
८	तमौरा	..	"	"	१२०
९	चिचारा	..	"	"	६०
१०	मवई खुर्द	..	"	"	१४०
११	परसेहा	..	महोबा	"	२२०
१२	बेन्ती बुधौरे	..	मौधा	"	२०
१३	गुढ़ा	..	"	"	४०
१४	खन्ना	..	"	"	३००
१५	बरमोहली	..	"	"	६०
१६	रतना	..	"	"	६०
१७	रीवन	..	"	"	७३६
१८	खंडेह	..	"	"	३५७
१९	भेस्ता माफ	..	महोबा	"	२०
२०	गेहोबरा	..	मौधा	"	११०
२१	भिभेनी	..	"	"	६०
२२	छिरका	..	"	"	३२०
२३	करहिया	..	"	"	१०३०
२४	मवइया	..	"	"	५०
२५	मदारपुर	..	"	"	१५०
२६	चेमारखन्ना	..	"	"	२०
२७	छिमौली	..	"	"	१००
२८	अखारीपुर	..	"	"	५०
२९	सिजनोरी	..	"	"	५०
३०	अकोना	..	"	"	१७०
३१	गुरदहा				२००
				योग ..	५,०००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०४ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९४९। कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय कर ऐक्ट में संशोधन करने के लिए

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या, ३ १९४९। यह आवश्यक है कि १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि आयकर ऐक्ट में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन किये जायं,

इसलिये अपने गणराज्य के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश कृषि आय कर (संशोधन) अधिनियम, १९५४ होगा।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित हो जायगी और शेष धारायें १ जुलाई, १९५४ से प्रचलित होंगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ३० जून, १९५४ को या इससे पूर्व समाप्त होने वाले कृषि वर्षों के लिये कृषि आय कर के निर्धारण चाहे ऐसे कर निर्धारण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किये जा चुके हों या न किये गये हों, बराबर किये जाते रहेंगे, मानो १९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय कृषि आय कर ऐक्ट की धारा ४, ६, १५, १६ और २५ तथा उसके परिशिष्ट का इस अधिनियम द्वारा संशोधन नहीं किया गया हो।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा २ में संशोधन।

२—१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय कर ऐक्ट (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (३) में से वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

संयुक्तप्रान्तीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा ४ में संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(क) संख्या तथा शब्द "३,००० रु०" के स्थान पर संख्या तथा शब्द "४,२०० रु०" रख दिये जायं।

(ख) पहले प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जो ३० एकड़ से अधिक भूमि पर खेती न करता हो।

स्पष्टीकरण—ऐसी भूमि जिस पर बाग (grove) या फल का बाग (orchward) लगा हो कृष्ट (culltivaled) भूमि है।

(ग) द्वितीय प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा ६ में संशोधन।

४—(१) मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) में से प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"(क) कृषि संबंधी विपदाओं (agricultural calamities) के निमित्त ऐसी कटौतियों के पश्चात् जो नियत की जायं किसी भूमि की आय ऐसी धनराशि समझी जायगी जो उसके लगान तथा ऐसे गुणांक (multiple) के जो १२ १/२ से अधिक न हो, जैसा कि वह भूम व्यवस्था कमिश्नर (Land reforms commissioner) द्वारा निश्चित किया जाय, गुणनफल के बराबर हो और भिन्न भिन्न जिलों या जिलों के भागों के लिये और भिन्न भिन्न बागों तथा फल के बागों के वर्गों के लिये भिन्न भिन्न गुणांक (multiple) निश्चित किये जा सकते हैं।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भूमि व्यवस्था कमिश्नर यह आदेश दे सकता है कि नवजोत भूमि की आय लगाने के निमित्त कुछ निर्दिष्ट वर्षों तक के लिये ऐसा गुणांक (multiple) रखा जाय जो अपेक्षाकृत ऐसी कम संख्या हो जो नियत की जाय।

स्पष्टीकरण—इस धारा में लगान ऐसी धनराशि समझी जायगी जो फल के बागों तथा बागों की दशा में गांव की सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि के और अन्य दशाओं में उसी श्रेणी के भूमि के मौरूसी काश्तकरों पर लागू लगान की नवीनतम स्वीकृत दरों के अनुसार लगाई जाय।"

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा १५ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३—क) के रूप में रख दिया जाय—

"(३—क) उपधारा (३) के अधीन दिये जाने वाले नोटिस के साथ कर निर्धारक अधिकारी एक विवरण भी भेजेगा, जिसमें कृषि की आय का ऐसा अनुमान दिया होगा जो उसके मत में संबद्ध व्यक्ति को पिछले वर्ष में हुई है। उक्त अनुमान धारा ६ की उपधारा (२) के खंड (क) के आदेशों (provisions) के अनुसार तैयार किया जायगा और ऐसे फार्म में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जो नियत किये जायं।"

संयुक्त प्रांतीय ऐक्त संख्या ३, १९४९ की धारा १६ में संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (४) में शब्द "अपने विवेक के आधार पर" और शब्द "कर" के बीच में शब्द "धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन इच्छा (option) व्यक्त किये जाने पर भी, धारा १५ की उपधारा (३—क) के अधीन भेजे हुये विवरण—पत्र यदि कोई हों, यथोचित ध्यान रखते हुये" रख दिए जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ की धारा २५ में संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा २५ में शब्द तथा संख्या "उपधारा (३)" के स्थान पर शब्द तथा संख्या "उपधारा (३) तथा (३—क)" रख दिये जायं।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ३, १९४९ के परिशिष्ट में संशोधन।

८—(१) मूल अधिनियम के परिशिष्ट (schedule) के भाग १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"कृषि-आय-कर की दर

भाग १

	दर प्रति रुपया
१—पूर्ण कृषि आय के प्रथम १,५०० रु० पर	कुछ नहीं
२—पूर्ण कृषि-आय के उपर्युक्त के बाद के ३,५०० रु० पर	एक आना
३—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	दो आना
४—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के बाद के १०,००० रु० पर	चार आना
५—पूर्ण कृषि आय के उपर्युक्त के १०,००० रु० पर	आठ आना
६—पूर्ण कृषि आय के शेष पर	दस आना

यह दरें निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन हैं—

(क) उस पूर्ण कृषि आय पर कोई कृषि आय कर देय न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक न हो, और

(ख) देय कृषि आय कर किसी भी दशा में पूर्ण कृषि आय कर की उस धनराशि के आधे से अधिक न होगा जो ४,२०० रु० से अधिक हो।"

(२) मूल अधिनियम के परिशिष्ट का भाग २ निकाल दिया जाय।

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

उद्देश्य और कारण

सामान्यतः करदाताओं को और विशेष रूप से बागदारों को कृषि आय कर के निर्धारण में कठिनाई से बचाने और आय के विभिन्न वर्गों पर यथोचित कर निर्धारण को सुनिश्चित करने के निमित्त यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक की निम्नलिखित विशेषतायें हैं—

(क) कर न लगाने की सीमा को ३,००० रु० से बढ़ा कर ४,२०० रु० कर देने का प्रस्ताव है।

(ख) अब अधिकांश करदाता काश्तकार हैं, जो अपने हिसाब-किताब का लेखा नहीं रखते, इसलिये यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि कर निर्धारक अधिकारी धारा ६ (२) (क) के अनुसार करदाता को पिछले वर्ष की कृषि आय के संबंध में एक विवरण करदाता के पास भेजे जिससे कि काश्तकार को कर की वह धनराशि मालूम हो जाय जिसकी अदायगी उस दशा में उसे करनी होगी जब वह अपनी आय का विवरण प्रस्तुत न करना चाहे और कर निर्धारक अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित भी न होना चाहे।

(ग) फल के बागदारों को यह विकल्प देने का प्रस्ताव है कि वे अपने फल के बागों या बागों पर या तो धारा ६ (२) (क) के अधीन या धारा ६ (२) (ख) के अधीन कर निर्धारित करायें और भूमि व्यवस्था कमिश्नर को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह फल के बागों या बागों की कृषि-आय लगाने के लिये एक उपर्युक्त गुणांक (multiple) निश्चित करें।

(घ) इस समय केवल एक ही प्राधिकारी लखनऊ में अपीलों की सुनवाई करता है। लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव है कि डिवीजनल कमिश्नरों को भी अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाय।

(ङ) कृषि-आय-कर की दरों की वर्तमान अनुसूची कुछ जटिल है। सुपर टैक्स और कम्पनियों तथा व्यक्तियों के लिये करों की भिन्न-भिन्न दरों को दूर करने और कर की दरों की एक सरल तथा एक-सी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४८ एल० ए०—१९५४—८५०